द्वितीय माला, खंड ५२—अंक २२

बुधवार, १५ मार्च, १९६१
२४ फाल्गुन, १८८२ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५२ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

द्वितीय माला, खण्ड ५२--अंक २१ से ३०--१४ से १७ मार्च १९६१/२३ फाल्गुन, १८८२ से ६ चैत्र, १८८३ (शक)

अंक २१ मंगलवार, १४ मार्च, १९६१/२३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८०४, से ८०८, ८१० से ८१४, ८१६ से ८१९, ८२१, ८२३, ८२५ और ८२७ से ८२९ . . . २३३१—५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . २३५५-५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१५, ८२०, ८२२, ८२४, ८२६ और ८३० से ८४४ . . . . . . २३५७—६६

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६० से १६४८, १६५० से १६७१ और १६७३ से १६८५ . . . २३६६--२४१६

स्थगन प्रस्ताव --

१. रुद्रसागर स्थित तेल कूप में कथित दुर्घटना . . . २४१६-१७

२. चीनियों द्वारा भारतीय क्षेत्र का कथित अतिक्रमण . . २४१८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा विद्रोहियों द्वारा रेलगाड़ी पर आक्रमण . . . २४१८-१९

सभा पटल पर रखा गया पत्र—

उड़ीसा विनियोग विधेयक, १९६१—पारित किया गया . २४२०

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६१—पारित किया गया . २४२०-२१

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . २३२१—५१

रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक—

विचार के लिए प्रस्ताव २४५१—५३

"पूर्व की यात्रा करो" वर्ष के बारे में आधे घंटे की चर्चा २४५४—५८

दैनिक संक्षेपिका २४५९—६६

अंक २२—बुधवार, १५ मार्च, १९६१/२४ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४५ से ८५८ . २४६७—९१

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८६२ . . .	२४६१--२५०७
अतारांकित प्रश्न संख्या १६८६ से १७३६, १७३८ से १७८२ और १७८४ से १७६२	२५०७--५३
दिनांक १८-१२-५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २००५ के उत्तर में शुद्धि	२५५४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
अमेरिकी गेहूं . . .	२५५५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	२५५५--५६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
उनासीवां प्रतिवेदन	२५५६
सभा का कार्य	२५५६--५७
समिति के लिए निर्वाचन--	
प्राविधिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद	२५५७
रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक--	
विचार के लिए प्रस्ताव	२५५७--६१
खंड २, ३ और १ .	२५६०
पारित करने का प्रस्ताव .	२५६१
सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा . .	२५६१--६४
आरामदेह कारों के आयात के बारे में--आधे घंटे की चर्चा . .	२५६३--६६
दैनिक संक्षेपिका .	२५६७--२६०४
अंक २३--गुरुवार, १६ मार्च, १६६१/२५ फाल्गुन, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ८६३, ८६४, ८६६, ८६७, ८६६ से ६०७ और ६०६	२६०५--३०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७	२६३०--३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ८६५, ८६८, ६०८ और ६१० से ६२५	२६३२--४०
अतारांकित प्रश्न संख्या १७६३ से १८४३	२६४०--६०

विषय सूची

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

चल सम्पत्ति और बैंकों में जमा धन के बारे में भारत-पाकिस्तान वार्ता की कथित असफलता २६६०--६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २६६२-६३

नमक उपकर (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित . २६६३

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा . . . २६६३--२७१४

दैनिक संक्षेपिका २७१५--१६

अंक २४--शुक्रवार, १७ मार्च, १९६१/२६ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९२६ से ९२९, ९३२ से ९३७, ९४० से ९४३, ९४५, ९४७, ९४८, ९५० और ९५१ २७२१-४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९३०, ९३१, ९३८, ९३९, ९४४, ९४६, ९४९ और ९५२ . . २७४५--४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १८४४ से १९१५ २७४८--७७

स्थगन प्रस्ताव--

सिक्किम और भूटान की सीमा पर चीन द्वारा कथित सैनिक तैयारियां २७७७--७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

दण्डकारण्य के शरणार्थियों का पुनर्वास २७७९--८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७८१--८३

राज्य सभा से सन्देश . . २७८३

तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर में शुद्धि . २७८३--८४

सभा का कार्य . २७८४

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा . . २७८४--२८१०

लेखा अनुदानों की मांगें, १९६१-६२ . २८११--१६

विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, १९६१--पारित २८१६--१७

बीमा (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २८१७-१८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

उनासीवां प्रतिवेदन २८१८

विषय-सूची पृष्ठ

सरकारी कर्मचारियों के कार्मिक संघों के कार्यवाहियों के बारे में संकल्प—
अस्वीकृत . . . . . २८१९—२२
सभी प्रादेशिक भाषाओं के लिये देवनागरी को सामान्य लिपि बनाने के बारे में संकल्प २८२२—४०
दैनिक संक्षेपिका . . २८४१—४७

अंक २५—सोमवार, २० मार्च, १९६१/२९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ९५३ से ९६३ . . २८४९—७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ९६४ से ९८७ . . . २८७१—८२
अतारांकित प्रश्न संख्या १९१६ से १९७०, १९७२ से १९८० और १९८२ से १९९१ २८८३—२९१८
विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में २९१८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . २९१८
राज्य सभा से सन्देश . . २९१८—१९
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . २९१९
तम्बारम् के निकट विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य २९१९—२०
श्री कृष्ण मेनन .
बीमा (संशोधन) विधेयक—
विचार के लिये प्रस्ताव . . . . . २९२०—२६
खण्ड २, ३ और १ . २९२०—२३
पारित करने का प्रस्ताव . . . २९२३—२६
अनुदानों की मांगें—
शिक्षा मंत्रालय . . . . . २९२७—७६
दैनिक संक्षेपिका . . . . . २९७७—८२

अंक २६—मंगलवार, २१ मार्च, १९६१/३० फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ९८८ से ९९५, १००९, ९९६, ९९९, १००० से १००३ और १००५ . . . . २९८३—३००९
तारांकित प्रश्न संख्या ९९० के उत्तर में शुद्धि . २९८८—९०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . ३००९—१०

विषय सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९९७, ९९८, १००४, १००६ से १००८ और १०१० से १०१६	३०१०—१६
अतारांकित प्रश्न संख्या १९९२ से २०४१ और २०४४ से २०५५ .	३०१६—४५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	३०४५
बिहार और उड़ीसा में सीमेंट की कमी	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३०४५–४६
राज्य-सभा से सन्देश	३०४६
औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक—	
राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा-पटल पर रखा गया ।	३०४६
अनुदानों की मांगें . . .	३०४६—३११०
स्वास्थ्य मंत्रालय	३०४७—९३
वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . .	३०९४—३११०
दैनिक संक्षेपिका	३१११—१६
अंक २७—बुधवार, २२ मार्च, १९६१/१ चैत्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०१७, १०१८ और १०२० से १०३५ .	३११७—४२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०१९, १०३६ से १०४३ .	३१४२—४५
अतारांकित प्रश्न संख्या २०५६ से २११५ और २११७ से २१३७ .	३१४६—७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
राजस्थान में बाली दुर्ग में विस्फोट	३१७९–८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३१८०–८१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अस्सीवां प्रतिवेदन	३१८१
सदस्य द्वारा वक्तव्य में शुद्धि	३१८१
अनुदानों की मांगें—	
वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . .	३१८२—३२०३
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	३२०४—३७
उड़ीसा में प्राथमिक तथा माध्यमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	३२३७–३८
दैनिक संक्षेपिका .	३२३९—४४

विषय सूची—(जारी) पृष्ठ

अंक २८—गुरुवार, २३ मार्च, १९६१/२ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०४८, १०४६, १०४९, १०५०, १९५२ से १०५८, १०६१, १०६३ और १०६५ ३२४५—७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४४, १०४५, १०५१, १०५९, १०६०, १०६२, १०६४ और १०६६ से १०८० . . . ३२७०—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३८ से २१८१ और २१८३ से २२०६ . ३२७९—३३०७

मंत्री द्वारा वक्तव्य

दिल्ली में सरकार द्वारा अर्जित भूमि का आवंटन ३३०७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३३०७

प्राक्कलन समिति

एक सौ दसवां प्रतिवेदन . . ३३०७

अनुदानों की मांगें . . . . ३३०७—५६

सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . ३३०७—३६

विधि मंत्रालय ३३३७—५६

दैनिक संक्षेपिका . ३३५७—६१

अंक २९—शुक्रवार, २४ मार्च, १९६१/३ चैत्र, १८८३ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ३३६३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८१ से १०८५, १०८७ से १०९४ और १०९७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . ३३६३—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८६, १०९५, १०९६ और १०९८ से ११०७ ३३९०—९७

अतारांकित प्रश्न संख्या २२०७ से २२५८ और २२६० से २२६९ . ३३९७—३४२३

राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . . ३३२४—३०

श्री जवाहरलाल नेहरू

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ३४३०—३१

विषय सूची--(जारी) पृष्ठ

प्राक्कलन समिति—

एकसौ उन्नीसवां प्रतिवदन ३४३१

सभा का कार्य . ३४३१–३२

अनुदानों की मांगें . ३४३२—४८

विधि मंत्रालय . . . . . ३४३२—४८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अस्सीवां प्रतिवेदन . . ३४४९

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक के बारे में ३४४९

पुरस्थापित किये गये विधेयक : ३२४९–५०

१. दानकर (संशोधन) विधेयक, १९६१ (धारा २२, २३, २५, २६ और ३५ का संशोधन) [श्री रामकृष्ण गुप्त का] . ३४४९

२. भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, १९६१ (धारा ६८ और ६९ का संशोधन) [श्री रामकृष्ण गुप्त का] . . . ३४४९

३. सहायक बैंक विलय विधेयक, १९६१ [श्री रामकृष्ण गुप्त का] ३४५०

४. संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६१ (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) [श्री चे० रा० पट्टाभिरामन का] . . ३४५०

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (नये अध्याय ५कक का रखा जाना)

[श्री त० ब० विट्ठल राव का] वापिस लिया गया

विचार के लिये प्रस्ताव . . . . . ३४५०—५८

तेलों का जमाये जाने पर रोक विधेयक [श्री झूलन सिंह का]—

विचार के लिये प्रस्ताव . . . . ३४५९—६२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३४६३—६८

अंक ३०—सोमवार, २७ मार्च, १९६१/६ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०९ से १११९, १११३ से १११५, १११७ से ११२१, ११२३, ११२६ से ११२८ और ११२४ ३४६९—९४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ३४९४—३५०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०८, १११२, १११६, ११२२, ११२५ और ११२९ से ११३५ . . . . . ३५०१—०६

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७० से २३६० और २३६२ से २३७३ . ३५०६—५७

विषय-सूची—जारी

	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	३५५७–५८
दामोदर घाटी निगम के कलकत्ता क्षेत्र को पर्याप्त बिजली का न मिलना	
उड़ीसा में मध्यावधि चुनाव के बारे में वक्तव्य . . .	३५५८–५९
१९६१ की भारत की जनगणना के बारे में वक्तव्य .	३५५९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३५६०
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	३५६०
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ ग्यारहवां प्रतिवेदन . .	३५६०
उड़ीसा का आय-व्ययक—१९६१–६२—उपस्थापित . .	३५६१—६६
अनुदानों की मांगें—	
गृह-कार्य मंत्रालय	३५६६—३६१४
दैनिक संक्षेपिका . . .	३६१५—२१

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वातस्व में पूछा था ।

G ;IPND—LS III—123(Ai) LSD—12-5-61—125.

लोक-सभा

बुधवार, १५ मार्च, १९६१

२४ फाल्गुन, १८८, (शक)

लोक–सभा ग्यारह बज समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पुरातत्वीय खुदाई

+

†*८४५. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री नरसिंहन :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत की प्राचीन संस्कृति का पूर्ण चित्र प्राप्त करने के उद्देश्य से बीकानेर, दक्षिण और पूर्वी भारत की व्यापक खुदाई करने का कार्य हाथ में लेने की प्रस्थापना पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) बीकानेर डिवीविजन में दो जगहों पर खुदाई ५ फरवरी, १९६१ को शुरू की गयी थी। इतने जल्दी परिणामों के बारे में बताया नहीं जा सकता ।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या भारत के दूसरे भागों में जैसे पूर्वी भारत में भी यह खुदाई शुरू करने के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है ?

†श्री हुमायून कबिर : संभवत: माननीय सदस्य केन्द्रीय पुरातत्व बोर्ड के उस संकल्प का उल्लेख कर रहे हैं जिसमें यह तय किया गया था कि अब तक प्राप्त परिणामों को देखते हुए

†मूल अंग्रेज़ी में

खुदाई के तीन विस्तृत कार्यक्रम अब हुए करने का समय आ गया है इनमें एक कार्यक्रम राजस्थान में भूरे चित्रित बर्तनों के लिए और बाकी दो दक्षिण तथा पूर्व में निओलिथिक संस्कृतियों के लिए खुदाई के संबंध में होंगे। इन सभी कार्यक्रमों पर विचार किया जा रहा है और अपने समय पर वे शुरू किये जायेंगे।

†श्री नरसिंहन् : पुरातत्वीय मंत्रणा बोर्ड ने बिल्कुल ठीक ठीक कब इसकी सिफारिश की थी और क्या यह कार्यक्रम शुरू करने में काफी देर हुई है?

†श्री हुमायून कबिर : संकल्प २९ अक्तूबर १९६० को पास हुआ था। लगभग नवम्बर के बीच किसी समय इस पर मंजूरी दी गयी थी और फरवरी में खुदाई शुरू हुई।

†श्री नरसिंहन : क्या इस क्षेत्र में कोई प्रारंभिक खोज शुरू की गयी है जैसा कि खुदाई के इन सभी मामलों में किया जाता है और यदि हां, तो क्या रिपोर्टें तैयार हैं?

†श्री हुमायून कबिर : इस क्षेत्र में कई बार काम किया जा चुका है और यदि माननीय सदस्य ने पुरातत्व विभाग की कार्यवाही बराबर देखी हो तो उन्हें मालूम होगा कि जो काम किया गया है उसके फलस्वरूप ही अब हम खुदाई शुरू कर रहे हैं।

†श्री नरसिंहन् : मैंने पहले इस विषय पर सवाल पूछा था और मुझे बताया गया था कि अभी प्रारंभिक खोज पूरी नहीं हुई है। इसी वजह से मैं यह सवल पूछरहा हूं।

†श्री हुमायून कबिर : १९४८ से इस क्षेत्र में बार बार काम किया जा चुका है और उसी से हमें पहले यह पता लगा कि जिसे पहले सिन्धु घाटी सभ्यता और अब हरप्पा सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है उसके भारत में भी उतने अवशेष हैं जितने बाहर।

†श्री कासलीवाल : प्रश्न से यह मालूम होता है कि खुदाई बीकानेर के विभिन्न प्रदेशों, दक्षिण और पूर्वी भारत में होगी। जब सरकार कई जगह खुदाई शुरू करती है, तो क्या उनमें कोई नियमित संबंध होता है वह या मनमाने ढंग से होती र जब कभी कोई बता देता है कि अमुक जगह खुदाई की जाये ?

†श्री हुमायून कबिर : माननीय सदस्य मेरे उस उत्तर को देखें जो मैंने अभी दो मिनट पहले दिया है।

†श्री गोरे : दक्षिण में कौनसा स्थान चुना गया है?

†श्री हुमायून कबिर : वहां अभी ठीक ठीक जगह तो नहीं चुनी गयी है। लेकिन दक्षिण में कई क्षेत्रों में काम किया गया है, उदाहरण के लिए मैसूर में नरसीपुर में तथा नर्मदा के किनारे नवदाटोली में। फिर नागार्जुनकोंडा में बहुत बड़े पैमाने पर काम किया गया है। मद्रास से और दक्षिण में, पांडिचेरी के पास काम किया गया है। इन सब खुदाई के कारण हम अब बड़ी खदाई करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†श्री गोरे : क्या गोदावरी के किनारों पर कोई काम किया जा रहा है और क्या सरकार को मालूम है कि प्रोफेसर साठे ने गोदावरी के किनारों पर बहुत ही अच्छा काम किया है?

†श्री हुमायून कबिर : जी हां। मैं ने नवदाटोली का उल्लेख किया था। प्रोफेसर सांकालिया ने नर्मदा नदी के किनारे, न कि गोदावरी के किनारे कुछ काम किया है। उन्होंने गोदावरी पर

---

†मूल अंग्रेजी में

नासिक में भी कुछ खुदाई का काम किया था और विभाग ने गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा पर दैमाबाद में खुदाई की थी ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या ऐसा काम शुरू करने से पहले कोई अनुमान तैयार किया जाता है और जो ये काम शुरू किये जा रहे हैं उनका क्या अनुमान है ?

†श्री हुमायून कबिर : ये तो पुरातत्व विभाग के सामान्य कर्त्तव्य हैं और जब तक हम खुदाई नहीं करते तब तक हमें यह मालूम नहीं कि वहां हमें क्या मिलेगा । इसलिए उससे पहले विस्तृत बजट अनुमान तैयार करना हास्यस्पद होगा । लेकिन यह चालू वर्ष में खर्च के लिए बजट में की गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ही है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं कि मोहोंजदड़ो सभ्यता से पहले की सभ्यता के अवशेष भारत में पाये गये हैं और यदि हां तो वे कहां पाये गये हैं और उस सभ्यता का एक संपूर्ण चित्र प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†श्री हुमायून कबिर : जहां तक मुझे मालूम है, दुनिया में कहीं भी ४००० ई० पू० से पहले किसी भी संगठित सभ्यता का साक्ष्य नहीं है । किसी संगठित सभ्यता की सब से पुरानी जानकारी हमें भारत में मिलती है और वह लगभग २७५० ई० पू० की है और वही हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ है ।

दिल्ली में 'चिट फंड'

+

†*४६ श्री अ० मु० तारिक :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली में 'चिट फंड्स' के विनियमन और नियंत्रण के बारे में अब तक कोई निर्णय किया गया है ?

†वित उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : अभी इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

†श्री अ० मु० तारिक : इस विषय पर पिछले कई महिनों से विचार हो रहा है। पिछले अधिवेशन में भी यही बताया गया था कि इस विषय पर विचार हो रहा है । क्या उपमंत्री से मैं यह जान सकता हूं कि कब तक इस पर विचार होता रहेगा ?

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : माननीय सदस्य को शायद मालूम होगा कि मद्रास विधान सभा ने इस विषय में एक विधेयक पास किया है और वह वहां विधान परिषद् के सामने हैं । विचार है कि वहां वह विधेयक पास होने पर वह कुछ आवश्यक परिवर्तनों के साथ दिल्ली पर भी लागू कर दिया जाये । इसीलिए मैंने कहा था कि इस विषय पर विचार हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** पहले एक सवाल के जवाब में यह कहा गया था कि दिल्ली प्रशासन इस सबध में एक कानून बनाने पर विचार कर रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस संबंध में अभी क्या स्थिति है और अब तक वह विधेयक पेश किया जायगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैंने खुद ही माननीय सदस्य को बताया था कि दिल्ली प्रशासन काफी लम्बे समय से इस पर विचार कर रहा है। लेकिन वह इस संबंध में विधेयक पर मद्रास विधान सभा की कार्यवाही की प्रतीक्षा कर रहा है। विधयक पास हो जाने पर उसके अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये चिट फण्डस सरकार की अनुमति से चलाये जाते हैं और क्या बजट के आंकड़ों में या किसी और तरह से उस पर कोई टैक्स भी लगाया जाता है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : केन्द्रीय सरकार की अनुमति का अभी कोई सवाल नहीं उठता है क्योंकि यह स्टेट गवर्नमेंटस का मामला है। चूंकि यह चीज़ कनकेरेंट लिस्ट में आती है, इसलिये कोई भी बिल इसके बारे में चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार की सहमति आवश्यक है। पर जैसा शायद आपको मालूम होगा कि मद्रास और केरल में ज्यादा यह पद्धति चलती है। मद्रास में एक बिल इसके बारे में चल रहा है और केरल में भी एक बिल इण्ट्रोडयूस हुआ था।

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं मिला है। मैंने जानना चाहा था कि क्या सरकार की ओर से इन चिट फण्डस पर कोई टैक्स भी लगाया जाता है ? क्योंकि टैक्सेशन पालिसी के अन्दर तमाम जो इस तरह की इनकम होती हैं, उन पर टैक्स लगता है, तो क्या चिट फण्ड्स पर भी कोई टक्स लगता है ? साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यूनियन टैरिटरीज़ में जो चिट फण्ड्स चलते हैं, उनको चलाने के लिए क्या सरकार अनुमति देती है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जिस तरह से किसी और बिजिनेस पर अगर आमदनी होती है तो उस पर टैक्स लगता है, उसी तरह से अगर इस पर भी आमदनी होती है तो टैक्स लगेगा।

हेलीकोप्टर विमानों का खरीदा जाना

\+

*८४७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम बरूआ :
श्री म० रं० कृष्ण :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री २१ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रूस से हेलीकोप्टर खरीदने के बारे में जो बातचीत चल रही थी उसका परिणाम क्या निकला ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : बातचीत अभी चल रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : पहले एक सवाल के जवाब में यह बताया गया था कि अभी तक एक हेलीकोप्टर खरीदा गया है। क्या उस समय से अब तक और भी हेलीकोप्टर खरीदे गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : जी नहीं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : कितने हेलीकोप्टरों के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : ये आंकड़े विमान बल की अन्दरूनी बात है। इससे बातचीत पर असर पड़ता है। जब यह बातचीत पूरी हो जायगी तो संख्या को छोड़ कर अन्य बातों के सम्बन्ध में मैं एक एक पूरा विवरण दूंगा।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : प्रारम्भिक दौर में हेलीकोप्टर की लागत कम हो सकती है लेकिन यह कहा जाता है कि लम्बे अर्से में इन हेलीकोप्टरों का रख-रखाव लाभदायक नहीं होता। यह कहां तक सच है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : इसी कारण प्रत्येक पहलू से प्रौद्योगिक परीक्षण किये जा रहे है। जब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि "यह कहा जाता है" तो इसका मतलब यह कि यह उनका विचार नहीं है। ये सब बहुत तकनीकी मामले हैं। मैं इसमें कोई सचाई नही समझता।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसमें कोई सचाई नहीं है। माननीय सदस्य तकनीकी लोग नहीं हैं।

†**श्री कृष्ण मेनन** : इसीलिए मैं कहता हूं। मह हम कसे कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रकार के अमुक इंजन में ईंधन अधिक खर्च होता है ? एक सामान्य आदमी यह नहीं बता सकता। यह सब इस बात पर निर्भर है कि वह कहां उड़ता है, हवा की स्थिति क्या है, उसे किन करण्टों का सामना करना पड़ता है इत्यादि। वह केवल मशीन पर ही निर्भर नहीं होता।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : हमारा देश अब विमान और दूसरी चीजें तैयार करने जा रहा हैं। कानपुर में विमान तयार किये जा रहे हैं। तो अब अपने ही देश में हेलीकोप्टरों तैयार करने में इस मन्त्रालय के सामने क्या है रुकावट है, सरकार के सामने क्या कठिनाइयां है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : हेलीकोप्टर तैयार करने की बात खत्म नहीं कर दी गयी है। लेकिन वे ऐसे प्रयोजनों के लिए जरूरी है जिन्हें तुरन्त ही कार्यान्वित करना होगा। इसलिए जहां कही से हमें वे मिल सकते हैं हम ले लेते हैं। फिर इस प्रकार के उपकरणों के मामले में हम अभी विकास के इस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं जहां हम बाहरी सहयोग के बिना ही काम शुरू कर सकते हैं और इसीलिये हमें इन मशीनों को काम में लाना चाहिये।

†**श्री गोरे** : क्या यह सच है कि एक हेलोकोप्टर रूस से खरीदा गया था ? यदि हां तो क्या वह सन्तोषजनक ढंग से चला ?

†**श्रीं कृष्ण मेनन** : जी हां। कई बार यह बताया गया है कि हमने एक हेलीकोप्टर खरीदा है। उसको सभी मौसमी हालातों से गुजरना पड़ता है। उसे भौगोलिक और अन्य दशाओं का भी सामना रना पड़ता है इसलिए हेलीकोप्टर पर न केवल मौसमी हालतों का बल्कि हवा के करण्ट का भी असर पड़ता है जब वह नीचे की ओर आता है। इन सब चीजों की काफी समय से जांच की जा रही रही है। जब तक वैज्ञानिक विभाग और विमान बल पूरी-पूरी इजाजत न दे तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या इस समाचार में कुछ सचाई है कि चूंकि चीनी भी इसी ढंग के हेलीकोप्टर काम में लाते हैं इसलिए चीन सरकार ने रूस द्वारा ये विमान भारत को बेचे जाने का विरोध किया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मुझे विश्वास है कि सभा इस बात को समझेगी कि मेरे पास केवल अपनी सरकार के ही पूरे-पूर उत्तर हैं। मैं इस बारे में चीनियों से नहीं पूछ सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं चाहता कि वह इसका उत्तर दें।

श्री गोरे : जो हेलीकोप्टर खरीदा जा चुका है उसकी जांच का फैसला करने के लिये सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री कृष्ण मेनन : इसमें तारीखों के आधार पर काम नहीं होता। हम नहीं जानते कि प्रयोगों में कितना समय लगेगा। लेकिन हम नहीं समझते कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, हो सकता है कि एक महीना या उससे कुछ कम समय लगे।

सरकारी कोयला खानों में उत्पादन-लागत

†*८४८. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों की तुलना में सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों में उत्पादन-लागत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस बात की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का सरकार का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). उपलब्ध आंकड़ों से इस निष्कर्ष की पुष्टि नहीं होती कि गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों की तुलना में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों में औसत उत्पादन-लागत लाभदायक नहीं है। निकटवर्ती कोयला खानों में भी काम की हालतों में काफी फर्क है और इसलिये सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों की कोयला खानों में उत्पादन-लागत की ठीक-ठीक तुलना नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम राष्ट्रीय हित में कुछ घाटे पर गिरीडीह में खानें चला रहा है जिससे निगम की कोयला खानो में औसत उत्पादन लागत बढ़ गयी है।

(ग) जी नहीं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : माननीय मन्त्री ने बताया है कि गिरिडीह में कुछ कोयला खानें बहुत बड़े घाटे पर चल रही हैं। क्या सरकार उन्हें किन्हीं गैर-सरकारी फर्मों को उससे कहीं कम घाटे पर और उतने ही उत्पादन की गारण्टी पर पट्टे पर देने के लिये तैयार है ?

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्यों न गैर सरकारी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाये ? (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य केवल इस कारण क्यों उत्तेजित हो जाते हैं कि एक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह** : किन्तु वह प्रश्न सरकार की नीति के विरूद्ध है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं । इस सभा में विभिन्न प्रकार के हित हैं । प्रत्येक माननीय सदस्य को अपनी पसन्द का सवाल पूछने का अधिकार है और अन्य माननीय उसे कृपया सुनें और यदि वे उसे ठीक करना चाहते हैं तो करें या वे और जानकारी चाहते हों तो और आगे सवाल पूछें । यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कोयला खानों को गैर-सरकारी उद्योगपतियों को पट्टे पर देने की कोई योजना सरकार के पास है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ऐसी कोई योजना नहीं है । माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई योजना हो तो मैं उसे जांचने के लिये तैयार हूं ।

†**श्री त्यागी** : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने कुल कितनी पूंजी लगायी है ? उसने पिछले साल कितने प्रतिशत मुनाफा कमाया ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे पास अभी आंकड़े तैयार नही हैं । लेकिन मैंने वार्षिक रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रख दी है और ये आंकड़े उस रिपोर्ट में उपलब्ध हैं ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या यह सच नहीं है कि गैर-सरकारी कोयला खानों में एक मजदूर को सरकारी क्षेत्र की कोयला खान की तुलना में बहुत कम मजूरी मिलती है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : बिना किसी निश्चित उदाहरण के, मैं सामान्य तुलना नहीं करूंगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों में गैर सरकारी कोयला खानों की अपेक्षा औसतन अधिक मशीनों से काम लिया जाता है, उसमें गैर सरकारी कोयला खानों की अपेक्षा प्रतिकर्मचारी स्थिर पूंजी का अनुपात अधिक ऊंचा है और यह बात नहीं कि उन्हें घाटा हो रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सही है कि विस्तार कायक्रम और नयी कोयला खानें खोलने में मशीनों के प्रयोग पर अधिक जोर दिया गया है । उसका खर्च सम्पूर्ण पूंजी से किया जाता है । मैं सभा की जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि पिछले पांच साल की अवधि में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने अपना उत्पादन चौगुना बढ़ा दिया है जबकि गैरसरकारी क्षेत्र में विस्तार की प्रतिशतता उससे कही कम है । इसलिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के नये विस्तार कार्यक्रम में अधिक पूंजी लगायी गयी है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : माननीय मन्त्री ने अभी हाल बताया है कि कोयला निकालने की लागत की तुलना नहीं की जा सकती । क्या प्रतिटन उत्पादन की कुल लागत निकाली गई है और यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र की लागत की तुलना में वह अधिक है या कम ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : न केवल प्रतिटन कोयला निकालने की औसत लागत मालूम की गयी है बल्कि वह प्रत्येक कोयला खान के बारे में भी मालूम की गयी है । उत्पादन लागत जो कोयला खानों में काम करने की हालतों पर निर्भर होती है, काफी अलग-अलग होती है । वह लगभग १५ रुपये प्रतिटन से लेकर ३० या ३२ रुपये प्रतिटन तक होती है । इसलिये ये सब आंकड़े उसमें हैं । लेकिन औसत को छोड़ कर वे सामान्य स्तर की तुलना में ठीक हैं और यह बात कोयला मूल्य परिवर्तन समिति की रिपोर्ट में बतायी जा चुकी है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन कोयला खानों में पिछले दो साल में और १९६० में कितना उत्पादन हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यदि वह अलग प्रश्न पूछें तो मैं वह आंकड़े दे सकता हूं। लेकिन वे समय समय पर सभा में बताये जा चुके हैं।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं १९६० के आंकड़े पूछ रहा हूं क्योंकि वे यह मालूम करन के लिये जरूरी हैं कि उत्पादन दूसरी योजना के लक्ष्य से कितना कम हुआ है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं ने कई बार वह बताने की कोशिश की है। यदि हम सम्पूर्ण वर्ष १९६० को लें तो कुल उत्पादन १३० या १३५ लाख टन नहीं होगा जो उत्पादन का लक्ष्य था लेकिन यदि हम जनवरी और फरवरी, १९६१ को लें तो यह मालूम होगा कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानें लगभग १० लाख टन प्रति माह उत्पादन कर रही हैं। यद्यपि फरवरी में केवल २८ दिन ही थे फिर भी उन में १० लाख टन से कुछ अधिक उत्पादन हुआ। यदि ११ लाख टन को १२ से गुणा किया जाये तो लगभग १३० लाख टन होता है जो उत्पादन का लक्ष्य था।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि हाल में गैर सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों में किस्म की अपेक्षा मुनाफा और परिमाण की ओर अधिक ध्यान देने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। यदि हां, तो क्या देश के अधिक हित में, गैरसरकारी क्षेत्र की कुछ कोयला खानों को अपने अधिकार में ले लेने का सरकार का विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह दूसरे प्रश्न का प्रतिरूप है। वह माननीय सदस्य चाहते थे कि गैर-सरकारी उद्योग को सौंप दिया जाये। यह माननीय सदस्य चाहते हैं कि उन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में लाया जाये। ये सब कार्यवाही के सुझाव हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : लेकिन उन कोयला खानों में प्रबन्ध ठीक नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं केवल प्रश्नों के उत्तर के लिये ही अनुमति दूंगा। यह प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर देना आवश्यक हो।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

†**श्री तंगामणि** : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि अब औसत उत्पादन १० लाख टन प्रति माह है जब कि सितम्बर, १९५९ में वह ५ लाख टन था। मैं यह जानना चाहता हूं कि १९६०–६१ में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों में कोयले का कितना अतिरिक्त उत्पादन हुआ ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जहां तक अतिरिक्त उत्पादन का संबंध है, मैं ने पिछले सवाल के जवाब में वर्तमान उत्पादन की मात्रा बताई है और पहले के आंकड़े माननीय सदस्य को मालूम हैं। इसलिये वे एक को दूसरे में से घटायें।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या कारगली कोल वाशरी में ३२ लाख रुपये का घाटा हुआ था, क्या उसे लाभ हानि विवरण में हिसाब में लिया गया है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कारगली वाशरी का प्रश्न इस से बिल्कुल अलग प्रश्न है

†**अध्यक्ष महोदय** : वाशरी इस से बिल्कुल अलग है। अलग प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात का प्रतिधारण मल्य

+

†*८४६. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार इस्पात के प्रतिधारण मूल्य में वृद्धि करने के एक नये सूत्र पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो मौजूदा कीमत में प्रति टन के हिसाब से कितनी वृद्धि करने का विचार है;

(ग) इस प्रस्तावित वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब से लागू किये जाने की संभावना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क)से (घ). इस्पात के प्रमुख निर्माताओं को प्रतिधारण मूल्य के भुगतान का पंचवर्षीय करार, ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हो गया। १ अप्रैल, १९६० से नये मूल्य निर्धारित किये जाने हैं। नये प्रतिधारण मूल्य प्रशुल्क आयोग के परामर्श से निर्धारित किये जायेंगे। प्रशुल्क आयोग को निर्देशित कर दिया गया है। उन की सिफारिशें प्रतीक्षित हैं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या ११ नवम्बर के बाद टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के इस्पात का प्रतिधारण मूल्य ४७० रुपये था और इस में इसलिये वृद्धि की गई थी कि इस से मजूरी में वृद्धि होगी। इन कम्पनियों में मजूरी में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य की बात से मैं सहमत नहीं हूं। प्रश्न का दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री त्यागी** : उपभोक्ता को औसतन किस मूल्य पर इस्पात उपलब्ध होता है, उत्पादन की वास्तविक लागत क्या है। और निर्माताओं को क्या प्रतिधारण मूल्य दिया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : औसतन उपभोक्ता को विक्रय-मूल्य लगभग ६०० रुपये प्रति टन है। इस की कई श्रेणियां हैं। और विशेषत: चादरों के मामले में मूल्य अधिक है। औसतन प्रतिधारणै मूल्य लगभग ५२० रुपये प्रति टन आता है। ये आंकड़े निश्चित नहीं हैं क्योंकि प्रतिधारण मूल्य श्रेणियों के बारे में और उत्पादन के तरीके के आधार पर निर्धारित किये गये हैं।

†**श्री त्यागी** : क्या तत्व हैं...

†**अध्यक्ष महोदय** : उन को समाप्त कर लेने दीजिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस ५२० रुपये में ४५ रुपये प्रति टन के हिसाब से उत्पादन-शुल्क भी शामिल है ।

†**श्री त्यागी** : प्रतिधारण मूल्य निर्धारित करने में किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है और निर्माताओं को कितने लाभ की प्रत्याभूति की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा यह बनाने में किन सब बातों पर ध्यान देना पड़ता है और कितना लाभ कमाया जा रहा है--ये सब ब्यौरे हैं ।

†**श्री त्यागी** : वास्तव में प्रश्न यह है कि निर्माता की लागत क्या है और प्रतिधारण मूल्य में उसे कितना लाभ कमाने दिया जाता है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदनों की ओर दिलाता हूं क्योंकि ये सब ब्यौरे, अर्थात्, सब बातें जो लागत निकालने में ध्यान में रखने पड़ते हैं, उस में बताये गये हैं । उस में समूचे ब्लाक में उत्पादन के स्तर के बारे में भी बताया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ प्रकाशित प्रतिवेदनों में है, उस के बारे में यहां प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें ।

†**श्री च० द० पांडे** : प्रतिधारण मूल्य में पिछले कुछ वर्षों में दो या तीन बार वृद्धि की गयी है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस वृद्धि का बोझ उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अभी यह उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है ।

†**श्री च० द० पांडे** : और अब क्या स्थिति है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री बनर्जी :

†**श्री स० मो० बनर्जी** : प्रतिधारण मूल्य निर्धारित करने में किन पहलुओं पर विचार किया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है । मंत्री महोदय बता चुके हैं कि प्रतिधारण मूल्य का सुझाव प्रशुल्क आयोग द्वारा दिया जाता है । उन्हों ने श्री त्यागी को प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन पढ़ने को कहा । श्री बनर्जी को इस का कोई भिन्न उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : वर्ष १९५६ में प्रतिधारण मूल्य क्या था, प्रशुल्क आयोग ने कितनी बार प्रतिधारण मूल्य में वृद्धि की और वर्तमान मूल्य क्या है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वास्तव में ये वही प्रश्न दूसरी तरह से पूछ रहे हैं । यह सब जानकारी समय समय पर सभा को दी जाती रही है । यह सच है कि प्रतिधारण मूल्य में तीन या चार बार संशोधन किया गया है क्योंकि स्वयं प्रशुल्क आयोग ने एक सूत्र का सुझाव दिया था । उन्हों ने यह सुझाव दिया था कि यदि कोयले का मूल्य बढ़ता है, या मजूरी में वृद्धि होती है, या अन्य किसी लागत में वद्धि होती है तो उस वृद्धि पर निर्भर करते हुए इतनी वृद्धि अथवा कमी की जायेगी । प्रशुल्क आयोग की इस सिफारिश का निर्मताओं ने स्वागत किया । उसकी भली प्रकार जांच की गयी और प्रशुल्क आयोग की सिफारिश के अनुसरण में समय समय पर संशोधन किये गये ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह सच नहीं है कि उपभोक्ता को परमिट जारी करने के बाद यदि उपभोक्ता २१ दिन अथवा ६० दिन के भीतर माल की डिलीवरी नहीं लेता है तो थोक विक्रेता

---

†मूल अंग्रेजी में

को उस माल को चोर बाजार में बेचने का पूरा अधिकार है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही करती है ताकि थोक-विक्रेता उस माल को दाम बढ़ा कर चोर बाजार में न बेच सकें ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस बात का वर्तमान प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसके लिये यह सरकार लोहे को कोई निश्चित प्राइस रखना चाहती है कि जिस पर उन को लोहा मिले और खेती के काम में उपयोगी सिद्ध हो ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी हां जरूर ऐसा करना चाहती है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसानों के लिये लोहे की कोई निश्चित प्राइस मुकर्रर है । कीमत बढ़ रही है । मैं चाहता हूं कि किसान को स्टील की प्राइस कम करके उस पर कुछ सबसिडी किसान को देनी चाहिये ।

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य ने मेरी बात गौर से नहीं सुनी । यह ठीक है कि जो लोहे या इस्पात बनान के कारखाने हैं उन को कुछ ज्यादा, खर्च बढ़ने की वजह से कुछ ज्यादा फी टन दिया जाता है, मगर जहां तक कंज्यूमर का सम्बन्ध है उस से ज्यादा कीमत नहीं चार्ज की जाती। हो सकता है कि तकसीम करने के मुताल्लिक मेम्बर साहब को कोई शिकायत हो कि फलां जगह यह ठीक नहीं हो पायी । लेकिन वह एक अलाहिदा सवाल है, जिस का इस मौजूदा सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री विभूति मिश्र: मैं प्वाइंट आफ आर्डर पर एक बात कहना चाहता हूं ।

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि आप बाहर से गल्ला मंगाते हैं, और इस साल देश में भी ज्यादा गल्ला हुआ है जिस से किसानों को चार रुपये मन कम दाम मिल रहा है, जब कि लोहे का दाम आप ने बढ़ा दिया है । तो किसानों के लिये सरकार को कोई निश्चित प्राइस रखनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस में कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है । श्री बासप्पा ।

†**श्री बासप्पा** : क्या प्रतिधारण मूल्य से देश में विभिन्न इस्पात निर्माताओं को समान लाभ होगा, अर्थात् क्या इस से भद्रावती आइरन वर्क्स, टाटाज और इस्पात संयंत्रों को समान लाभ होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : विभिन्न निर्माताओं को लाभ देने का कोई प्रश्न नहीं है । प्रतिधारण मूल्य प्रशुल्क आयोग की सिफारिश पर निर्धारित किये जाते हैं । प्रशुल्क आयोग प्रमख निर्माताओं, अर्थात् टाटा, इण्डियन आयरन और भद्रावती के भी लागत ढांचे का हिसाब लगायेगा । फिर वह एक मूल्य की सिफारिश करेगा जोकि प्रतिधारण मूल्य होगा और जो निर्माताओं को समानीकरण निधि में से दिया जायेगा ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या ४५ रुपये प्रति टन की वर्तमान वृद्धि अन्तिम है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह अस्थायी मूल्य है जो अब निर्धारित किया गया है । इसमें प्रशुल्क आयोग की सिफारिश के अनसार संशोधन किया जा सकता है ।

अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका** : इस बात को ध्यान मे रखते हुए कि मार्च, १९६० तक जो सूत्र लागू था, उसमें इस्पात के निर्माताओं को अनुचित लाभ देने की गुंजाइश थी, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या नये सूत्र के अधीन, जो मंत्री महोदय निकाल रहे हैं, इस बारे में पग उठाये जायेंगे कि निर्माताओं को प्रतिधारण मूल्य मे वृद्धि करके केवल व्यय में वास्तविक वृद्धि ही दी जाये और कोई धन न दिया जावे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सरकार उन वचनो और करारों को मानना चाहती है जो निर्माताओं और सरकार के बीच उनके विकास कार्यक्रम अपनाने के समय हुए थे। उन करारों के भीतर वास्तविक गुंजायश क्या हो, यह भी प्रशुल्क आयोग के विचारार्थ विषय है । प्रशुल्क आयोग की सिफारिश पर अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

†**श्री मुरारका** : कृपया इस बात की व्याख्या करने के लिये मुझे एक मिनट का समय दीजिये। यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया है कि वह माननीय सदस्य की बात मानने को बाध्य नहीं हैं। सरकार दिये गये वचनों पर बाध्य है । यदि कोई यह कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये था, तो नीति में परिवर्तन होना चाहिये ।

†**श्री मुरारका** : दिया गया वचन केवल यह है कि यदि मजूरी में वृद्धि होती है या कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि होती है तो वह वृद्धि उन्हें मंजूर की जाय। परन्तु उस करार की वास्तविक कार्यान्विति इस प्रकार होती है। वे निर्माताओं से भावी उत्पादन का प्राक्कलन करने को कहते हैं जो सदैव उच्च स्तर पर किया जाता है। फिर वृद्धि का हिसाब लगाया जाता है .

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर चर्चा की अनमति नहीं दूंगा । माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि यदि आप वास्तव में वचनों का पालन करते हैं तो जो कुछ प्रत्याशा में दिया जा रहा है यह उससे बहुत कम है जिसकी वे आशा करते हैं ।

†**श्री मुरारका** : प्रश्न यह है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या ऐसी बात है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सत्य नहीं है ।

†**श्री पु० र० पटेल**: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी खाद्यान्न और रुई को आयात करने से खाद्यान्नों और रुई के मूल्य घट रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार किसानों को इस्पात के मूल्य में सहायता देने के प्रश्न पर वचार कर रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जहां तक इस्पात का सम्बन्ध है, उपभोक्ता से जो मूल्य लिया जा रहा है, वह कई वर्षों में वही रहा है यद्यपि उत्पादन-लागत में वृद्धि हो गयी है और इसी लिये समानीकरण निधि में उपार्जन कम हुआ है। मैं समझता हूं कि वह एक रियायत है और उपभोक्ता को मूल्य में कमी करने की कोई संभावना नहीं है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने और इण्डयन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने करीब २२ करोड़ रुपये सरकार को पुनर्भुगतान करने के लिये मांगे हैं । क्या नये मूल्य सूत्र में कुछ ऐसे उपायों पर विचार किया जायेगा जिससे वह तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में यह कार्य कर सकें ?

---

†मूल अंग्रजी मे

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : टाटा और इण्डियन आयरन कम्पनियों से लेने वाली रकम के बारे में, जो उनको ऋण के रूप में दी गयी है, वे आंकड़े इस सभा की सम्पत्ति हैं क्योंकि समय समय पर ये आंकड़े दिये गये हैं । प्रशुल्क आयोग यह सिफारिश कर चुका है कि उस रकम पर ब्याज लिया जाय । मैं समझता हूं कि पुनर्भुगतान का प्रश्न भी एक ऐसा मामला होगा, जिसे प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, इसके साथ सम्बद्ध किया जायेगा ।

अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा में हिन्दी माध्यम

+

*८५०. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री खुशवक्त राय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १५ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति के २७ अप्रैल, १९६० के आदेश के पैराग्राफ ९ के अनुसार अखिल भारतीय केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिये ली जानेवाली परीक्षाओं में हिन्दी को कुछ समय पश्चात् वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने के प्रश्न पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से जो विचार चल रहा था, क्या उस सम्बन्ध मे कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय कब से कार्य रूप में परिणत किया जायेगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख). अखिल भारतीय तथा उच्च केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिये हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम बनाने का निर्णय तो राष्ट्रपति के आदेश में ही दिया हुआ है । इसको कब से लागू किया जाय यह अभी विचाराधीन है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मंत्री महोदय इस उत्तर को अंग्रेजी में भी पढ़ें ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी मंत्राणी जी ने कहा है कि राष्ट्रपति जी के इस आदेश को कब से कार्य रूप में परिणत किया जाय यह प्रश्न अभी विचाराधीन है तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्यों देर हो रही है और कब तक इस पर अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री(श्री लाल बहादुर शास्त्री) : लैंग्वेज पार्लियामेंटरी कमेटी ने यह कहा था कि सन् १९६३ से यह लागू किया जा सकता है तो अभी तो १९६३ में काफी समय है और इस बीच में हम कुछ निश्चय करेंगे और उसके बाद कार्यवाही करेंगे ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि सन् १९६३ से पूर्व इसके ऊपर अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इरादा तो है क्योंकि इस बात को स्वर्गीय पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने थोड़े ही दिन पहले जो यह निर्णय हुआ था और प्रेसीडेंट आर्डर निकला था उसके लिये अपनी स्वीकृति दे दी थी । ऐसी हालत मे कुछ न कुछ निर्णय तो करना ही पड़ेगा ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्योंकि प्रवृत्ति यह है कि सभी विश्वविद्यालय पढ़ाने में अधिकाधिक प्रादेशिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे, क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य विश्वविद्यालयों से प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों पर हिन्दी के इस्तेमाल से कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह बात स्पष्ट नहीं है। हम हिन्दी को वैकल्पिक भाषा के रूप में माध्यम के तौर पर लागू करना चाहते हैं। अहिन्दी-भाषी अभ्यर्थियों के लिये इस माध्यम को इस्तेमाल करना आवश्यक नहीं है। अतः यह अभ्यर्थियों की इच्छा पर निर्भर है कि वह परीक्षा पत्रों का उत्तर हिन्दी में दें या अंग्रेजी में दें। । दूसरे, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर की कापियों के मूल्यांकन के लिये कुछ स्तर निर्धारित किया जायेगा और स्तर निर्धारित करना उनका काम होगा जिससे हिन्दी भाषी अभ्यर्थियों को अलाभप्रद स्थिति में न रखा जाये।

श्री खुशवक्त राय: मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह विकल्प परीक्षार्थी के हाथ में है तो कठिनाई यह है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा है कि हम जो प्रश्न देंगे तो वह हिन्दी में ठीक से प्रश्न नहीं दे सकते हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं पार्लियामेंटरीकमेटी ने कहा था कि हिन्दी के स्तर (स्टैंडर्ड) को ऊंचा करने के लिये और काफी विद्यार्थी उसे सीख जायें, इसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी यूनिवरसिटीज़ में हिन्दी का स्तर (स्टैंडर्ड) जो है उसको और ऊपर लाने के लिये भी आवश्यक है कि कुछ समय और उसमें लगाया जाये इसलिये पार्लियामेंटरी कमेटी ने सन् १९६३ का निर्णय किया था।

डा० गोविन्द दास उठे--

†**अध्यक्ष महोदय** : जब कोई चीज वैकल्पिक बनाई जाती है तो मैं पहले उन सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा जिन्होंने प्रश्न की सूचना दी है फिर उन अन्य व्यक्तियों को जिनकी मातृ भाषा हिन्दी नहीं है। मैं डा० गोविन्द दास का नाम बाद में पुकारूंगा। उनको छोड़ूंगा नहीं। श्री चेट्टियार।

†**श्री राम नाथन चेट्टियार** : यह आदेश किस तिथि से लागू किया जायेगा।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हमने अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। इसमें कुछ और समय लग सकता है।

डा० गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने यह कहा कि पार्लियामेंटरी लैंग्वेज कमेटी ने १९६३ मुकर्रर किया है। चूंकि मैं भी उसका एक सदस्य था इसलिये मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे यह जानते हैं कि पार्लियामेंटरी लैंग्वज कमेटी ने १९६३ की अवधि देर से देर नियत की थी और क्या वे यह भी जानते हैं कि कई विश्वविद्यालयों ने माध्यम हिन्दी बना दिया है और उन विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को नौकरियों के लिये हिन्दी वैकल्पिक न होने के कारण बहुत कठिनाइयां हो रही हैं और क्या ऐसी हालत में यह प्रयत्न किया जायेगा कि १९६३ के बहुत पहले हिन्दी एक वैकल्पिक माध्यम बना दिया जाय ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैंने तो यह नहीं कहा कि जो कुछ करना है वह १९६३ से ही किया जायेगा लेकिन मैंने कहा है कि १९६३ का समय आपने रक्खा है, इस बीच में हम कुछ फैसला करेंगे। मैं आपको यह भी बतला दूं कि पहले इसके कि आई० ए० एस० या दूसरे ऊंचे दर्जे के एग्जामिनेशंस हिन्दी में किये जायें मुनासिब यह होगा कि जो असिस्टेंट्स अभी हैं और जिनका कि इम्तिहान यू० पी० एस० सी० में होता है उनको हिन्दी भाषा में अपनी परीक्षा देने का मौका दिया जाय। यह एक बतौर प्रयोग के होगा जिसके कि बाद हम आगे का भी फैसला कर सकते हैं और यू० पी० एस० सी० को हमने इस संबंध में लिख भी दिया है।

---

†मूल अंग्रजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री तंगामणि** : अहिन्दी-भाषी व्यक्तियों को आपने अवसर देने का वायदा किया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री रामनाथन् चेट्टियार को अनुमति दे दी है। अगला प्रश्न।

कच्चे लोहे के संयन्त्र

+

†*८५१. { **श्री कोडियान** :
श्री वारियर :
श्री पुन्नूस :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे लोहे के कारखाने स्थापित करने के लिये १९६०–६१ के दौरान गैर-सरकारी लोगों को कितने लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ख) इन संयंत्रों की क्षमता कितनी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) एक नया कारखाना लगाने के लिये और दूसरा वर्तमान कारखाने का विस्तार करने के लिये।

(ख) मद्रास में लगाये जाने वाले नये कारखाने की क्षमता ९६,००० टन प्रतिवर्ष होगी। उड़ीसा में बाराबील में वर्तमान कारखाने का प्रति वर्ष १५,००० से १,००,००० टन तक विस्तार किया जायेगा।

†**श्री कोडियान** : तृतीय योजना में कच्चे लोहे के उत्पादन के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसका कितना भाग गैर-सरकारी क्षेत्र में दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह सब बातें परिचालित की गयी प्रारूप रिपोर्ट में नहीं हैं ? मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सदस्य प्रकाशित रिपोर्टों को भी पढ़ने का कष्ट करें और उन सभी मामलों पर यहां प्रश्न न पूछें।

†**श्री कासलीवाल** : कच्चे लोहे के उत्पादन के लिये लाइसेंस देने के लिय कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे और कितनों को मंजूरी दी गयी और ये आवेदन-कर्त्ता कितना उत्पादन करना चाहते थे ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं प्राप्त आवेदन-पत्रों की कुल संख्या नहीं बता सकता। परन्तु नौ फर्मों ने इसमें रुचि दिखाई थी और कच्चे लोहे के संयंत्र लगाने के लिये आवेदन-पत्र दिये थे।

†**एक माननीय सदस्य** : काली सूची में कोई फर्म है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उनमें से कोई काली सूची में नहीं है। जैसा मैंने बताया है, उनमें से दो ने तो उत्पादन भी आरम्भ कर दिया है। महाराष्ट्र में एक तीसरी फर्म को मंजूरी दे दी गयी है। ग्वालियर में प्रतिदिन लगभग ३.५ टन की क्षमता वाला एक कारखाना है। वे भी कुछ मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : द्वितीय योजना के दौरान, कच्चे लोहे के संयंत्रों के लिये ६ कारखानों को लाइसेंस दिये गये । क्या मैं जान सकता हूं कि इन ६ कारखानों में से अब तक कितने स्थापित किये जा चुके हैं

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया कि यह संख्या ४ है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जैसा मैं बता चुका हूं, दो कारखाने स्थापित किये जा चुके हैं—एक कोयम्बटूर में और दूसरा उड़ीसा में बारबील में ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या दक्षिण में किसी कारखाने को कोई लाइसेंस दिया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कोयम्बटूर दक्षिण में है ।

†**श्री सोनावने** : महाराष्ट्र में कारखाने में कब से उत्पादन आरम्भ हो जायेगा, प्रथम वर्ष में इसकी क्या क्षमता होगी और फिर बाद के वर्षों में इसकी क्या क्षमता होगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं और न ही ये मेरे मंत्रालय में हैं क्योंकि यह एक गैर-सरकारी संस्था है । उन्होने एक लाइसेंस लिया है और मैं अभी यह नहीं कह सकता कि वे उत्पादन कब आरम्भ करेंगे ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तीन बड़े कारखाने खोलने के बाद छोटी छोटी पिग आयरन की फैक्ट्रीज़ खोलने के संबंध में सरकार की क्या पालिसी है—क्या उन को डिसकरेज करने की या एनकरेज करने की पालिसी है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : पालिसी के मुताल्लिक मैंने जिक्र कर दिया है कि बड़े स्टील प्लांट भी पिग आयरन बनायेंगे और उनके बनने के बाद भी अन्दाजा है कि तीसरे फाइव यीअर प्लान के एंड तक तकरीबन पांच लाख टन सालाना की शायद कमी हो । इसलिये ये जो एक लाख टन सालाना तक की कैपेसिटी के छोटे प्लांट हैं, उनके मुताल्लिक लाइसेंस दिये जाने का विचार है ।

†**श्री तंगामणि** : कोयम्बटूर संयंत्र की क्या क्षमता है और क्या यह सच है कि इसमें अभी उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या उन्होंने इसका विस्तार करने की अनुमति के लिये आवेदन किया है और सरकार से सहायता भी मांगी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मद्रास में कोयम्बटूर कारखाना अर्थात्, मेसर्ज टैक्सटूल कम्पनी लिमिटेड कोयम्बटूर, ने एक लाइसस लिया है । लाइसेंस की तिथि २७ अप्रैल, १९५७ है । संयंत्र स्थापित कर दिया गया और इसने वर्ष १९५९ में काम करना आरम्भ कर दिया । यह भट्टी. भट्टी के डिजाइन में कुछ फेर-बदल करने और इसमें उचित रूप में उष्मसह ईंटें लगाने के लिय, अप्रैल, १९६० में बन्द कर दी गयी । अब आशा की जाती है कि इस संयंत्र में अप्रैल, १९६१ से नियमित रूप से उत्पादन होने लगेगा । फर्म ने यही जानकारी दी है ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या इन लाइसेंसों को देने में मंत्री महोदय प्रादेशिक बातों का भी ध्यान रखते हैं अथवा नहीं ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी, हां। यदि उनके पास राजस्थान में कारखाना लगाने की प्रस्थापना है तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को लाइसेंस दिया गया है और जिन स्थानों का फैक्ट्री लगाने के सम्बन्ध में चुनाव किया गया है, वह कौन से सिद्धांत पर किया गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : सब से बड़ा सिद्धांत यह है कि कोकिंगकोल का इस्तेमाल वहां कम हो और बाकी यह हो कि कच्चा माल—आयरन और, कोल पावर—इस किस्म की चीजें वहां मिल सकें जहां तक बिहार का प्रश्न है, जिससे माननीय सदस्य का संबंध है, वहां बड़े स्केल पर प्लांट पहले लग चुके हैं।

†**श्री कोडियान** : मैं समझता हूं सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में अपेक्षित मात्रा में कच्चे लोहे का उत्पादन नहीं कर सकेंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या तृतीय योजना में कच्चे लोहे की आवश्यकता का गैर-सरकारी क्षेत्र में वर्तमान इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादन किया जायेगा अथवा सरकार का विचार पूरी आवश्यकता को गैर-सरकारी और इस्पात संयंत्र लगा कर पूरा करने का है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मुझे खेद है कि मैंने यह जानकारी हिन्दी में दी और क्योंकि माननीय सदस्य हिन्दी नहीं जानते हैं, वह उसको समझ नहीं सके। अभी अभी मैं इस बारे में एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं कि, विस्तार कार्यक्रमों को ध्यान में रख कर, समेकित इस्पात संयंत्रों में उत्पादन में अनुमानित कमी लगभग ५ लाख टन प्रति वर्ष होगी और इस कमी को पूरा करने के लिये हमने छोटे पैमाने के कच्चे लोहे के सयत्र स्थापित करने को प्रोत्साहन देने का फसला किया है और यह उन प्रदेशों में फलाने के लिये भी है जहां बड़े इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं किये जा सकते।

आवाज की गति से तेज चलने वाले विमानों का निर्माण

+

†*८५२. **श्री पहाड़िया** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०२१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी, बंगलौर में, आवाज की गति से तेज चलने वाले (सुपरसोनिक) विमान का जो पहला नमूना बनाया जा रहा है, उसके पूरा होने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : यह जानकारी देना लोक-हित में नहीं है। परन्तु मैं यह बता सकता हूं कि प्रगति सन्तोषजनक है।

†**श्री पहाड़िया** : इसमें लगभग कितना समय लगेगा और इन विमानों की लागत क्या होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन** : इस तेज रफ्तार वाले विमान के बारे में जिसका परीक्षण किया जाना है, सरकार से तिथि बताने की कैसे आशा की जा सकती है ? इसका परीक्ष ण होना है, इसकी उड़ान होनी है और ये परीक्षण की तिथियां और व्यवस्था गोपनीय हैं।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि एक पूर्व प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि इसके वर्ष १९६१ में आरम्भ के पूरा हो जाने की आशा है, क्या मैं जान सकता हू कि क्या अब तक यह पूरा हो गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैंने कहा १९६१ के आरम्भ में, मैंने यह नहीं कहा कि कितने आरम्भ में। मैंने बताया कि इसमें सन्तोषजनक प्रगति हो रही है। किसी अन्य देश में इन विमानों को गोपनीय सूची में रखा जाता है। क्योंकि हम बहुत से विमान नहीं बनाते, हमारे यहां वह सूची नहीं है। अतः यह गोपनीय परियोजना है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या यह सच है कि इंजन को छोड़ कर विमान का ढांचा यहां बनाया जा रहा है ? इस विमान के लिये अलाय धातु के आयात पर कितना धन खर्च किया गया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह विकासोन्मुख परियोजना है और हम इस प्रकार मूल्य नहीं बता सकते और यह नहीं कह सकते कि केवल विमान में कम लागत आयेगी, वह खर्च अगले उत्पादन में लगाया जायेगा। अतः यह जानकारी देना सभव नहीं है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इस विमान को बनाने के लिये हम कितने प्रतिशत पुर्जों का आयात कर रहे हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : हमने विमान बनाया नहीं है क्योंकि यह तो इसकी विकासोन्मुख अवस्था है। नमूने के अनुमोदित किये जाने के बाद और विमान के उड़ान करने और सेवा योग्य हो जाने के बाद ही हम इसका निर्माण कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? मंत्री महोदय ने बताया कि यह एक गोपनीय परियोजना है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहा हू। माननीय सदस्य प्रश्न पूछने में दो मिनट लगाते हैं जबकि अन्य सदस्य एक मिनट लगाते हैं। अगला प्रश्न।

इस्पात संयंत्रों के लिये कोकिंग कोयला

†*८५३. **श्री सूपकार** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लिये कोकिंग कोयले की अभी भी भारी कमी है ; और

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र मुख्यतः कोकिंग कोयले की कमी के कारण पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री सूपकर** : क्या इस्पात, संयंत्रों को कोकिंग कोयला भेजने में परिवहन में कोई कठिनाई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी, नहीं। इस्पात संयंत्रों को नहीं।

†**श्री विद्याचरणशुक्ल** : क्या इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोयले के संभरण में कोई कठिनाई है और यदि हां, तो क्या सरकार ने अल्प अवधि के लिये कोकिंग कोयले के संभरण में कमी के कारण इस्पात संयंत्रों को हानि का अनुमान लगा लिया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : स्थिति पर समय-समय पर बड़े ध्यानपूर्वक गौर करना पड़ता है और जब कभी कोई कमी होती है तो उसे दूर किया जाता है । रेलवे उचित मात्रा में इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोयले का संभरण करती रही हैं और कोई कठिनाई नहीं हो रही है ।

†**श्री सूपकार** : जब कोयले की कमी होती है तो महीनों तक धमन भट्टियों के बन्द पड़े रहने के कारण होने वाली कुल हानि का क्या कोई हिसाब लगाया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी, नहीं ।

उड़ीसा में फेरो-क्रोम संयंत्र

†*८५४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्थापित किया जाने वाला फेरो-क्रोम संयंत्र, जिसके लिये लाइसेंस दिया गया था, स्थापित हो चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) लाइसेंस प्राप्त कर्ता ने यह कहा है कि प्रविधिक परामर्शदाताओं से रिपोर्ट अभी दिसम्बर, १९६० में ही प्राप्त हुई थी । उसने यह भी बताया है कि २०,००० किलोवाट तक विद्युत् की निश्चित सप्लाई के सम्बन्ध में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : यह लाइसेंस किस साल दिया गया था । ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह लाइसेंस १ मई, १९५८ को एक ऐसा कारखाना स्थापित करने के लिये दिया गया था जिसकी वार्षिक क्षमता इस प्रकार होगी :—

लो कार्बन फेरो-क्रोम—८,००० टन प्रति वर्ष

हाई कार्बन फेरो-क्रोम—२,००० टन प्रतिवर्ष

फेरो-सिलिकन—५००० टन प्रतिवर्ष ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या अपेक्षित मशीनरी तथा उपकरणों की प्राप्ति में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : फर्म की ओर से मैं कैसे उत्तर दे सकता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस कारखाने के स्थल के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है और वह १९६१ में उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह सच है कि उस फर्म ने उसके स्थान को भद्रा से बदल कर जेयपुर रोड़ कर देने के लिये लिखा है और जेयपुर रोड ने २०,००० किलोवाट विद्युत् के संभरण के लिये कहा है । इन बातों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय नहीं किया जा सका क्योंकि मैसर्स डेमग, पश्चिमी जर्मनी से परियोजना रिपोर्ट बहुत देर से आयी है । प्रविधिक परामर्शदाताओं से अभी रिपोर्ट प्राप्त हुई है । राज्य सरकार ने वचन दिया है कि वह इस बारे में शीघ्र ही निर्णय कर देगी । उसने सिफारिश की है कि फर्म की स्थापना के लिये समय बढ़ा दिया जाये ।

अन्तरिक्ष अनुसन्धान

†८५५. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में अन्तरिक्ष सम्बन्धी कोई अनुसन्धान किये जा रहे हैं ताकि अन्य देशों द्वारा इस दिशा में की गयी असाधारण प्रगति का अनुसरण किया जा सके ;

(ख) क्या वैज्ञानिकों का कोई दल इस कार्य में संलग्न है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य पर कितना व्यय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ५०,००० रुपये वार्षिक और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद द्वारा १९५९-६० में ९४२१.८० रुपये, १९६०-६१ में (३१-१२-१९६० तक) ११,५५२.२७ रुपये ।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग के समान ही उसके सम्बन्ध में भी अन्य देशों से ज्ञान प्राप्त करने के लिये कोई व्यवस्था की गयी है ?

†**श्री हुमायून् कबीर** : जी, हां । हम भी अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष में भाग ले रहे हैं और अनुसन्धान सम्बन्धी जानकारी भाग लेने वाले सभी देशों को दी जाती है ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या हम वीनस (शुक्र) की ओर बढ़ने की इच्छा रखते हैं या कि मार्स (मंगल) की ओर ?

†**श्री हुमायून् कबीर** : यह तो मैं माननीय सदस्य की रूचि पर छोड़ता हूं ।

†**श्री साधन गुप्त** : माननीय मंत्री की रूचि किस ओर है ?

†**विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन)** : वीनस की ओर ।

---

†मूअंग्रेजी में

दिल्ली जेल में अकाली महिला की मृत्यु

†*८५६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तिहाड़ जेल, दिल्ली में सोमवार, २ जनवरी, १९६१ को एक ७५ वर्षीय अकाली महिला की मृत्यु हो गयी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मृत्यु का क्या कारण था ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच करवाई गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**गृह-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). ७० वर्ष की आयु की एक अकाली महिला को, जिस पर मुकदमा चल रहा था, २६ दिसम्बर, १९६० को दिल्ली के कैम्प जेल में दाखिल किया गया था । दूसरे ही दिन उसने खांसी और बुखार की शिकायत की । एक महिला डाक्टर ने उसका परीक्षण किया । तब पता लगा कि उसे 'क्रोनिक ब्रोंकाइटिस' थी । उसका नियमित इलाज किया गया परन्तु उनकी २ जनवरी, १९६१ को हृदय गति के रुक जाने से मृत्यु हो गयी ।

(ग) और (घ). एक मस्ट्रेट द्वारा जांच करवाई गई और अन्त में यही निष्कर्ष निकला कि उस महिला की मृत्यु हृदय गति के रुक जाने से ही हुई थी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि जेल में लाठी चार्ज हुआ था और उसके विरोध में इस औरत ने भूख ह ताल की थी और चार दिनों के बाद वह मर गयी ?

†**श्रीमती आल्वा** : जी, नहीं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या उस औरत का इलाज जेल में ही किया गया था या कि किसी विशेषज्ञ से परामर्श लिया गया था ?

†**श्रीमती आल्वा** : उसकी गिरफ्तारी के दूसरे दिन से ही उसका जेल के अन्दर ही नियमित रूप से इलाज प्रारम्भ कर दिया गया था ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या उस औरत के सम्बन्धियों को सूचित कर दिया गया था और मृत्यु के समय वे उसके पास थे ?

†**श्रीमती आल्वा** : उसका इलाज हो रहा था । वह हृदय गति के रुक जाने से मरी थी, अतः ऐसी परिस्थितियों में उसके सम्बन्धियों को कैसे सूचित किया जा सकता था ?

†**श्री वाजपेयी** : माननीय उपमंत्री ने यह बताया है कि उसे ब्रोंकाइटिस थी । तो क्या उसके सम्बन्धियों को इस रोग के बारे में सूचित किया गया था ?

†**श्रीमती आल्वा** : उसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस थी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या जेल में उससे पहले लाठी चार्ज किया गया था और क्या उसने भूख हड़ताल की थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : उससे लाठी चार्ज से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । स्थानीय प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना से यही स्पष्ट होता है कि एक

---

†मूल अंग्रेजी में

मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गई थी और उसने यह रिपोर्ट दी कि वह स्वाभाविक मृत्यु से मरी है । इसलिये इसका लाठी चार्ज से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे यह पूछना चाहते हैं कि क्या उसने भूख हड़ताल की थी ?

†**श्री लाल बहादुर** : जी, नहीं, रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि उसने भूख हड़ताल नहीं की थी ।

इस्पात का आयात

†८५७. **श्री पांगरकर** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने विकास ऋण निधि के अधीन आयात किये जाने वाले इस्पात की मात्रा और किस्म के बारे में इस बीच विचार किया है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : जी, हां । सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २७]**

†**श्री पांगरकर** : विकास ऋण निधि के अधीन इस्पात का आयात कब से प्रारम्भ होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कई प्रकार के इस्पात के आयात के लिये आर्डर दे दिये गये हैं; और आशा है कि शीघ्र ही इस्पात पहुंचना प्रारम्भ हो जायेगा ।

†**श्री पांगरकर** : १९६१-६२ में इस्पात की खरीद और आयात के लिये इसमें से कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इन ब्यौरों के लिये मुझे एक पूर्व सूचना की जरूरत है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : इस इस्पात का आवंटन कैसे किया जाता है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : आवंटन लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के द्वारा किया जाता है । अधिकांश सरकारी तथा अर्ध सरकारी परियोजनाओं के लिये इस्तेमाल किया जाता है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : हाल ही में रेलवे आयव्ययक पर वाद-विवाद के दौरान कुछ एक वस्तुओं--विशेषतया स्पेशल मैंचिंग स्टील--की हमेशा बनी रहने वाली कमी की ओर बार-बार संकेत किये गये हैं । विवरण में १३ किस्म के इस्पात का उल्लेख है । क्या इस स्पेशल मैंचिंग स्टील के आयात के सम्बन्ध में भी कोई व्यवस्था की गई है जिसकी इतनी अधिक कमी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उसकी स्थिति को सदा ध्यान में रखा जाता है । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि विकास ऋण निधि में से कुछ राशि केवलमात्र रेलवे के लिये निर्धारित कर दी गई है । रेलवे भी ऋण की उस राशि का समुचित प्रयोग कर सकती है ।

डा० गोविन्द दास : चूंकि हमारे यहां खुद लोहे और स्टील का उत्पादन होने लगा है, यह कब तक आशा की जाती है कि हम को बाहर से इस प्रकार का सामान नहीं मंगाना पड़ेगा और हमारे यहां ही सब चीजें बनने लगेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सरदार स्वर्ण सिंह : यह ठीक है कि हमारे देश में लोहे और इस्पात का उत्पादन चूंकि बढ़ गया है, इस वास्ते जो हम फारेन एक्सचेंज इस पर बहुत ज्यादा खर्च किया करते थे, उसमें बड़ी भारी कमी वाका हुई है। मगर फिर भी कई कैटेगरीज़ ऐसी रहेंगी जिन में शार्टफाल हो सकता है और कई कैटेगरीज़ ऐसी होंगी जिन में हम अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर सकेंगे। बड़े से बड़े देश भी स्टील का कुछ माल हमेशा एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ इम्पोर्ट करते हैं।

†**श्री त्यागी :** क्या विदेशों से इस्पात के आयात में पर्याप्त कमी हो जाने के परिणामस्वरूप सरकार समानीकरण निधि दरों को भी इसी अनुपात से कम करने का विचार रखती है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** संभवत: यह पूछा जा रहा है कि क्या उपभोक्ताओं को दिये जानेवाले इस्पात की कीमत को भी कम किया जायेगा। यदि यही प्रश्न है तो उसका उत्तर नकारात्मक है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या इस्पात की किस्म और मात्रा के बारे में निर्णय करने से पहले इस बारे में राज्य सरकारों की मांगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली गई है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को अपेक्षित मात्रा में कोटा दे दिया जायेगा।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** राज्य सरकारों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है ? मैं बता चुका हूं कि सरकारी परियोजनाओं जैसे कि सिंचाई परियोजनाओं, बिजली घरों आदि के लिये भी विकास ऋण निधि के अन्तर्गत या वस्तु विनियम के आधार पर आयात किये गये स्टाक में से इस्पात दिया जायेगा।

†**श्री त्यागी :** माननीय मंत्री से यह निवेदन है कि वे उसकी ओर स्वयं ध्यान दें। समानीकरण निधि इस संसद् द्वारा लोहे और इस्पात के आयात में आने वाली अत्यधिक लागत के आधार पर मंजूर की गई थी। भारत के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं की सहायता के लिये ही ऐसा किया गया था। अब जब कि आयात में कमी कर दी गई है, सरकार इन्हीं दरों को कैसे जारी रख सकती है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मुख्य न्यायोचित बात यह है कि सामान्य राजस्व में कुछ न कुछ राशि अवश्य इकट्ठी की जाये और इस्पात समानीकरण निधि से देश के राजस्व में पर्याप्त राशि जमा होती है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार :** क्या यह सच नहीं है कि इस्पात के वितरण का अधिकार केवल एक या दो फर्मों को ही सौंप दिया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जी, नहीं। यह सच नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात संयंत्रों का विस्तार

+

†*८५८. **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी :
श्री उस्मान अली खां :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दामानी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीनों इस्पात संयंत्रों के विस्तार का कार्यक्रम अन्तिम रूप से तैयार किया जा चुका है ;

(ख) विस्तार कार्यक्रम पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इसमें कितनी बिदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी और उसकी पूर्ति किस प्रकार किये जाने का विचार है ;

†**इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जी, हां। यह निर्णय किया गया है कि भिलाई रूरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों के उत्पादन का क्रमश: २५ लाख, १८ लाख और १६ लाख टन तक विस्तार कर दिया जाये। इन विस्तारों के सम्बन्ध में प्राप्त विस्तृत रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है, इस दौरान में योजना के लिये कुल लागत और विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में निम्नलिखित आंकड़े निर्धारित किये गये हैं :—

	कुल लागत	विदेशी मुद्रा
	लाख रुपये	लाख रुपये
भिलाई	१३,८००	५,६००
रूरकेला	९,०००	५,०००
दुर्गापुर . . .	५,६००	२,७००

(ग) भिलाई के विस्तार पर आने वाला खर्च रूसी सरकार द्वारा दिये जा रहे ऋण में से पूरा किया जायेगा। रूरकेला तथा दुर्गापुर के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है।

†**श्री मुरारका** : इस विस्तार के लिये कितना भारतीय सामान लगाया जायेगा और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यत्न तो यही किया जा रहा है भारतीय उपलब्ध सामान का अधिक से अधिक उपयोग किया जाये। उच्च कोटि के स्वदेशी सामान की उपलब्धि को ध्यान

†मूल अंग्रेजी में

में रखने के बाद ही तो उक्त आंकड़े दिये गये हैं। मैं यह फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उक्त आंकड़े अस्थायी हैं। और वे योजना के उद्देश्य से ही अनुमानतः तैयार किये गये हैं। कारखानों के विस्तार के सम्बन्ध में ब्यौरेवार रिपोर्टें तैयार हो जायेंगी। तभी स्थिति का स्पष्ट रूप देखा जा सकेगा।

†**श्री मुरारका :** क्या सरकार ने यह हिसाब लगाया है कि इस्पात के विस्तार पर प्रति टन खर्च कितना आयेगा और वह नये इस्पात कारखानों के प्रतिटन इस्पात की लागत की तुलना में कैसा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मूल इस्पात कारखानों में पहले से ही कुछ सुनिश्चित क्षमता है जिसकी विस्तार कार्यक्रम में व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होगी। यदि इस दृष्टि से देखा जाये तो विस्तार कार्यक्रम के प्रतिटन इस्पात पर आने वाली लागत मूल कारखानों की प्रति टन लागत से कम होगी, परन्तु यह तो देखने का एक दृष्टिकोण है। यदि हम इस दृष्टि से देखें कि मूल कारखानों में विस्तार कार्यक्रम की अपेक्षा अधिक क्षमता है, तो स्थिति दूसरी ही प्रकार की होगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मूल्यों का एकीकरण

†***८५९. श्री विभूति मिश्र :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है कि जिसके अनुसार कृषिजन्य वस्तुओं और कारखानों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों का एकीकरण कर दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि मूल्यों का यह एकीकरण फरवरी, १९६१ से लागू होगा ; और

(ग) क्या सरकार सब वस्तुओं के अथवा कुछ विशेष वस्तुओं के मूल्यों का एकीकरण करना चाहती है ?

†**वित्त उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरीसिन्हा) :** (क) से (ग). कीमतों के सामान्य स्तर (जेनरल लेवल) के रुख और गल्ले व तैयार चीजों की कीमतों के उतार-चढ़ाव पर बराबर नज़र रखी जाती है और जब जैसी ज़रूरत समझी जाती है कुछ ख़ास कीमतों या कीमतों के समूचे स्तर (लेवल) के बारे में मुनासिब कार्यवाई की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बाल कल्याण

†*८६०. **श्री मं० रं० कृष्ण** : : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलों के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करने के कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए गैर-सरकारी अभिकरणों को सहायता देने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी धन-राशि निर्धारित की गयी है ; और

(ग) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितने बच्चे आयेंगे ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

भारत सरकार खेल के मैदानों की प्राप्ति और खेल के सामान की खरीद के लिये शिक्षा संस्थाओं को सहायता प्रदान कर रही है । अभी तक खेल के मैदानों के लिये २६.२८ लाख रुपये और खेल के सामान के लिये २.०५ लाख रुपये राज्य सरकारों को आवंटित किये गये हैं । यद्यपि यह राशि राज्य सरकारों को दी गयी है तथापि गैर-सरकारी संस्थाओं को भी इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से सहायता दी जाती है । गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं को दी गई राशि के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

भारत सरकार स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया को भी सहायता देने की एक योजना पर विचार कर रही है । एक सन्था एक गैर-सरकारी संस्था है जो कि खलों के द्वारा स्कूलों के बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करने का यत्न कर रही है । संस्था से यह कहा गया है कि वह इस सम्बन्ध में पुनरीक्षित सुझाव भेजे ।

भारत सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में आल इंडिया भारत स्काऊट्स एण्ड गाइड्स के लिये ११.१७ लाख रुपये की सहायता दी है । यद्यपि स्काऊटिंग का मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना नहीं है । तथापि इस द्वारा, शिविर लगाने, पर्वतारोहण आदि ऐसे कार्यक्रम चलाये जाते हैं जिनका बच्चों के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है । अनुमान है कि ६ लाख से अधिक बच्चे भारत स्काऊट्स एण्ड गाइड्स के सदस्य हैं ।

इसके अतिरिक्त कुछ और योजनायें भी हैं जैसे युवक होस्टल सन्था, व्यायामशालाओं और अखाड़ों के लिये सहायता अनुदान देना । यद्यपि इन योजनाओं का सीधा सम्बन्ध बच्चों से नहीं है, तथापि उन से पर्याप्त संख्या के बच्चों को लाभ होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हौज खास, दिल्ली के निकट पुराने सिक्के

†*८६१. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री हेम राज :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सम्पत :
श्री प्र० के० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री पहाड़िया :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री अय्याकण्णु :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हौज खास के निकट बहुत से प्राचीन सिक्के पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन का सही ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन से भारत के इतिहास पर क्या प्रकाश पड़ता है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां।

(ख) इन सभी सिक्कों का कुल वजन ९३६.५ किलोग्राम है और उनकी कुल संख्या एक लाख दस हजार है। आकार की दृष्टि से वे दो आकार के हैं। सभी गोल हैं और उन पर अरबी में लिखा हुआ है। प्रतीत होता है कि वे ताबे के और कुछ पीतल के बने हैं।

(ग) उन का सम्बन्ध मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल से है। क्योंकि इस प्रकार के सिक्कों के बारे में पहले से ही ज्ञात था, अतः इन से कोई विशेष नयी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

कोरबा कोयला क्षेत्र में श्रमिकों के लिये सुविधायें

†*८६२. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में कोरबा कोयला क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की ओर से, उनके शिविरों में उपयुक्त सुविधाओं के अभाव के बारे में अभ्यावेदन किये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनके कष्टों के निवारण के लिए यदि कोई कदम उठाये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय कोयला विकास परिषद को छतीस गढ़ कोयला खान मजदूर संघ (कोरबा कोयला खान शाखा) और खदान मजदूर संघ की ओर से कुछ एक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २८]

भारत के स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास

†*८६३. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के स्वाधीनता आन्दोलन के इतिहास का प्रथम खंड प्रकाशित हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर अब तक कितना व्यय किया गया है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिककार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) स्वाधीनता आंदोलन इतिहास सम्बन्धी एकक द्वारा, जिस के अध्यक्ष डा० तारा चन्द हैं, ९४,०१७.०४ रुपये खर्च किए गए ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये जर्मनी द्वारा सहायता

†*८६४. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री पहाड़िया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी की ओर से भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए सहायता देने का कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मात्रा कितनी है ; और

(ग) इसका उपयोग किस प्रकार किये जाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). जर्मन सरकार ने तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में हमारी आवश्यकताओं को कुछ अंश तक पूरा करने के लिए दीर्घकालीन आधार पर ४० करोड़ जर्मन मार्क (डी० एम०) देना स्वीकार कर दिया है। इस राशि में से १० करोड़ मार्क हमारी विदेशी मुद्रा के निक्षेप में सहायता करने के लिए होंगे और लगभग २३ करोड़ मार्क १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक रूरकेला इस्पात कारखाने के हिसाब में पश्चिमी जर्मनी के संभरणकर्त्ताओं को दी जाने वाली राशि की अदायगी के लिए निर्धारित किए जायेंगे । जर्मन सरकार ने यह भी वचन दिया है कि वह रूरकेला इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए आवश्यक सामान तथा उपकरणों के लिए लगभग ४५ करोड़ मार्क का ऋण भी देगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी पदाधिकारी

†*८६५. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की कोई अवधि निश्चित है ; और

(ख) उन्हें यदि कोई प्रतिनियुक्ति-भत्ता दिया जाता है, तो कितना ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्त की कोई अवधि निश्चित नहीं और न ही ऐसे पदाधिकारियों के लिए कोई प्रतिनियुक्ति-भत्ता निर्धारित है । प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में निर्णय तदर्थ आधार पर किया जाता है ।

आन्ध्र प्रदेश में कोयले के स्टाक

†*८६६. श्री उस्मान अली खां :
श्री सम्पत :
श्री प्र० गं० देव :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० विजय आनन्द :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण कोठागुडियम, इल्लेन्डु, बेल्लमपल्ली में लगभग ६०,००० टन कोयला पड़ा हुआ है और इसके परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश के कुछ कारखानों के बन्द हो जाने का खतरा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस गंभीर स्थिति को सुलझाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). यह सच है कि सिंगरेनी कोयला क्षेत्रों के खान द्वारों पर कोयला का बहुत अधिक स्टाक इकट्ठा हो गया है परन्तु कोयले के इकट्ठे होने के कारण निम्नलिखित हैं:

(१) एक कोयला खान अर्थात् मरदमारी कोयला खान से ट्रकों के द्वारा कोयले को बेलमपल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने की असमर्थता ।

(२) भद्राचलम् कोयला खानों से रविवार के दिन उतने अधिक कोयले का परिवहन नहीं हो सकता जितना अन्य दिनों में होता है । इन कोयला खानों से यह कहा गया है कि यह रविवार के दिन भी अधिक मात्रा में कोयला भेजा करें और कोयले के लादने के लिए बंद माल डिब्बों को स्वीकार करें। कोयले की अधिक जमा राशि को कम करने के लिए सड़क के द्वारा भी कुछ मात्रा में कोयले के परिवहन के लिए परमिट जारी कर दिए गए हैं । आशा है कि शीघ्र ही कोयला खान की साइडिंग तैयार हो जाएगी ।

गार्डनरीच वर्कशाप, कलकत्ता

†*८६७. **श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डनरीच वर्कशाप, कलकत्ता में किया जाने वाला बहुत सा काम नियमित रूप से ठेकेदारों के मजदूरों को दिया जाता है; और

(ख) क्या बाहर की 'फिटिंग शाप', 'बायलर शाप' डौक विभाग आदि के स्थायी कर्मचारियों को अभी हाल में काम के कथित अभाव के कारण अस्थायी रूप से अलग कर दिया गया है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी नहीं । ठेकेदारों के मजदूरों का केवल उन्हीं कार्यों के लिये इस्तेमाल किया जाता है जिनके लिए कम्पनी के पास मजदूर नहीं हैं अथवा जहां मजदूर बहुत थोड़े समय के लिए आवश्यक होते हैं फिर भी ठेकेदारों के मजदूर कुल मजदूरों की संख्या की तुलना में १.५ प्रतिशत से भी कम हैं।

(ख) जी हां । पिछले चार महीनों में ४ प्रतिशत से भी कम मजदूरों को अस्थायी रूप से अलग किया गया था ।

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड में जेट इंजनों का उत्पादन

†*८६८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर में जेट इंजनों का उत्पादन होने लगा है ;

(ख) यदि हां, तो ये इंजन किन विमानों के लिए उपयुक्त हैं ; और

(ग) अभी तक कितने इंजनों का उत्पादन हुआ है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यह जानकारी देना लोक हित में नहीं है ।

रेलवे द्वारा उपयोग किया जाने वाला कोयला

†*८६९. श्री तंगामणि :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई प्रस्थापना है कि रेलों में प्रयोग किये जाने वाले कोयले को रेलवे विभाग अपनी खानों में स्वयं साफ और शुद्ध करवाये ;

(ख) क्या ऐसा करना रेलवे के हित में होगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रस्थापना को मंजूर कर लिया गया है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ). रेलवे की अपनी कोई भी खानें नहीं हैं परन्तु रेलवे को संभरित किए जाने वाले कोयले को सुधारने के लिए एक कोयला धोने का कारखाना स्थापित करने का एक सुझाव विचाराधीन है ।

जम्मू हवाई अड्डा

†*८७०. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की जम्मू हवाई अड्डे का सुधार करने की कोई योजना है ताकि इसे वाइकाउंट विमानों को उतरने और उड़ान करने के उपयुक्त बनाया जा सके ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) यह जानकारी देना लोक हित में नहीं है ।

संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन में सोने की कीमत

†*८७१. सरदार इकबाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन में सोने की कीमतों में वृद्धि होने से भारत के मुद्रा-बाजार पर कोई प्रभाव पड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो कहां तक ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी को यात्रा भत्ता

†*८७२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, जब वे ड्यूटी पर यात्रा कर रहे हों, कोई यात्रा भत्ता नहीं मिलता ;

(ख) क्या उन्हें राशन व्यय के रूप में प्रतिदिन केवल २.४ रु० मिलते हैं ; और

(ग) क्या इसे यात्रा की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सामान्य ड्यूटी पर रेलवे या सड़क के द्वारा यात्रा करते समय २.२५ रुपये प्रतिदिन यात्रा भत्ता दिया जाता है, जब वे किसी विशेष ड्यूटी पर यात्रा करते हैं, तो उन्हें ३.०० रुपये प्रतिदिन यात्रा भत्ता और जब वे गुप्त सामान की रक्षा के लिये यात्रा करते हैं, तो उन्हें २.३७ रुपये प्रति दिन यात्रा भत्ता दिया जाता है । इसके अतिरिक्त गर्मियों में उन्हें पानी और बर्फ के लिये ०.३४ रुपये प्रति दिन के हिसाब और भी भत्ता मिलता है ।

(ग) पहले सामान्य भत्ता २.०० रुपये प्रति दिन के हिसाब से था । परन्तु १ अप्रैल, १९५७ से इसे बढ़ा कर २.२५ रुपये कर दिया गया है इस सम्बन्ध में अभी विचार किया जा रहा है कि क्या इसे और अधिक बढ़ाया जाये या नहीं ।

इंडियन आयल कम्पनी

†*८७३. **श्री चांडक** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी के आयातित तेल को बेचने के लिए इंडियन आयल कम्पनी को खुदरा व्यापारियों को अतिरिक्त कमीशन देने की पेशकश करनी पड़ी थी ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को मिट्टी के तेल का अधिक मूल्य देना पड़ा ;

(ग) क्या गैर-सरकारी वितरकों ने भी इसका अनुसरण किया और मिट्टी के तेल के खुदरा दामों को बढ़ा दिया ; और

(घ) क्या वितरकों ने मिट्टी के तेल के दाम बढ़ाने के लिए सरकार से पहले मंजूरी ले ली थी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) इंडियन आयल कम्पनी को खुदरा कम्पनियों को कोई भी अतिरिक्त कमीशन देने की पेशकश नहीं करनी पड़ी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बोकारो इस्पात संयंत्र

†*८७४. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के हजारी बाग जिले में बोकारो नामक स्थान पर सरकारी क्षेत्र के चौथे इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में अब तक यदि कोई कदम उठाये गये हों, तो वे क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २९]**

खाद्य विभाग

†*८७५. **श्री राधा रमण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य विभाग न तो सचिवालय कार्यालय है और न संलग्न कार्यालय है, और केन्द्रीय सचिवालय के पदाधिकारियों द्वारा अपने मंत्रालयों/विभागों में किया जाने वाला अधिकांश काम इस विभाग में 'एक्स-कैडर' अधिकारियों द्वारा किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विभाग के मौजूदा ढांचे में परिवर्तन करने और इसे अन्य मंत्रालयों/विभागों के समान करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किया जायेगा और इसे कब लागू करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : खाद्य तथा कृषि मंत्री किसी और तिथि को इसका उत्तर देंगे ।

विशेष इस्पात का आयात

†*८७६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष इस्पात के आयात के लिए अतिरिक्त लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). औजार, अलाय और विशेष इस्पात के आयात के लिये वास्तविक उपभोक्ताओं को उचित पुरोनिधान प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किये गये पूरे मूल्य के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अतः अतिरिक्त आयात के लिये लाइसेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त पुराने आयातकों/नौवहन समवायों के मालिकों को भी स्टेनलेस स्टील की चादरों, चादरों, पट्टियों और सर्किलों के अतिरिक्त अपने 'मूल' अभ्यंश, जो कि मार्च, १९५७ में समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि में सर्वोत्तम वर्ष के आयात को ध्यान में रख कर लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने निर्धारित किया है, के ७½ प्रतिशत तक औजार और अलाय इस्पात आयात करने की अनुमति दी जाती है । यह कार्यवाही इसलिये की गयी ताकि छोटे उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के लिये माल आसानी से खुले बाजारों में से ले सकें ।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

†*८७७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री १२ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद् के एक अधिनियम द्वारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार को उपाधियां देने का अधिकार देने के जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था घोषित करने के लिए जिसे डिग्री और डिप्लोमा देने का अधिकार हो और दूसरी सम्बन्धित बातों की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने एक विधान पेश करने का फैसला किया है ।

इस्पात संयंत्रों में कर्म समितियां[1]

†*८७८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों में कर्म समितियों का निर्माण किया जा चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) कर्मचकारों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३०]**

तेल की खोज

†*८७९. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चह सच है कि भारत सरकार तेल की खोज के कार्य को तेज करने की एक योजना पर विचार कर रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Works Committees.

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग). तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तेल की खोज के कार्य को भूतत्वीय और भूभौतिकीय क्षेत्रदलों में वृद्धि करके ; अधिक संख्या में छिद्रण सम्बन्धी बर्मे और उपकरण खरीद कर तेज किया जा रहा है । गैर-सरकारी क्षेत्र से तेल की खोज के लिये आवदनपत्र आमंत्रित कर के तेल-अन्वेषण के बारे में सरकार की नीति में भी ढील दी गयी है और गैर-सरकारी समवायों के कई प्रस्तावों पर बातचीत की जा रही है ।

इस्पात संयंत्रों का संचालन

†*८८०. **श्री सूपकार :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जे० एल० यंग के नेतृत्व में पांच सदस्यों के एक अमरीकी शिष्टमंडल ने भारत की इस्पात परियोजनाओं का दौरा किया है और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्य के बारे में एक रिपोर्ट पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). यह प्रतिवेदन अधिकांशत: अमरीका में भारतीय इंजीनियरों के प्रशिक्षण और इससे सम्बन्धित समस्याओं के बारे में है । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड इन पर निरन्तर ध्यान दे रहा है और उचित उपचारात्मक कार्यवाही कर रहा है ।

भारत-पाकिस्तान सांस्कृतिक सम्मेलन

†*८८१. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मार्च और अप्रैल, १९६१ के दौरान भारत-पाकिस्तान सांस्कृतिक सम्मेलन होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन का क्या महत्व है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूंन् कबिर)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दोनों देशों के इतिहासकारों, दर्शन-शास्त्रियों, लेखकों और कलाकारों के बीच समबबोध और सद्भावना को बढ़ावा देना।

सशस्त्र सेनाओं के सेवा निवृत्त व्यक्तियों के निवृत्ति वेतन

†*८८२. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के थोड़ी पेंशन लेने वाले विभिन्न वर्गों के पेन्शनरों की **पेन्शनों की** दरें अस्थायी रूप से बढ़ा दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी रकम खर्च होगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां । १–४–५८ से।

(ख) प्रतिवर्ष १.५० करोड़ रुपये से ले कर २ करोड़ रुपये तक।

बिनौले का तेल

†*८८३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति उत्पादों के निर्माण में बिनौले के तेल के अधिक इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए छूट की योजना का पुनरीक्षण करने का **सुझाव** सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्थापना क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां ।

(ख) विभिन्न सुझाव निम्न प्रकार हैं :—

(१) १० प्रतिशत से अधिक बिनौले का तेल इस्तेमाल करने के लिये छूट की दर में ५ प्रतिशत से ६ प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी जाये ।

(२) निगेटिव बौदोइन प्रतिक्रिया की आवश्यकता को समाप्त किया जाये ।

(३) बेलियर परीक्षण का प्रयोग रोक दिया जाये ।

(४) बिनौले के तेल और मूंगफली के तेल को पृथक पृथक जमाने की आज्ञा दी जाये ।

(५) छूट देने में निर्माताओं के रिकार्ड पर निर्भर किया जाये ।

(ग) इन सभी सुझावों की सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से जांच की जा रही है ।

नियमों का हिन्दी में अनुवाद

*८८४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय तक सभी मंत्रालयों और विभागों से उन नियमों की प्रतियां विधि मंत्रालय को मिल गई हैं जिनका हिन्दी में अनुवाद किया जाना है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जो नियम अब तक प्राप्त हो चके हैं उनका हिन्दी में अनुवाद करने के कार्य में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) हिन्दी में अनुवाद के लिए विधिजात नियम निम्नलिखित को छोड़ कर सभी मंत्रालयों से प्राप्त हुए हैं :

१. प्रतिरक्षा मंत्रालय

२. वैदेशिक कार्य मंत्रालय

३. पुनर्वास मंत्रालय

४. योजना आयोग

५. अणु शक्ति (एटामिक इनर्जी) विभाग अभी तक कुल २०६ नियम प्राप्त हुए हैं ।

(ख) अन्य मंत्रालयों से प्राप्त नियमों में से अभी तक २८ नियमों का अनुवाद हो चुका है ।

पुरातत्व विभाग के पदाधिकारी

†*८८५. **श्री तंगामणि** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरातत्व विभाग के सेवा निवृत्ति की आयु पूरी कर लेने वाले पदाधिकारियों की सेवा की अवधि में वृद्धि की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में ऐसे पदाधिकारियों की संख्या कितनी थी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूंन् कबिर)** : (क) जी, हां ।

(ख) लोक हित में कुछ प्रविधिक व्यक्तियों की सेवावधि में वृद्धि की गयी है ।

(ग) १९५९–६० ––दो

१९६०–६१––दो (इसमें एक वह पदाधिकारी भी शामिल है जिसकी १९५९-६० में सेवा में वृद्धि की गयी थी)

१९६१–६२––शून्य ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में भिक्षावृत्ति

†*८८६. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 'बम्बई भिक्षावृत्ति निरोध अधिनियम' लागू करने से बहुत से भिखारी पड़ौसी राज्यों में चले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में उनकी जनसंख्या में कितनी कमी हुई है ;

(ग) भिक्षावृत्ति में लगी जनशक्ति का उपयोग करने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) इस अधिनियम के अधीन कितने भिखारी गिरफ्तार किये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अधिनियम के अधीन नजरबन्द भिखारियों को कृषि, बुनाई, कामगीरी और छपाई के कार्यों जैसी तिजारत में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

(घ) १० मार्च, १९६९ तक १७९ । व्यौरेवार सामाजिक जांच होने तक इन व्यक्तियों को स्वागत केन्द्र में रखा गया है ।

चीनी विमानों की उड़ानें

†*८८७. श्री रघुनाथ सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने चीन के नये नोट की, जिसमें उत्तर प्रदेश और सिक्किम पर जासूसी उड़ाने करने से इंकार किया गया है, जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार विदेशी विमानों के हमारे क्षेत्र में घुसने को रोकने के लिये सभी सम्भव कार्यवाही करती रहेगी ।

गोला-बारूद का उत्पादन

†*८८८. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या प्रतिरक्षा मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कारतूसों और अन्य किस्म के गोलाबारूद का पर्याप्त संभरण सुनिश्चित करने के लिए इनका उत्पादन बढ़ाने के वास्ते क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है और उनका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उप मंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

आयुध कारखानों में असैनिक उपभोग के लिये निम्नलिखित किस्म के कारतूस/गोला बारूद का उत्पादन किया जा रहा है :

(१) १२ बोर के कारतूस

पिछले दो वर्षों में १२ बोर के कारतूसों का उत्पादन काफी बढ़ा दिया गया है। वर्ष १९५९ में कुल २.३१ लाख कारतूस बनाये गये जोकि वर्ष १९६१ में बढ़ा कर लगभग १२ लाख कर दिये गये। जनवरी, १९६१ में लगभग २.५ लाख कारतूस बनाये गये और यह आशा की जाती है कि चालू वित्तीय वर्ष में लगभग ३० लाख कारतूस बनाये जायेंगे। एक अतिरिक्त पारी में कारतूस बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(२) "३१५" गोला बारूद :

इस प्रकार के गोला बारूद की समूची असैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये आयुध कारखानों के पास पर्याप्त क्षमता है।

उपरोक्त किस्म के अतिरिक्त आयुध कारखानों में सैनिकों के लिये जो २२" गोला बारूद बनाया जा रहा है वह शीघ्र ही पर्याप्त मात्रा में जनता को बिक्री के लिये दे दिया जायेगा।

भूतपूर्व शासकों के उत्तराधिकारियों को पुश्तनी खिताब

†*८८९. **श्रीमती इला पाल चौधरी :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या भूतपूर्व शासकों के उत्तराधिकारियों के मामलों में 'राजा' 'महाराजा' अथवा 'नवाब' आदि पुश्तैनी खिताबों को मान्यता दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इसका क्या उत्तर दिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) एक राज्य सरकार ने इस बात का स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या ब्रिटिश सरकार द्वारा दिये गये राजा के पुश्तनी खिताब को मूल व्यक्तियों के बेटों को जारी रखने दिया जाये।

(ख) सभा पटल पर दिनांक २२ अक्तुबर, १९५९ के एक परिचालित पत्र की प्रति रखी जाती है जो सभी राज्य सरकारों / संघ प्रशासनों आदि को भेजी गई है और जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है। **[देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

विशेष पुलिस प्रतिष्ठान

†*८९०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधिकार क्षेत्र का विस्तार भारत भर में करने के लिये इस प्रतिष्ठान को व्यापक अधिकार प्रदान करने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस निश्चय के कारण क्या हैं; और

(ग) विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अन्तर्गत सारा देश कब तक आ जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को अब भी सारे भारत भर में कुछ विशिष्ट अधिसूचित अपराधों की, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, १९४६ की धारा ५ और ६ के उपबन्धों के अनुसार सम्बन्धित राज्य सरकारों की सहमति लेकर, भारत भर में जांच करने का अधिकार है। राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करके जब भी आवश्यक हो, अधिसूचित अपराधों की सूची में वृद्धि की जाती है । इस समय भी विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को पर्याप्त रूप से व्यापक अधिकार हैं और कोई व्यापक अधिकार देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

रामानुजम गणित संस्था

†*८९१. **श्री तंगामणि** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामानुजम गणित संस्था मद्रास विश्वविद्यालय को सौंप दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से ;

(ग) विश्वविद्यालय को कितना आवर्तक अनुदान देने का विचार है ;

(घ) इस बारे मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मत क्या है; और

(ङ) क्या रामानुजम के नाम को सम्मानित करने के लिये इस संस्था को अधिक सहायता दी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) यह संस्था मद्रास विश्वविद्यालय को १ नवम्बर, १९५८ को सौंपी गई थी ।

(ग) और (घ) आयोग १ अप्रैल, १९६० से प्रति वर्ष संस्था को ४५,००० रुपये का आवर्ती अनुदान देने को सहमत हो गया है :

(ङ) यदि मद्रास विश्वविद्यालय से इस सहायता में वृद्धि करने की कोई प्रार्थना प्राप्त हुई, तो उस पर उसके गुणोपगुण को ध्यान में रख कर विचार किया जायेगा ।

कच्चे लोहे के उत्पादन के लिये नया तरीका

†*८९२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रजी में

(क) क्या जमशेदपुर की राष्ट्रीय धातवीय प्रयोग शाला में 'लो शाफ्ट फरनेस' विधि द्वारा घटिया किस्म के नान-कोकिंग कोयले की सहायता से मद्रास से प्राप्त सेलम लौह-अयस्क को परीक्षण के रूप में कच्चे लोहे मे परिणित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें से कितने अयस्क का विधायन किया गया ; और

(ग) क्या यह परीक्षण सफल रहा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं। जमशेदपुर में राष्ट्रीय धातवीय प्रयोगशाला में लो शाफ्ट फरने सयंत्र में गलाने के परीक्षण के लिये अभी सेलम लौह अयस्क नहीं मिला है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

रोगाणुनाशी औषधि सम्बन्धी[1] अनुसन्धान

†१६८६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २७६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल रोगाणुनाशी औषधियों (एन्टी बायोटिक्स) के बारे में अनुसंधान करने के लिये एक प्रयोगशाला स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने की और कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की जावेगी; और

(ग) उस पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) से (ग). वर्तमान उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुये रोगाणुनाशी औषधियों (एन्टीबायोटिक्स) में अनुसंधान संस्था की स्थापना के प्रश्न पर योजना आयोग के वैज्ञानिकों के एक दल की समिति ने विचार किया। उस समिति की सिफारिशें अब विचाराधीन हैं।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

†१६८७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०-६१ में अब तक सरकार ने अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में विकास योजनाओं पर कितना धन खर्च किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : वर्ष १९६०-६१ में (जनवरी, १९६१ तक) अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में विकास योजनाओं पर ५९.२५ लाख रुपये खर्च किये गये।

पंजाब में बहुप्रयोजनीय स्कूल

†१६८८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में योजना के आरम्भ होने के समय से अब तक कितने बहुप्रयोजनीय स्कूल खोले गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : १२१।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Antibiotics,

गुरदास पुर जिले में तम्बाकू की खेती

†१६८९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुरदासपुर जिले में तम्बाकू खेती के अधीन क्षेत्र नगण्य है;

(ख) क्या यह सच है कि इस जिले में वाणिज्यिक कार्य के लिये कोई तम्बाकू नही पैदा किया जाता ;

(ग) क्या यह सच है कि तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क से गुरदासपुर जिले को छूट दी गई है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में गुरदासपुर जिले में तम्बाकू से कितना उत्पादन-शुल्क वसूल किया गया ; और

(ङ) तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी कार्य के लिये कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं और उपरोक्त अवधि में इस पर कितना धन खर्च किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). जी, नहीं। गुरदासपुर जिले में तम्बाकू की खेती के अधीन कुल एकड़ भूमि से उसमें शनैः शनैः वृद्धि का पता चलता है और इस जिले में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं और समेकित रूप से खेती होती है और तम्बाकू वाणिज्यिक प्रयोग से पैदा किया जाता है।

(घ)

वर्ष	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क
	(रुपयों में)
१९५७-५८	५१,३४५
१९५८-५९	४६,८८२
१९५९-६०	५८,२९१

(ङ)

वर्ष	नियोजित कर्मचारी	व्यय
		(रुपयों में)
१९५७-५८	३ इन्स्पेक्टर ३ सब-इन्स्पेक्टर ३ सिपाही	२१,६१८
१९५८-५९	२ इन्स्पेक्टर ३ सब-इन्स्पेक्टर २ सिपाही	१६,७२२
१९५९-६०	३ इन्स्पेक्टर ४ सब-इन्स्पेक्टर ३ सिपाही	२५,६९८

उपरोक्त कर्मचारी केवल तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क लगाने के लिये ही नहीं रखे गये थे परन्तु उन्हें इस जिले में पैदा होने वाली अन्य उत्पादन-शुल्क के लायक वस्तुओं पर शुल्क लगाने का भी काम दिया गया।

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में संरक्षित स्मारक

†१६९०. **श्री पांगरकर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने किसी केन्द्रीय संरक्षित प्राचीन स्मारक को मरम्मत तथा संधारण को लेने के लिये महाराष्ट्र सरकार से कहा है, और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूंन् कबिर)** : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार से निम्नलेखित स्मारकों की, जब ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में से निकाल दिये जायेंगे, मरम्मत तथा देखभाल के लिये उचित व्यवस्था करने को कहा गया है :

क्र संख्या	राज्य	जिला	स्थान	स्मारक का नाम
१	महाराष्ट्र	उत्तर सतारा	सतारा	अब सेनापति का घर नामक छत्रपति शाहू महाराज के मूल निवासस्थान की जह
२	,,	नासिक	नासिक	सरकार घर (पुराना पेशवा का घर)
३	,,	अहमदनगर	अहमदनगर	चंगेज़ खां का महल
४	,,	उत्तर सतारा	प्रतापगढ़	अफ़जल खां का मकबरा
५	,,	,,	सतारा	नया राजवाड़ा
६	,,	रत्नगिरी	वेन्गरला	डच कारखाना
७	,,	पश्चिम खानदेश	तावली	एक पुराना कुआं
८	,,	पूना	पूना छावनी	एक ध्वस्त इमारत जो अन्तिम पेशवा के कोतवाल का निवास स्थान कहा जाता है।
९	,,	पूना	कोरेगांव	स्मारक (जीत स्तम्भ)
१०	,,	बम्बई	बांदर	किला
११	,,	शन्दारा	नागरा	महादेव का मन्दिर
१२	,,	पूना	तूलापुर	संगमेश्वर का मन्दिर और घाट
१३	,,	,,	फलगांव	पेशवा का नहाने का घाट

†मूल अंग्रजी में

क्रम संख्या	राज्य	जिला	स्थान	स्मारक का नाम
१४	महाराष्ट्र	पूना	फूलगांव	महादेव का मन्दिर और घाट
१५	,,	,,	तूलापुर	विष्णुवल्लभेश्वर का मन्दिर और घाट
१६	,,	चन्दा	घोसरी	पूर्व की ओर गांव से लगे हुये बड के पेड़ के नीचे महादेव का हेमदपन्थी मन्दिर
१७	,,	उत्तर सतारा	दियोर	विठल और मारू का मन्दिर
१८	,,	,,	करंगा	बादशाह औरंगजेब द्वारा बनाया गया ईटों का स्थान
१९	,,	नासिक	देवलाना	हमदपन्त का मन्दिर
२०	,,	पूर्व खानदेश	आमलमेर	गरगज सीढियां, रक्षा दीवार समेत किले का द्वार

राज्य सरकार से पिछले वर्ष असंरक्षित घोषित किये जाने के बाद निम्नलिखित स्मारकों को लेने को कहा गया था :

क्रम संख्या	राज्य	जिला	स्थान	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण अधिसूचना
१	महाराष्ट्र	चन्दा	भजगांव	महादेव का मन्दिर	संख्या ४३८-एल/ए० बी० दिनांक २३-११-१९२४– केन्द्रीय प्रदेश सरकार
२	,,	,,	नलेश्वर	महादेव का हेमद पन्थी मन्दिर और उसके सामने का बारहमासी झरना	,,
३	,,	,,	कघोली	महाबीर का मन्दिर	,, संख्या ४३८–एल/ए० बी० दिनांक २३-११-१९२४ केंद्रीय प्रदेश सरकार

क्रम संख्या	राज्य	जिला	स्थान	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण अ. सूचना
५	महाराष्ट्र	चन्दा	चन्दा	महादेव का मन्दिर	संख्या सी०-७२/ ए० बी० दिनांक ११-४-१९२५ केन्द्रीय प्रदेश सरकार
६	,,	नासिक	मालगांव	मालगांव का किला	संख्या १२९०.. दिनांक १५...३-१९२७ बम्बई सरकार
७	,,	चन्दा	चन्दा	नगर के जाटपुरा द्वारा के भीतर कुआं	संख्या ६८२-आई/ए० ई० दिनांक १२-११-१९२३ केन्द्रीय प्रदेश सरकार।

औरंगाबाद में संरक्षित स्मारक

†१६९१. **श्री पांगरकर :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०-६१ में औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में प्रत्येक संरक्षित स्मारक के संधारण और विशेष मरम्मत के लिये कुल कितना धन आवंटित किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूंन् कबिर) :**

क्रम संख्या	स्मारक का नाम	वर्ष १९६०-६१ में आवंटित धन-राशि	
		वार्षिक मरम्मत	विशेष मरम्मत
१	२	३	४
१	औरंगाबाद में गुफायें	२,५००	५,५००
२	रबिया दुरानी का मकबरा अथवा बीबी का मकबरा, औरंगाबाद	१४,०००	२२,१५८
३	दौलताबाद का किला	५,५४५	८,५००
४	एल्लोरा की गुफायें	२७,९००	२५,४८०
५	मिथलखोडा की गुफायें	४,२७५	३,०००
६	खुलदाबाद में औरंगजेब का मकबरा	६०	—
७	खुलदाबाद में मलिक अम्बर का मकबरा	५५०	—
८	पैठन में प्राचीन टीला	५०	—
९	अजन्ता की गुफायें	२३,१००	२२,०००

†मूल अंग्रेजी में

टैक्निकल संस्थाओं में स्थान

†१६९२. **श्री पांगरकर :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६९९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाकी राज्यों ने केन्द्र का यह सुझाव मान लिया है कि किसी भी राज्य प्रविधिक संस्था में प्रवेश के लिये एक चौथाई स्थान उस राज्य से बाहिर के विद्यार्थियों के लिये रक्षित कर दिये जायें; और

(ख) यदि नहीं, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने अभी यह सुझाव नहीं माना है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूंन् कबिर)**: (क) और (ख) (१) उड़ीसा और आसाम अन्य राज्यों के लिये कुछ सीटें रक्षित करने को सहमत हो गये हैं।

(२) आंध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र इस सुझाव से सहमत नहीं हैं।

(३) उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू तथा काश्मीर, पश्चिमी बंगाल, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल और मद्रास अभी इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

पंजाब के लिये स्टीम कोयला

†१६९३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में पंजाब को इंडेंटों पर स्टीम कोयले का कितना अभ्यंश आवंटित किया गया है ;

(ख) क्या संभरण नियमित रूप से किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). स्टीम कोयले का कोई पृथक अभ्यंश नहीं है। वर्ष १९६० में पंजाब के लिये सभी किस्मों के कोयले का कुल अभ्यंश ९०,८६० वैगन था और कुल माल ५३,०९९ वैगन भेजा गया।

(ग) संभरण में कमी मुगलसराय के रास्ते परिवहन की कठिनाई के कारण हुई।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण

†१६९४. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के (अलग-अलग) कल्याण के लिये १९५९–६० में केन्द्रीय सरकार ने कितना अंशदान दिया था; और

(ख) उत्तरप्रदेश में विशेष बहु-प्रयोजनीय खंडों की स्थापना के लिये १९५९–६० में केन्द्रीय सरकार ने कितना अंशदान दिया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृहकार्य उप-मंत्री (श्रीमती आल्वा)** : अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

(क) अनुसूचित जातियां ३९.०० लाख रुपये अन्य पिछड़े वर्ग (अधिसूचना से निकाल दी गई आदिम जातियों समेत) १०.०८ लाख रुपये । उत्तर प्रदेश में अनुसूचित आदिम जातियां नहीं हैं ।

(ख) उत्तर प्रदेश में विशेष बहु-प्रयोजनीय खंड नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

†१६९५. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० में (सर्किल वार) उत्तर प्रदेश से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कितनी राजस्व राशि मिली थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३२]**

उत्तर प्रदेश के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का अध्ययन

†१६९६. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१ की जनगणना में जनता के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के विशेष अध्ययन के लिये उत्तर प्रदेश में कौन कौन से गांव चुने गये हैं ?

†**गृहकार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : १९६१ की जनगणना के अन्तर्गत ही उत्तर प्रदेश के राज्य में सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के लिये ५० गांव चुने गये थे, जिनके नाम सूची में संबद्ध हैं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३३]**

उत्तर प्रदेश में अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आवास योजनाएं

†१६९७. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में अब तक उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये आवास योजनाओं के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ; और

(ख) क्या आवंटित धनराशि पूरी पूरी व्यय की जा चुकी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है।

(क) १२ लाख रुपये ।

(ख) जी, हां ।

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा

†१६९८. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन और उन्नति के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में इस कार्य के लिये उत्तर प्रदेश को कुल कितनी धनराशि दी गई थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) १९५९–६० के अन्त तक १,०७,००,९८५ रुपये स्वीकार किये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक

†**१६९९. श्री सरजू पांडेय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० के अन्त तक जिलेवार उत्तर प्रदेश में कितने भूतपूर्व सैनिक हैं ; और

(ख) इनमें से कितने जिलेवार नियुक्त हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है । केवल यह जानकारी उपलब्ध है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवा में कितने भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति मिल गई है । मई, १९५१ से दिसम्बर, १९६० तक की अवधि की उनकी संख्या ११,२३२ है ।

खेल कूद का विकास

†**१७००. श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री ८ मई, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में क्रियान्विति के लिये देश में खेलकूद के विकास के लिये योजनायें बनाने के लिये नियुक्त समिति के प्रतिवेदन के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ख) इस बारे में क्या प्रगति की गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में खेलकूद की उन्नति के लिये समिति ने १२ करोड़ रुपये के प्राक्कलन बनाये हैं । ब्यौरे नीचे दिये जाते हैं :—

क्रियान्विति के लिये योजनायें जिनकी सिफारिश की गई है	प्राक्कलन
	(रुपये लाखों में)
१. खेलकूद की राष्ट्रीय संस्था की स्थापना	८०
२. राष्ट्रीय खेलकूद प्रशिक्षण योजना .	२१५
३. विभिन्न कार्यों के लिये राष्ट्रीय खेलकूद फेडेरेशन को अनुदान .	८०
४. स्टेडियम और खेलकूद ग्राम का निर्माण .	३००
५. शिक्षा संस्थाओं को खेल के मैदान और सामान	४२५
६. देहाती क्षेत्रों में खेलकूद का प्रचार . . .	५६
७. संगठन व्यय के लिये राष्ट्रीय खेलकूद फेडेरेशन/संस्थायें तथा राज्य खेलकूद परिषदों को अनुदान . .	२८
८. उपरिलिखित योजनाओं में न आने वाली योजनाओं पर व्यय	१६

मूल अंग्रेजी में

(ख) योजना आयोग के परामर्श से अस्थाई रूप में स्वीकृत निम्न योजनायें हैं :—

स्वीकृत योजनायें	प्राक्कलन (रुपये लाखों में)
१. खेलकूद की राष्ट्रीय संस्था की स्थापना . . .	५०
२. राष्ट्रीय खेलकूद प्रशिक्षण योजना . . .	२५
३. संगठन व्यय तथा अन्य विभिन्न कार्यों के लिये राष्ट्रीय खेलकूद फेडेरेशन को अनुदान	३५
४. स्टेडियम बनाने के लिये सहायता .	१०
५. नई दिल्ली में खेलकूद ग्राम का प्रारम्भिक विकास . .	१५
जोड़	रुपये १३५ लाख

तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्राम्य क्षेत्रों की शिक्षण संस्थाओं के लिये खेल के मैदान, खेल के सामान तथा खलकूद के प्रचार के लिये वित्तीय सहायता देने की योजनाये राज्यों को हस्तांतरित कर दी गई हैं ।

दिल्ली में कुत्तों द्वारा अपराधों का पता लगाया जाना

†१७०१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ८ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८३८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में अपराधों का पता लगाने के लिये कुत्तों के प्रयोग के क्या परिणाम हुये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : दिल्ली पुलिस को अब तक २ कुत्ते मिल पाये हैं । इन कुत्तों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और लगभग एक वर्ष बाद वह अपराधों का पता लगाने योग्य हो पायेंगे ।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को ऋण

†१७०२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ८ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८३९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी (टिस्को) और इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (इस्को) को कितना ऋण पेशगी दिया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :

	रुपये
१. टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड . .	१००,०००,०००
२. इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड . .	१०१,८२६,४७६

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में केन्द्रीय राजस्व आय

†१७०३. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० में आसाम (जिलेवार) से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से कितनी राजस्व आय हुई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : उपलब्ध जानकारी दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३४]**

आसाम में आयकर की बकाया रकम

†१७०४. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम में १ जनवरी १९६१ को आयकर के बकाया की धनराशि क्या थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : १ जनवरी, १९६१ को आसाम में आय-कर के बकाया १,१६,०१,००० रुपये थे ।

सैनिक

†१७०५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ में सैनिकों ने मूल वेतन, महंगाई भत्ता, वस्त्र भत्ता तथा अन्य भत्ते कितने लिये ;

(ख) १९५३ में इन्हीं शीर्षों के अधीन पहले तथा दूसरे ग्रेड के सैनिकों के वेतन क्या थे ;

(ग) १९६० में इन्हीं शीर्षों के अधीन वेतन क्या थे ; और

(घ) स्वतंत्रता से पूर्व सेवा के अन्त में सैनिक को अधिकतम पारिश्रमिक कितना मिलता था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण संलग्न है । **[देखियें परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३५]**

(घ) स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले एक पैदल सैनिक का अधिकतम पारिश्रमिक (वेतन, वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता) ५२.५० रुपये मासिक थे ।

पंजाब में कालिज की शिक्षा

†१७०६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य सरकार ने वर्तमान कालिजों में सुविधायें देने के लिये तथा नये कालिज खोलने के लिये शिक्षा संबंधी सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति ने उनके अनुरोध पर विचार कर लिया है और क्या निर्णय किए हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिलासपुर टाउनशिप

†१७०७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में निर्माण और पुनर्वास कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ख) अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है और उपयोग में लाई गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा रद्दी लोहे की बिक्री

†१७०८. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ तथा १९६० में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने कितनी मात्रा में रद्दी लोहा (स्कल स्क्रैप) बेचा है ; और

(ख) रद्दी लोहे (स्कल स्क्रैप) के बेचने में क्या तरीका अपनाया गया और उसकी बिक्री से कितना राजस्व मिला ?

†**इस्पात. खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) लगभग ४८०० टन ।

(ख) खरीदारों से बातचीत करके उसे बेचा गया था । इसकी बिक्री से लगभग ५१०,००० रुपये मिले थे ।

रद्दी लोहे का दुरुपयोग

†१७०९. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्क्रैप एसोसियेशन ने कहा है कि १ नम्बर की किस्म की चादरों की कतरनों के निर्यात पर प्रतिबन्ध होने के कारण, उसका देश में बहुत दुरुपयोग हो रहा है ;

(ख) क्या यह भी बताया गया है कि १९५८ से १९६० तक १ नम्बर की किस्म की चादरों की कतरनों के दुरुपयोग के कारण अनुमानत: ५० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो देश में इस स्क्रैप की एकमात्र उपभोक्ता, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, के सुझाव के अनुसार इसके असीमित निर्यात की अनुमति देने के बारे में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

†**इस्पत, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जी हां । स्क्रैप व्यापारी तथा निर्यातक संस्था, बम्बई से एक अभ्यावेदन मिला है ।

(ग) सरकार ने विभिन्न प्रकार के स्क्रैप को निबटाने के बारे में एक समिति का गठन करने का निर्णय किया है । वह समिति इस प्रश्न पर विचार करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रद्दी लोहे के निर्यात संबंधी नीति

†१७१०. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रद्दी लोहे (फैरस स्क्रैप) की निर्यात नीति के अन्तर्गत १९५८ से नम्बर २, २ए तथा ३ किस्म की चादरों की कतरनों के निर्यात की अनुमति है और १:१० के अनुपात से नम्बर १ किस्म की चादरों की कतरन के १ टन के निर्यात की अनुमति है ;

(ख) क्या यह सच है कि मैसूर आयरन स्टील वर्क्स द्वारा 'आपत्ति नहीं' प्रमाण-पत्र न देने के कारण बम्बई/मद्रास के निर्यातकों को इस नीति के कारण निर्यात करने में सफलता नहीं मिल रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि 'आपत्ति नहीं' प्रमाणपत्र देन से इन्कार कर देने के कारण मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स को रद्दी लोहा नहीं मिलता है ;

(घ) क्या यह सच है कि मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स ने वास्तविक स्थिति समझने के बाद 'आपत्ति नहीं' प्रमाणपत्र देना स्वीकार कर लिया है ;

(ङ) क्या यह सच है कि मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स द्वारा 'आपत्ति नहीं' प्रमाणपत्र देने से इन्कार करने की वर्तमान स्थिति के बावजूद लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने इस मामले में सहमति नहीं दी है ; और

(च) क्या हमारी विदेशी मुद्रा की आय नहीं बढ़ जायेगी यदि इस समय की प्रक्रिया के अनुसार नम्बर १ किस्म की चादरों की कतरनों में जंग लग जाने के बाद उनको नम्बर २ किस्म की चादरों की कतरनों के रूप में किये जाने वाले निर्यात को कम करके मद्रास/बम्बई के निर्यातकों को नम्बर १ किस्म की चादरों के कटिंग के लोहे को निर्यात करने की अनुमति दे दी जाये ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स ने बताया है कि उनको नवम्बर १ किस्म की चादरों की कतरनों को निर्यात करने के प्रस्ताव निर्यातकों से नहीं मिले हैं । इसलिए 'आपत्ति नहीं' प्रमाणपत्र देने से इन्कार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(घ) से (च). रद्दी लोहे के सभी मामलों, निर्यात समेत, पर विचार करने के लिए सरकार एक समिति नियुक्त करने का विचार कर रही है । यह समिति इस मामले पर भी विचार करेगी ।

जमशेदपुर आदि के इंजीनियरिंग कालिज और इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी, कानपुर

†१०११. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमशेदपुर, वारंगल, श्रीनगर, भोपाल, इलाहबाद के इंजीनियरिंग कालिज और इंडियन इन्स्टीटयूट आफ टेक्नालाजी, कानपुर को क्या कोई विशिष्ट अनुदान दिये गये हैं;

(ख) क्या भारत सरकार ने भवन निर्माण के लिए कोई विशिष्ट अनुदान दिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन कालिजों अथवा संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों में वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय का कौन प्रतिनिधि है तथा यह प्रतिनिधि कितनी बैठकों में उपस्थित हुआ है; और

(घ) ऐसे प्रतिनिधि की प्रविधिक अर्हतायें क्या हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) और (ख). इन प्रादेशिक कालिजों तथा कानपुर संस्था को ३८.५५ रुपये का अनुदान स्वीकार किया गया है। इसमें से ५.० लाख रुपया केवल भवनों के लिए है।

(ग) मंत्रालय के प्रतिनिधि निम्नलिखित हैं :—

१. प्रादेशिक कालिज, श्रीनगर	प्रोफसर एम० एस० ठक्कर, सचिव तथा शैक्षिक सलाहकार (प्रविधिक)
२. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी, कानपुर	श्री जी० के० चन्द्रमणि, संयुक्त शैक्षिक सलाहकार (टेक्नीकल) तथा संयुक्त सचिव
३. वारंगल, जमशेदपुर, भोपाल, और इलाहाबाद के प्रादेशिक कालिज	श्री एल० एस० चन्द्रकान्त, उप शैक्षणिक सलाहकार (टैक्नीकल)

जब इन में से कोई पदाधिकारी किसी बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता है तो मंत्रालय का अन्य कोई पदाधिकारी इन बैठकों में उपस्थित हो जाता है।

प्रतिनिधियों अथवा उनके प्रतिनिधि गवर्नरों के बोर्ड की १६ बैठकों में उपस्थित रहे हैं।

(घ) इंजीनियरिंग/टक्नौलाजीविज्ञान में अर्हता प्राप्त प्रविधिक पदाधिकारी ही मंत्रालय के प्रतिनिधि उनमें होते हैं।

इंजीनियरिंग कालिजों तथा टेक्नालोजी की संस्थाओं को सहायता

†१७१२. श्री वें० प० नायर : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार इसका किस प्रकार पता लगाती है कि केन्द्र द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कालिजों तथा टैक्नालाजी की संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता का उचित उपयोग होता है;

(ख) केन्द्र द्वारा दिये गये धन का दुरुपयोग रोकने के लिए भारत सरकार क्या नियंत्रण लगाती है; और

(ग) क्या केन्द्र सहायता द्वारा व्यय किये गये धन के लेखों की लेखापरीक्षा भी भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) और (ख). केन्द्र द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कालिजों के गवर्नरों के बोर्डों का गठन किया गया है और उनमें केन्द्रीय सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं। इन में से एक प्रतिनिधि राज्य सरकार के वित्त विभाग का होता है। बोर्ड के सभापति केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से नियुक्त होते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी

उच्च टैक्नालाजिकल संस्थाओं के गवर्नरों के बोर्डों में केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि होते हैं जिनमें एक प्रतिनिधि वित्त मंत्रालय का होता है।

गवर्नरों के बोर्डों द्वारा बनाये गये तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत प्राक्कलनों के आधार पर समय-समय पर धन की व्यवस्था की जाती है। संस्थायें व्यय का विवरण भी देती हैं। जिसकी जांच केन्द्रीय सरकार करती है।

(ग) उच्च टैक्नालाजिकल संस्थाओं के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक तथा लेखापरीक्षक करते हैं। प्रादेशिक कालिजों के लेखों की लेखापरीक्षा महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी, कानपुर

†१७१३. **श्री ई० प० नायर :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी, कानपुर ने अपना भवन निर्माण कार्यक्रम बना लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या भवन कार्यक्रम, भवन समिति ने बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो भवन समिति के सदस्य कौन कौन हैं तथा उसमें संघ मंत्रालय के कौन प्रतिनिधि हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) से (घ). जी नहीं। संस्था की भवन और निर्माण समिति द्वारा भवन कार्यक्रम बनाया जा रहा है। समिति में निम्न सदस्य हैं :

१. श्री चन्द्रभानु गुप्त, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	(सभापति)
२. वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि (श्री जी० के० चन्द्रमणि)	(सदस्य)
३. वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि (श्री गुरदेव सिंह)	(,,)
४. चीफ इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	(,,)
५. चीफ इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (उत्तर प्रदेश) अथवा उनके प्रतिनिधि	(,,)
६. सभापति द्वारा नाम निर्देशित कोई कानपुर का निवासी	(,,)
७. संस्था के निदेशक	(,,)

बिहार में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक

†१७१४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने बिहार सरकार को सहायता दी थी कि उसके राज्य के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन बढ़ाये जायें;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी गई थी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस सहायता का उपयोग किया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने ५० प्रतिशत तक अतिरिक्त व्यय की सहायता देना स्वीकार कर लिया है। इससे प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन भी बढ़ाये जा सकते हैं।

(ग) जी हां ।

पंजाब में अपंगों की शिक्षा

†१७१५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में अपंगों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा नियुक्ति के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में पंजाब सरकार को कोई धनराशि दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो वर्षवार कितनी धनराशि दी गई ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख) १९५६–५८ में 'पानीपत में अंधों की संस्था की स्थापना' योजना की क्रियान्विति के लिए पंजाब सरकार को ८६,०५० रुपये दिये गये हैं। दूसरी योजना के शेष वर्षों की जानकारी नहीं है क्योंकि पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार चार प्रकार की निम्न योजनाओं के लिए अनुदान दिया जाता है। प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा तथा अन्य शैक्षिक योजनायें।

कोयले का उत्पादन

†१७१६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी उद्योग क्षेत्र में १ नवम्बर, १९६० से २८ फरवरी, १९६१ तक कोयले का कितना उत्पादन हुआ ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख टनों में)

	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानें	सिगरेंनी की कोयला खानें	योग
नवम्बर, १९६० . . .	६.१	२.२	८.३
दिसम्बर, १९६०	६.७	२.६	९.३
जनवरी, १९६१	१०.४	२.२	१२.६
फरवरी, १९६१	१०.८	२.१	१२.९

†मूल अंग्रेजी में

जम्मू तथा काश्मीर में समाज कल्याण विस्तार योजना

†१७१७. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१ में जम्मू तथा काश्मीर राज्य को समाज कल्याण विस्तार परियोजनाओं और सामाजिक तथा नैतिक सदाचार तथा बाद की देखभाल कार्यक्रम के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: जम्मू तथा काश्मीर राज्य में समाज कल्याण विस्तार परियोजनाओं के लिए १९६०–६१ में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से १.२२ लाख रुपये दिये गये थे। सामाजिक तथा नैतिक सदाचार और बाद की देखभाल के कार्य म के लिए अभी तक कोई राशि नहीं दी गई है क्योंकि काश्मीर सरकार पूरी जानकारी का संभरण नहीं कर सकी है।

राज्य सरकार से आवश्यक जानकारी मिलते ही राज्य सरकार द्वारा किये गये कुल व्यय के ५० प्रतिशत की दर से भारत सरकार की सहायता (इस वर्ष अथवा अगले वर्ष के प्रारम्भ में) उपलब्ध कर दी जायेगी।

उड़ीसा के पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोग

†१७१८. **श्री कुम्भार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पुलिस विभाग की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जाति के लिए संरक्षित कोटा अभी तक भरा जा चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन जातियों तथा आदिम जातियों को सेवाओं में नियुक्ति के लिए क्या विशेष अधिमान्यता दी जा रही है;

(घ) उस विभाग में अभी तक कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है; और

(ङ) उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ङ). सूचना उड़ीसा की राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा के विद्यार्थी

†१७१९. **श्री कुम्भार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) उड़ीसा के कितने विद्यार्थी इस समय राज्य और केन्द्र की वित्तीय सहायता से राज्य के बाहर पढ़ रहे हैं;

(ख) उनको राज्य तथा केन्द्र द्वारा १९६०–६१ में अभी तक किस प्रकार की वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) उनमें से कितने विद्यार्थी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३६]

योगिक व्यायाम की संस्थायें

†१७२०. श्री हेम राज : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों अर्थात् १९५६–५७ से १९६०–६१ तक योगिक व्यायाम की कितनी और किन किन संस्थाओं को, राज्य वार, अनुदान दिये गये थे;

(ख) क्या बम्बई की योग संस्था, सांताक्रुज़ द्वारा किसी अनुदान के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसे कितनी राशि दी गई थी ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) महाराष्ट्र २ :

(१) कैवल्यधाम श्रीमान् माधव योग मन्दिर, समिति, लोनावला।

(२) योग संस्था, सान्ताक्रुज, बम्बई।

जम्मू तथा काश्मीर १ :

विश्वयत्न योग आश्रम कटरा वैष्णव देवी (जम्मू)

दिल्ली २।

(१) विश्वयत्न योग आश्रम, नई दिल्ली

(२) योग प्रसार समिति योग आश्रम, मन्दिर लेन, रीडिंग रोड, नई दिल्ली

राजस्थान १ :

प्राकृतिक चिकित्सालय, गांधीनगर, जयपुर

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) ५००० रुपये।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कृषि सम्बन्धी सहायता

†१७२१ श्री कुम्भार : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को खेती के प्रयोजनों के लिए किस प्रकार की सहायता दी जा रही है;

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अभी तक वर्षवार कितने व्यक्तियों को ऐसी सहायता जिला-वार दी गई है;

(ग) ऐसी सहायता के लिए कितने प्रार्थनापत्र, जिला-वार, विचाराधीन हैं;

(घ) इन प्रार्थनापत्रों के निपटारे में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) उसके निपटारे के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में :

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती अल्वा): (क) से (ङ). सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें

†१७२२. श्री पांडेकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में १ अप्रैल, १९६० से ३१ दिसम्बर, १९६० तक कितनी लेख याचिकाओं का निपटारा किया गया तथा वे किस प्रकार की थीं; और

(ख) कितनी याचिकायें इस समय निपटारे के लिए पड़ी हुई हैं ?

†गृह-कार्य राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). एक विवरण जिसमें (१) बम्बई के उच्च न्यायालय द्वारा १ मई, १९६० से, जबकि नये महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था, ३१ दिसम्बर, १९६० तक निपटाई गई लेख याचिकाओं की संख्या और प्रकृति और (२) १ जनवरी, १९६१ को विचार हेतु पड़ी हुई लेख याचिकाओं की संख्या दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३७]

आदिम जातीय कल्याण निधि

†१७२३. श्री पांडेकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में किसी गैर-सरकारी संगठन को वर्ष १९६०–६१ में आदिम जातीय कल्याण निधि में से कोई राशि दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में किन किन संगठनों को धन दिया गया है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती अल्वा) : (क) आदिम जातीय कल्याण निधि का निर्देश स्पष्ट नहीं है । राज्य के बजट में अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए रखी गई राशि में से गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान दिये गये हैं ।

(ख) वर्ष १९६०–६१ में जिन संगठनों को रुपया दिया गया है उनके नाम निम्नांकित हैं :

१. आदिवासी विकास केन्द्र, बाबलाई, जिला पश्चिम निमाड़;

२. मध्यभारत सेहरिया सेवा संघ, लश्कर;

३. कस्तूरबा कन्या आश्रम, निवाली;

४. ग्राम भारती आश्रम, तबलाई;

५. आदिवासी सेवा संघ, भोपाल;

६. वनवासी सेवा मण्डल, मंडला;

७. भारतीय बाल कल्याण परिषद;

८. महाकोशल क्षेत्र की १७ जनपद सभायें; और

९. मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, उज्जैन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग चलाया जाना

†१७२४. श्री पांगरकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में १९६०-६१ में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाये गये हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : सूचना एकत्रित की जा रही है और कालान्तर में लोक-सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत-पाक वित्तीय वार्ता

†१७२५. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या वित्त मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान स्थित भारतीय समवायों और व्यापारियों के लाभ के स्वदेश-प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में पाकिस्तान के साथ हो रही वार्ता में और क्या प्रगति हुई है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : कोई अग्रेतर प्रगति नहीं हुई है ।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†१७२६. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या गृह-कार्य मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २०८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सहायक आयुक्तों के प्रादेशिक कार्यालयों के वर्तमान संगठन के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आलवा) : (क) और (ख). मामला अभी भी विचाराधीन है ।

चोरी छिपे लाये गये ट्रांजिस्टर (रेडियो सेटों) का पकड़ा जाना

†१७२७. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छै महीनों में भारत में चोरी छिपे लाय गये कितने ट्रांजिस्टर पकड़े गये और तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध कितने मामले दायर किये गये ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : भारत में १ जुलाई से ३१ दिसम्बर, १९६० तक की अवधि में कस्टम, लैण्ड कस्टम और केन्द्रीय एक्साइज प्राधिकारियों द्वारा चोरी छिपे लाये गये ११७ ट्रांजिसटर रेडियो सेट पकड़े गये थे । तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध ८० मामले दायर किये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अध्यापक

†१७२८. श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार अ० सि० सहगल :

क्या शिक्षा मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के शिक्षा निदेशालय के ८३ अध्यापकों को, जिनकी ५ वर्ष की निरन्तर और अनुमोदित सेवा है, अर्ध-स्थायी घोषित करने के मामलों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ८३ व्यक्तियों में से ४ व्यक्तियों का अर्ध-स्थायी स्तर मंजूर किया जा चुका है । अन्य २१ व्यक्तियों को अर्ध-स्थायी स्तर प्रदान करने के लिए आदेश जारी किये जा रहे हैं । तीन मामलों में अर्ध-स्थायी स्तर मंजूर नहीं किया जा सका क्योंकि उनका कार्य संतोषजनक नहीं था और उनके मामलों का १ साल बाद पुनर्विलोकन किया जायेगा । शेष ५५ व्यक्तियों को डाक्टरी परीक्षा के लिए भेजा गया है और उनके मामलों के सम्बन्ध में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय किये जाने की आशा है ।

रूसी तेल

†१७२९. श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २९ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १००० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में रूसी तेल के टेंकर के बम्बई से कोचीन भेज दिये जाने के कारण कितना अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा था ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : मेसर्स इंडियन आयल कम्पनी ने कुछ हाई स्पीड डीजल तेल बम्बई से कोचीन भेजने के लिये नवम्बर, १९६० में दोनों पक्षों को स्वीकार्य और उचित भाड़े के भुगतान पर रूसी टेंकर का उपयोग किया था । कम्पनी से अपने वाणिज्यिक लेन देन के ब्योरे को प्रकट करने की आशा नहीं की जानी चाहिए ।

मद्य निषेध

१७३०. श्री भक्त दर्शन : क्या गृह-कार्य मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति ने अपनी १२ व १३ नवम्बर, १९६० की बैठकों में जो सिफारिशें की थीं, उन्हें कार्यान्वित करने की दिशा में विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रीय प्रशासनों ने अब तक क्या प्रगति की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : अब तक तीन राज्य सरकारों तथा दिल्ली मणिपुर व त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त हुए हैं । सूचना पूरी इकट्ठी हो जाने पर विभिन्न राज्यों में की गई कार्यवाही का विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

मंत्रियों को यात्रा तथा दैनिक भत्ता

१७३१. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों को वर्ष १९५९–६० में कितना यात्रा भत्ता दिया गया; और

(ख) क्या उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी ने अपने वेतन तथा भत्ते में स्वेच्छा से कोई कटौती की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) ६,४३,८६३ रुपये ।

(ख) जी हां ।

पिछड़े वर्गों के विकास के लिये स्वयंसेवी संस्थायें

†१७३२. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ७ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन सी स्वयंसेवी संस्थायें हैं जिन्हें उनके मंत्रालय द्वारा वित्तीय अनुदान दिये गये हैं और जिन्होंने अभी तक अपने १९५९–६० के व्यय सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश नहीं किये हैं;

(ख) क्या उनको पिछड़े वर्गों के लिए विकास कार्य के लिए राशि मंजूर करते समय कोई शर्त रखी गई थी; और

(ग) यदि वे बढ़ाई गई समयावधि में भी व्यय सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश नहीं कर पाते हैं तो सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) जिन गैर सरकारी संगठनों को १९५९–६० में प्रत्यक्ष सहायतार्थ अनुदान दिये गये थे उन सब ने अपने लेखे पेश कर दिये हैं ।

(ख) अनुदान से सम्बद्ध शर्तों तथा निबन्धनों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३८**]

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय सरकार की उपक्रमों में यूनियनों की मान्यता

†१७३३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में यूनियनों को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में कोई नियम बनाये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ये नियम पुराने नियमों से किस प्रकार भिन्न हैं; और

(ग) क्या उन यनियनों को पुनः मान्यता दे दी गई है जिनकी मान्यता जलाई, १९६० की आम हड़ताल के बाद रद्द कर दी गई थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) कोई नये नियम नहीं बनाये गये हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

बरौनी के तेल साफ करने के कारखाने में रेलवे साईडिंग

†१७३४. { **श्री नथवानी :**
श्री मुरारका : }

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी के तेल साफ करने के कारखाने में अस्थायी रेलवे साईडिंग बनाने में कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ख) क्या रेलवे साईडिंग के निर्माण का कार्य चालू हो गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). अस्थायी रेलवे साईडिंग के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु एक स्थायी रेलवे साईडिंग का उपबन्ध ३६,९४,८८६ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है जिसका कार्य प्रारम्भ हो गया है।

सोना पकड़ा जाना

†१७३५. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९६० में कस्टम अधिकारियों द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा अन्य पत्तनों में करोड़ों रुपये का चोरी छिपे लाया गया सोना पकड़ा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). भारत में १९६० में कस्टम, लेंड कस्टम और केन्द्रीय एक्साइज़ प्राधिकारियों द्वारा लगभग १,१९,३०,००० रुपये का सोना पकड़ा गया था। कलक्ट्रेट-वार आकड़े नीचे दिये हुए हैं :—

कलक्ट्रेट का नाम	पकड़े गये सोने का मूल्य रुपयों में
कस्टम कलक्टर, बम्बई	४४,१३,७१८
कस्टम कलक्टर, कलकत्ता	४७,९९,५३२
कस्टम कलक्टर, मद्रास	१,६७,७७२
कस्टम कलक्टर, कांडला	..

†मूल अंग्रेजी में

कलक्ट्रेट का नाम	पकड़े गये सोने का मूल्य रुपयों में
कस्टम कलक्टर, विशाखापटनम्	५,२२७
कस्टम एवं केन्द्रीय एक्साइज़ कलक्टर, कोचीन	१२,९०३
कस्टम एवं केन्द्रीय एक्साइज़ कलक्टर, पांडिचेरी	२५,६२५
केन्द्रीय एक्साइज़ कलक्टर, बम्बई	११,६४,१००
केन्द्रीय एक्साइज़ कलक्टर, कलकत्ता और उड़ीसा, कलकत्ता	
केन्द्रीय एक्साइज़ कलक्टर, मद्रास	२,५३,०८१
केन्द्रीय एक्साइज़ कलक्टर, दिल्ली	३,८१,०२८
केन्द्रीय एक्साइज़ कलक्टर, बड़ौदा,	९,६८५
केन्द्रीच एक्साइज़ कलक्टर, पटना	..
केन्द्रीय एक्साइज़ कलक्टर, शिलांग	९३,७४५
केन्द्रीय एक्साइज़ कलक्टर, बंगलौर	५,९००
केन्द्रीय एक्साइज़ कलक्टर, इलाहाबाद	९३,०००
केन्द्रीय एक्साइज़ कलक्टर, हैदराबाद	८०,०००
केन्द्रीय एक्साइज़ कलक्टर, नागपुर	४,०००
केन्द्रीय एक्साइज़ कलक्टर, पूना	५,८४०
केन्द्रीय एक्साइज़ तथा लेंड कस्टम्स कलक्टर, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता	१,१४,८१४

अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधायें

†१७३६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकारों को दूसरी पंचवर्षीय योजना में अभी तक अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं के विस्तार की केन्द्र द्वारा घोंषित योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि (राज्य-वार) दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : १९५९–६० में राज्य सरकारों को कुल ८५,००,००० रुपये की राशि मंजूर की गई थी जिसका विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३९]** १९६०–६१ के लिए मंजूरियां जारी की जा रही हैं । बजट उपबन्ध २७५ लाख रुपये है और उसके पूरी तरह काम आ जाने की आशा है ।

प्रतिरक्षा सेवा अधिकारियों के वेतनक्रम

†१७३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा सेवा अधिकारियों के वेतनक्रमों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में रघुरामैया समिति की शेष सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच में क्या प्रगति हुई है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). तीनों सेवाओं के विभिन्न श्रणियों के अधिकारियों के मूलस्थायी पदों के पुनरीक्षित वेतनक्रमों का आकलन किया गया है । पुनरीक्षित वेतनक्रमों के लागू किये जाने के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न अभी भी विचाराधीन हैं ।

रेलवे के लिये विदेशी मुद्रा

†१७३९. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री म० मो० गांधी :
श्री अगाड़ी :
श्री वोडयार :
श्री सुगन्धि :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री क० उ० परमार :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में रेलवे को कुल कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई और तीसरी योजना में उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा आवण्टित करने का विचार किया जा रहा है; और

(ख) सड़क परिवहन को सड़क/पुल निर्माण, मोटरगाड़ी निर्माण, सहायक उद्योगों तथा खुले पुर्जों के लिए अलग अलग इन दो योजना अवधियों में कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई अथवा मंजूर करने का विचार किया जा रहा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). एक विवरण, जिसमें रेलवे तथा सड़क परिवहन को दूसरी योजना में आवण्टित विदेशी मुद्रा की राशियां दी गई हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४०**] जहां तक तीसरी योजना का सम्बन्ध है, इन कार्यक्रमों के लिए आवण्टित की जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि बताना सम्भव नहीं है क्योंकि वह अनेक बातों पर निर्भर है, विशेषकर समय समय पर विदेशी मुद्रा की स्थिति और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध होने वाली विदेशी सहायता की राशि ।

मंहगाई भत्ते का वेतन के साथ मिलाया जाना

†१७४०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल वेतन के साथ संपूर्ण मंहगाई भत्ता मिला देने के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित करना कुछ श्रेणियों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले उचित नहीं समझा गया और इस कारण मंहगाई भत्ते का केवल एक हिस्सा ही मिला दिया गया ;

(ख) यदि हां यह किन श्रेणियों के कर्मचारियों के मामले में आ ; और

(ग) मंहगाई भत्ते का कौनसा हिस्सा उनके मल वेतन में मिलाया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग). वेतन आयोग ने जिन संशोधित वेतन-क्रमों की सिफारिश की है, वे वेतनक्रम ३०० रुपये या उससे अधिक मूल वेतन लेने वाले कर्मचारियों के संबंध में, पुरानी दर पर, मंहगाई भत्ते की संपूर्ण रकम मिलाकर और ३०० रुपये माहवार से कम मूल वेतन लेने वाले कर्मचारियों के मामले में अधिकतर भत्ता मिलाकर बनाये गये हैं। यह सिफारिश स्वीकार की गयी है और सरकार ने उसमें कोई परिवर्तन किये बिना उसे कार्यान्वित किया है ।

जन गणना

१७४१. श्री विभूति मिश्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के धनवाद क्षेत्र के गांवों में लोक सेवक संघ के सदस्य लोगों से जनगणना में कोई भाषा विशेष लिखवाने का प्रचार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार सही गणना करवाने के लिये क्या कर रही है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) और (ख). ऐसे कुछ मामले सामने आये हैं। फिर भी ऐसी चेष्टाओं का जनगणना करने वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें मातृभाषा और बोली दोनों को लिखने के बारे में कड़े आदेश दिये गये हैं। उन्होंने सब जगहों पर इन आदेशों के अनुसार ही कार्य किया है ।

औद्योगिक इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिये केन्द्रीय शाला

†१७४२. श्री आसर : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है यक सरकार ने बम्बई में औद्योगिक इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्रीयशाला (इंस्टिट्यूट) स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस शाला का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वह कब से चालू हो जायगी ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) विस्तृत योजना की प्रति सभा के पुस्तकालय में रख दी गयी है। इस शाला का मुख्य कार्य यह है कि उद्योगों तथा अन्य संगठनों के कनिष्ठ पदाधिकारियों, वरिष्ठ निरीक्षक कर्मचारियों और तकनीकी व्यक्तियों को औद्योगिक इंजीनियरी के सिद्धान्तों और कार्य प्रणालियों का शिक्षण दिया जाये और उस क्षेत्र में व्यावहारिक अनुसंधान कराये जायें।

(ग) ज्योंही प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था हो जायगी, यह शाला चालू हो जायगी

†मूल अंग्रेजी में

जोधपुर में इमारतों में दरारें

†१७४३. श्री रघुनाथ सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोधपुर शहर (राजस्थान) में एक रहस्यपूर्ण भूगर्भीय घटना हुई जब कि कई इमारतों और दूसर जगहों पर दरारें देखी गयीं ; और

(ख) यदि हां तो क्या स मामले में कोई जांच की ग ी है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जोधपुर शहर में सोनारो की-घट्टी में कुछ इमारतों में दरारे पड़ने या उनके स जाने के कारण मालूम करने के लिए भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने जांच पड़ताल किये हैं। इसमें कोई रहस्य नहीं है जैसा कि जांच पड़ताल के परिणाम से स्पष्ट है ।

१७ और २१ दिसम्बर, १९६० के बीच सोनारों-की-घट्टी में कुछ मकानों में दरारे पड़ गयी यह बताया जाता है। ये मकान ढाल पर एक तंग गली के एक ओर है और ४५ मीटर ऊंचे स्कै से १२५ मीटर दक्षिण की ओर है। गली के पश्चिम की ओर २७ मीटर लंबाई और २० मीटर चौड़ाई के क्षेत्रफल में इन मकानों की दीवारों, छतों और फर्शों में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगीं । इस ब्लाक में सात मकानों और उनके पीछे तीन मकानों को नुक्सान पहुंचा । ढाल के ऊपरी या निचले सिरे के मकानों में कोई दरारें या नुक्सान नहीं हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि दरारों का कारण बहुत ही सीमित क्षेत्र तक प्रभावी था ।

३.१ मीटर की अ कतम गहराई के परीक्षणात्मक गड्ढे खोदने से यह पता चला है कि उन इमारतों की नींव के नीचे बिल्कुल पोली मिट्टी थी। जमीन में १७ से २३ प्रतिशत के बीच पानी की मात्रा बहुत अधिक थ ।

मनीपुर में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

†१७४४. श्री ले० अचौ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा रेंगे कि :

(क) १९५० के बाद पुलिस ने मनीपुर में निहत्थी भीड़ पर कितनी बार गोली चलायी ; और

(ख) उनमें से कितने मामलों में अभी तक अदालती जांच की गयी ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) १९५० के बाद मनीपुर के विभिन्न भागों में पुलिस आक्रमण का ी भीड़ पर १० बार गोली चलाने के लिए बाध्य हुई। इन सभी अवसरों पर प्रदर्शनकारी विभिन्न प्रकार के हथियारों जैसे बन्दूक, भाला, तलवार या लाठी आदि से लैस थे या उन्होंने ईंट, पत्थर, बोतल आदि से पुलिस पर हमला लिया ।

(ख) गोली चलाने के इन मामलों में कोई अदालती जांच नही की गयी है लेकिन हर मामले में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या चीफ़ कमिश्नर ने जांच की है।

पश्चिम बंगाल में तेल

†१७४५. श्री अरविन्द घोषाल : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल पश्चिम बंगाल के किसी भाग में तेल मिला है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो कब और कहां ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

फोर्ड प्रतिष्ठान से सहायता

†१७४६. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड प्रतिष्ठान ने कलकत्ते के पास एक नया नगर बसाने की परियोजना के लिए धन देना मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम देना मंजूर किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) जी नहीं । वृहत्तर कलकत्ते के लिए एक योजना के बारे में जांच पड़ताल करने और उसे तैयार करने के लिए अनुदान देने के लिए फोर्ड निधि से प्रार्थना की गयी है ।

(ख) फोर्ड प्रतिष्ठान अभी इस मामले में विचार कर रही है और उसने अभी तक कोई रकम मंजूर नहीं की है ।

बीड़ी के तम्बाकू पर कर

†१७४७. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९–६० में बीड़ी के तम्बाकू पर कर से कुल कितनी आमदनी हुई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, १९४४ की पहली अनुसूची के मद संख्या ४ के अधीन देशी तम्बाकू पर कर लगाया जाता है और उसमें बीड़ी की तम्बाकू तथा उससे भिन्न तम्बाकू, इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है । बगैर तैयार की गयी तम्बाकू जिस पर एक बार केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया गया हो, बीड़ी या और कोई चीज बनाने में काम में लायी जा सकती है । फिर भी मद संख्या ४I(६) के अधीन नॉन-फ्लू-क्योर्ड अनमैनुफैक्चर्ड तम्बाकू से १९५९–६० में वसूल किया गया उत्पादन शुल्क १३.९८ करोड़ रुपये था जिसमें बिक्री कर की बजाय अतिरिक्त उत्पादन शुल्क भी शामिल है ।

कोणार्क में पर्यटकों के लिये गेस्ट हाउस

†१७४८. **श्री संगण्णा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के पुरातत्वीय विभाग द्वारा कोणार्क में एक टूरिस्ट गेस्ट हाउस बनाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां तो उस गेस्ट हाउस की अनुमानित लागत कितनी होगी ; और

(ग) वह कब तक बनकर तयार हो जायगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निकल की इकन्नियां

†१७४९. **श्री हेमराज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी निकल की इकन्नियां वापिस ले लेने के लिए कोई तारीख निश्चित की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो वह कौन सी ता ीख है ; और

(ग) विभिन्न प्रकार के कितने पुराने सिक्के अभी चलन में हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी नहीं। कुप्रो-निकल की इकन्नियों की आयोजित वापसी उसी समय शरू हो जायगी जब दशमिक प्रणाली में उसी प्रकार के सिक्के पर्याप्त परिमाण में तैयार हो जायेंगे ।

(ग) वस्तुतः चलन में पुराने सिक्कों की संख्या ठीक ठीक नहीं निर्धारित की जा सकती। आना-पाई क्रम में विभिन्न प्रकार के छोटे सिक्के जो ३०-११-१९६० को जनता के पास होंगे उनके स्थूल अनुमान इस प्रकार हैं :—

(लाख संख्या में)

अठन्नी	३७,८१
चवन्नी	७५,३४
*दुअन्नी	२७,५९
*इकन्नी	१,०८,६०
*अधन्ना	१,१०,८९
पैसा	२,३०,१४
*अधेला	४,०३
*पाई	८,४२

*इनमें वे सिक्के भी शामिल हैं जो चलन से हटा दिये गये हैं और जिनके लिए विनिमय की सुविधाएं अब भी उपलब्ध हैं ।

विदिशा में पुरातत्वीय इमारत

†१७५०. **श्री बि० चं० सेठ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विदिशा में विजय मंदिर या विजामंडल नाम की कोई पुरातत्वीय इमारत है ;

(ख) क्या यह एक पुराने मंदिर की इमारत है और क्या इस इमारत और उसके खंभों पर पर मूर्तियां और श्लोक खुदे हुए हैं ;

(ग) क्या पिछले साल इस इमारत में से ३६ मूर्तियां बाहर फेंक दी गयी थीं ;

(घ) यदि हां तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ; और

(ङ) क्या मुसलमानों को वहां नमाज पढ़ने दिया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) विदिशा में बीजामन्डल मस्जिद नाम का एक पुरातत्वीय स्मारक है ।

(ख) यह मस्जिद एक पुराने मंदिर की नींव पर बनायी गई है और उसका सा ान इस मस्जिद को बनाने के काम में लगाया गया था । उसके एक खंभे पर कुछ खुदाई की हुई है और इस इमारत में कुछ मूर्तियां भी दिखायी पड़ती हैं ।

(ग) कुछ मूर्तियां फेंक दी गयी थीं लेकिन उनकी संख्या मालूम नहीं है ।

(घ) ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार ने उन आदमियों के विरुद्ध जिन्होंने मूर्तियां हटाई हैं, ऐसा बताया जाता है, मामला दायर किया है ।

(ङ) जी हां, सिर्फ ईद के दिनों में ।

पुलिस ट्रेनिग कालेज, माउन्ट आबू

†१७५१. श्री दी० च० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माउन्ट आबू के पुलिस ट्रेनिंग कालेज में एक अनुसन्धान केन्द्र (रिसर्च सेंटर) खोलने की कोई योजना है ;

(ख) उस केन्द्र में किस प्रकार का अनुसन्धान होगा ; और

(ग) वह संभवत: कब से चालू होगा ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में (राज्य-मंत्री श्री दातार): (क) सैन्ट्रल पुलिस ट्रेनिंग कालेज, माउन्ट आबू में एक सेन्ट्रल पुलिस रिसर्च सेन्टर स्थापित किया जा रहा है ।

(ख) इस केन्द्र में देश की पुलिस के सामने उपस्थित प्रशासन तथा जांच पड़ताल सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर अध्ययन तथा अनुसन्धान किया जायेगा और उनके सम्भव हल सुझाये जायेंगे । राज्य पुलिस अनुसंधान केन्द्रों के कार्य समन्वय करने में भी यह केन्द्र मदद करेगा ।

(ग) इस केन्द्र ने इस वर्ष के आरम्भ में अपना प्रारम्भिक काम काज शुरू कर दिया है ।

कोयले का उत्पादन

†१७५२. श्री प्र० गं० देब :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री सम्पत् :
डा० विजय आनन्द :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी और फरवरी, १९६१ में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने कितना कोयला निकाला है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोयले के उत्पादन के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(लाख टनों में)

जनवरी, १९६१	१०.४
फरवरी, १९६१	१०.८

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

†१७५३. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय (नेशनल लाइब्रेरी) को जगह देने के लिये कलकत्ता मैदान को काम में लाने की कोई योजना भारत सरकार के पास भेजी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या राय है ?

†**वैज्ञानिक अनसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर)** : भारत सरकार को ऐसी कोई योजना नहीं मिली है यद्यपि समाचार-पत्रों में अनेक परस्पर विरोधी सुझाव प्रकाशित हुये हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बगदाद में भारतीय नर्तक मंडली

†१७५४. **श्री सै० अ० मेहदी** :
श्री सम्पत् :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईराक सरकार ने एक भारतीय नर्तक मंडली के नाम को काली सूची में दर्ज कर लिया है ;

(ख) यदि हां , तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). **जी** हां, ईराक सरकार ने श्री रामगोपाल की नर्तक मंडली को, जो भारत सरकार द्वारा नहीं भेजी गयी थी, काली सूची में दर्ज किया है क्योंकि वह मंडली इजराइल गयी थी ।

(ग) बगदाद में भारतीय दूतावास को इस मंडली की ओर से की कोई शिकायत नहीं पहुंची है और इस प्रकार के मामलों के बारे में जो नीति है उसके अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

जनगणना

†१७५५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन लोगों को विज्ञान या प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्राप्त है उन्हे इस जनगणना में विशेष पोस्टकार्ड भरने के लिये दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या प्रयोजन था ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) : जी हां । यह उन्ही लोगों के लिये था जिन्हें विज्ञान की कोई उपाधि मिली हो या जिनके पास इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी (टक्नोलोजी) या चिकित्सा (मैडिसिन) की कोई डिग्री या डिप्लोमा हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) १ फरवरी, १९६१ को उपलब्ध तकनीकी कर्मचारियों की संख्या और उनके ओहदों की जानकारी प्राप्त करना ।

कटपीस कपड़े के व्यापारी

†१७५६. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटपीस कपड़े में कुछ व्यापारियों द्वारा ठगी को रोकने के लिये पिछले साल गृह-कार्य मंत्रालय ने एक समिति बनायी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या थीं ;

(ग) क्या इन सिफारिशों को इस बीच कार्यान्वित किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) कुप्रथायें दूर करने के लिये उपाय सुझाने के उद्देश्य से दिल्ली प्रसासन ने ९ दिसम्बर, १९५८ को एक समिति नियुक्त की थी ।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें ये थीं :—

(१) यदि संभव हो तो कटपीस के कपड़े के व्यापार के लिये लाइसेंस दिये जायें ;

(२) व्यापारियों पर नजर रखने के लिये ठगी विरोधी दल की स्थापना ;

(३) सामाजिक कार्य कर्ताओं और जन सम्पर्क समिति के जरिये प्रचार ;

(४) नापतोल अधिनियम के अधीन अपराधी व्यापारियों पर अभियोग चलाना ।

(ग) और (घ). (३) और (४) की सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं । दिल्ली पुलिस, गुप्तचर विभाग, की अपराध शाखा में जो ठगी-विरोधी दल काम कर रहा है वही इस सम्बन्ध में ठगी आदि के मामलों की जांच पड़ताल करता है । इस व्यापार में लाइसेंस की प्रथा चालू करना अभी व्यवहारिक नहीं समझा जाता ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

†१७५७. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारगली में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रशिक्षण स्कूल के लिये कोई स्थायी इमारत बनाने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या लागत होगी ; और

(ग) क्या निर्माणकार्य शुरू हो गया है और क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ७ लाख रूपये ।

(ग) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने निर्माण कार्य शुरू किया था और ७ स्टाफ क्वार्टरों को छोड़ कर सभी इमारतें पूरी हो गई हैं । ये स्टाफ क्वार्टर भी शीघ्र ही संभवतः पूरे हो जावेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला और लौह अयस्क की आवश्यकतायें

†१७५८. श्री जगदीश अवस्थी :
श्री तंगामणि :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर, रूरकेला, भिलाई और जमशेदपुर के इस्पात कारखानों के लिये हर साल कितने कोयले और लौह अयस्क की जरूरत होती है ;

(ख) तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान लगभग मांग कितनी होगी ; और

(ग) यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के वर्तमान कारखाने तथा दुर्गापुर, रूरकेला और भिलाई के १० लाख टन वाले कारखाने जब पूरा पूरा उत्पादन करने लगेंगे तब उनकी सालाना जरूरतें इस प्रकार होगी :—

	कोयला* (१० लाख टनों में)	लौह अयस्क (दस लाख टनों में)
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	१.८	१.९
रूरकेला इस्पात कारखाना	१.६	१.५
भिलाई इस्पात कारखाना	१.८	२.०
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	२.५	३.५

*ये आंकड़े धोये हुये कोयले के हैं किन्तु दुर्गापुर के मामले में ८ लाख टन कोयला धोया हुआ होगा और १० लाख टन बगैर धोया हुआ होगा ।

(ख) तीसरी पंच वर्षीय योजना में दुर्गापुर, रूरकेला और भिलाई कारखानों के विस्तार के बाद उनकी कोयला और लौह अयस्क सम्बन्धी जरूरतें इस प्रकार होंगी :—

	कोयला (१० लाख टनों में)	लौह अयस्क (१० लाख टनों में)
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	३.०	३.५
रूरकेला इस्पात कारखाना	३.५	३.०
भिलाई इस्पात कारखाना	३.७	४.५

*ये आंकड़े धोये कोयले के सम्बन्ध में हैं । टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी के कारखानों की आवश्यकता बढ़ने का अनुमान नहीं है ।

(ग) कोक बनाने के कोयले की अतिरिक्त मात्रा के उत्पादन के लिये क्षेत्रानुसार कार्यक्रम तैयार किया गया है और उस विषय में कार्यवाही की जा रही है । लौह अयस्क की अतिरिक्त आवश्यकता अधिकतर वर्तमान खानों के विस्तार से और गुआ प्रदेश में एक नयी खान के विकास से पूरी की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी में विभागीय प्रपत्र

१७५९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों ने कितने विभागीय फार्म शिक्षा मंत्रालय को अनुवाद के लिये भेजे हैं ; और

(ख) उन में से कितनों का अनुवाद हो चुका है और कितनों को छापा जा चुका है, या छपवाने की व्यवस्था की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) २५०.

(ख) अब तक १९९ फार्मों का अनुवाद किया जा चुका है। सम्बन्धित विभाग/मंत्रालय इन्हें छपवायेंगे ।

पुरातत्व विभाग में विशेष वेतन

†१७६०. **श्री तंगामणि** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग में ऐसे पद हैं जिनके लिये विशेष वेतन दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, कितनी अवधि से विशेष वेतन दिया जाता रहा है ; और

(ग) क्या विभिन्न पदों, विशेष वेतन और इसके कारणों को दर्शाने के लिये एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४१].**

लड़कियों के लिये पोलिटेक्निक संस्थायें

†१७६१. **श्री तंगामणि** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २७ दिसम्बर, १९६० को सूरत में हुए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के तीसवें सत्र ने लड़कियों के लिये पोलिटैक्निक संस्थाओं की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्रवाई करने का विचार है ; और

(ग) इसके लिये तीसरी योजना में कितना उपबन्ध किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के केन्द्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सम्मेलन के तीसवें सत्र में ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई थी ।

(ख) लड़कियों की प्रविधिक संस्थाओं की एक व्यापक योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई है और वह राज्य सरकारों को परिचालित की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) राज्यों की तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में लड़कियों के लिये २७ प्रविधिक संस्थाओं की स्थापना का उपबन्ध किया गया है ।

निवेली में ब्रिकेटिंग और कार्बोनाइजिंग संयंत्र[1]

†१७६२. **श्री तंगामणि :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निवेली में ब्रिकेटिंग और कार्बोनाइजिंग संयंत्र की स्थापना के लिये उन फर्मों के संघ के साथ जिन्होंने टेंडर दिये थे, बातचीत आरम्भ कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो संघ में फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(ग) कब तक संविदा किये जाने की आशा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). बातचीत पूरी हो चुकी है और फर्मों के संघ का टेंडर स्वीकार कर लिया गया है जिसमें Messrs Maschinenfabrik Buckan R. Woy, A.G, पश्चिम जर्मनी मैसर्स Lurgi Gessellschaft Fuer Waermetechnik, M. B H., फ्रैंक फर्ट, पश्चिमी जर्मनी, Messrs Siemens Schukert Werke, A.G, पश्चिम जर्मनी और मैसर्स प्रोटोज़ इंजीनियरिंग कम्पनी (प्रोइवेट) लिमिटेड, बम्बई तथा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन विक्टोरिया, आस्ट्रेलिया हैं, जिन्होंने ब्रिकेटिंग तथा कार्बोनाइजिंग संयंत्र के संभरण एवं निर्माण के लिये टेंडर दिया है। योजना पर अब २० करोड़ रुपये की लागत आयेगी और इसी आधार पर मंजूरी दी गई है।

(ग) इसी महीने के अन्दर संविदा पर हस्ताक्षर होने की आशा है ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

†१७६३. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम रेडी (रत्नागिरि जिला) में लौह अयस्क का खनन आरम्भ करने का विचार रखता है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की लागत क्या है ;

(ग) यदि इसमें राज्य सरकार का अंश है तो कितना ; और

(घ) अब तक परियोजना में कितनी प्रगति की गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (घ). राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा अभी तक रेडी शोहा अयस्क निक्षेपों के खनन के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

सरकारी प्रक्रिया को सरल बनाना

†१७६४. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष पुलिस संस्थान ने भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय के रूप में सरकारी प्रक्रिया को सरल करने का सुझाव दिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Briquetting and Carbonising Plant.

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राजस्थान में अभावग्रस्त क्षेत्र

†१७६५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के ६७८ गांव अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को कोई सहायता देने का विचार रखती है ; और

(ग) सहायता का स्वरूप क्या होगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) तथा (ग). राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों में वितरण के लिये राज्य सरकार को ४०,००० टन गेहूं और ११० टन माइलो आवंटित किया गया है।

खुली नाट्यशालायें

†१७६६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्राम्य क्षेत्रों में खुली नाट्यशालाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) योजना पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). जी, हां। ये नाट्यशालायें केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से बनाई जाती हैं। राज्य सरकार भूमि देती है और स्थानीय लोग निःशुल्क मेहनत करते हैं। केन्द्रीय सरकार अनावर्तक अनुदान देती है। आवर्तक व्यय एवं नाट्यशालाओं का प्रबन्ध राज्य सरकारों या स्थानीय अधिकारों का उत्तरदायित्व होता है।

(ग) अभी तक १,४६,६०० रुपये के अनुदान १३ राज्यों को ११० नाट्यशालाओं के लिये मंजूर किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, संघ राज्य क्षेत्रों के लिये १० थियेटर अनुमोदित किये गये हैं।

मनीपुर में गैर-सरकारी कालेज

†१७६७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के गैर-सरकारी कालेजों को सहाय-अनुदान देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो १९६१–६२ में कालेजों के लिये कितनी राशि देने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)) : (क) जी, हां।

(ख) ४०,००० रुपये ।

राजनैतिक पीड़ितों को सहायता

†१७६८. { श्री राधा मोहन सिंह :
श्रीमती मकीदा अहमद :
श्री सुबिमन घोष :
श्री पलनियान्डी :
श्री तंगामणि : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पेंशनों के रूप में या इकट्ठी राशि के रूप में प्रत्येक राज्य के राजनीति पीड़ित लोगों को पृथक पृथक कितनी सहायता मंजूर की है या दी है ;

(ख) राज्यवार राजनीति पीड़ित लोगों के बच्चों को उनकी शिक्षा के लिये कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) क्या किसी राजनीति पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिये मांग या प्रार्थना केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ लम्बित पड़ी है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)) : (क) और (ख). सूचना दर्शाने वाले विवरण संलग्न हैं। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ४२]

(ग) वित्तीय सहायता के लिये राजनीति पीड़ित लोगों के ३७ मामले केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ।

उत्तर प्रदेश को इस्पात और कोयले का संभरण

†१७६९. श्री राधा मोहन सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में अब तक उत्तर प्रदेश को दिये गये इस्पात और संभरण की मात्रा क्या है ; और

(ख) इन वर्षों के लिये कोयले और इस्पात के लिये पृथक पृथक मांग क्या थी ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४३].

सरकारी कर्मचारी

†१७७०. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय सेवाओं में स्थानान्तरण से पूर्व किसी राज्य सरकार के विभाग के की गई सेवा की अवधि को उसकी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये विचार में नहीं लाया जाता ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया जाता है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). केन्द्रीय सेवाओं में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये अपनाये जाने वाले वर्तमान सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार, राज्य सरकार में की गई सेवा को वरिष्ठता निर्धारण के लिये नहीं गिना जाता। इसका कारण यह है कि किसी राज्य सरकार से स्थानान्तरण द्वारा केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्त किये गये लोगों की वरिष्ठता सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित नहीं की जाती, अपितु नियुक्ति के लिये किये गये चुनाव के क्रम से की जाती है।

कोयले का वितरण

†१७७१. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम समेत भारत के विभिन्न राज्यों के थोक व्यापारियों और डीपूधारियों के बीच कोयले के वितरण सम्बन्धी सामान्य नीति केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, उस का क्या परिणाम हुआ है ; और

(ग) इस नीति के अनुसार वितरण समान रूप से किया जाता है और कोई एकमात्र स्वामिता पैदा नहीं होती इस के लिये क्या उपाय अपनाये गये हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भिलाई इस्पात कारखाने में छंटनी में निकाले गये कर्मचारी

†१७७२. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक भिलाई इस्पात कारखाने से छंटनी में निकाले गये कर्मचारियों में से कितने व्यक्ति सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों में लगाये गये हैं ; और

(ख) परियोजना के छंटनी में निकाले गये अन्य कर्मचारियों को अन्यत्र उपयुक्त रोजगार दिलाने में सहायता करने के लिये क्या कार्रवाइयां की जा रही हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदारस्वर्ण सिंह) : (क) अभी तक १२७० छंटनी : किये गये कर्मचारी सरकारी, अर्ध सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में वैकल्पिक रोजगार के लिये चुने गये हैं।

(ख) बाहर के साधनों से उत्पादन क्षेत्र में भर्ती उस अवस्था में की जाती है जब अपेक्षित अनुभव वाले कर्मचारी, निर्माण क्षेत्र से उपलब्ध नहीं होते। सभी छंटनी किये गये कर्मचारियों को परामर्श दिया गया है कि वे सहायता के लिये स्थानीय रोजगार दफ्तरों में जायें। वैकल्पिक रोजगार दिलाने के लिये पुनर्वास एवं रोजगार के महा निदेशालय के अफसरों का उपयोग उठाया जा रहा है। प्रति-रक्षा एवं अन्य संगठनों के भर्ती दलों की आगमन के लिये भी व्यवस्था की गई है ताकि वे छंटनी किये गये कर्मचारियों में से व्यक्ति चुन लें।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में अपराधियों को सुधारना

१७७३. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल की जेलों में दण्डितों के चारित्रिक सुधार के लिये क्या-क्या उपाय काम में लाये जाते हैं ;

(ख) जेल में दस्तकारी के काम करने वाले कैदियों को दस्तकारी की वस्तुओं की आय का क्या कुछ भाग मिलता है ; और

(ग) कैदी के मुक्त होने पर क्या कैदियों को अपना कार्य आरम्भ करने के लिये कोई सहायता मिलती है ताकि उन को पुनः अपराध न करना पड़े ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) हिमाचल प्रदेश की जेलों में निम्नलिखित सुधार के उपाय किये गये हैं :—

(१) बन्दियों को पढ़ाने के लिये प्रत्येक जेल में एक-एक शिक्षक की नियुक्ति ;

(२) चुनी हुई पुस्तकों, हिन्दी के दैनिक पत्रों तथा पत्रिकाओं का प्रबन्ध ;

(३) जेल से छुटकारे के पश्चात् अच्छे व्यवहार तथा अनुशासन के मामलों में जेल के स्टाफ द्वारा सलाह ;

(४) कृषि तथा बुनाई सिलाई, कुर्सियां बुनने आदि जैसे ग्रामोद्योगों का प्रशिक्षण ;

(५) खेलों, रेडियो सेट तथा ड्रामें आदि की व्यवस्था ;

(६) जेल की अवधि में तथा मुक्ति के पश्चात बन्दियों के हितों की देखभाल के लिये कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति ;

(ख) दस्तकारी के काम करने वाले बन्दियों को दस्तकारी की वस्तुओं की आय का भाग देने का प्रश्न प्रशासन के विचाराधीन है ;

(ग) बिलासपुर की खुली जेल में बन्दी तनखाह कमाते हैं तथा उस का एक भाग उन्हें जेब खर्च के रूप में दिया जाता है और शेष भाग मुक्त होने पर दिया जाता है ।

हिमाचल प्रदेश में जेल

१७७४. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में बन्दियों को महासू से नाहन ले जाने पर कितना व्यय हुआ ;

(ख) नाहन की जिला जेल में बन्दियों की कुल संख्या और उन में महासू जिले के बन्दियों की संख्या क्या है ; और

(ग) क्या महासू जिले में अलग जेल बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) अब तक १० रुपये १० नये पैसे ।

(ख) नाहन जेल में बन्दियों की कुल संख्या ६४ है जिन में से महासू जिले के १२ बंदी हैं ।

(ग) महासू जिले में सोलन के मुकाम पर एक जेल पहले ही से है ।

केन्द्रीय असैनिक सेवाओं में भूतपूर्व सैनिक

†१७७५. **श्री राम गरीब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भूतपूर्व सैनिकों को रेलवे समेत केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में असैनिक पदों पर पुनर्नियुक्ति के मामले में युद्ध सेवा का लाभ दिया जाता है, जिन्हें द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् सशस्त्र सेनाओं में रखा गया था, किन्तु जिन्हें बाद में सेना से छुट्टी दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या हिदायतें जारी की गई हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) भाग का उत्तर नकारात्मक है, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग) .जी, हां। रेलवे मंत्रालय के अधीन असैनिक सेवाओं को छोड़ कर, असैनिक सेवाओं के मामले में लाभ दिया जाता है। रेलवे मंत्रालय के बारे में सूचना रेलवे मंत्रालय से प्राप्त की जा सकती है। असैनिक सेवा में वेतन, वरिष्ठता और पैंशन के लिये युद्ध सेवा को गिनने के बारे में समय समय पर गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये आदेशों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जाती हैं। **[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी-२७३६/६१]**

केन्द्रीय असैनिक सेवाओं में भूतपूर्व सैनिक

†१७७६. **श्री राम गरीब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने ऐसी हिदायतें जारी की हैं कि भूतपूर्व सैनिकों को, मंत्रालय तथा उन से संलग्न एवं अधीनस्थ दफ्तरों में क्लर्की पदालि के केन्द्रीय असैनिक पदों पर पुनर्नियुक्ति के मामले में, उन के द्वारा सशस्त्र सेवाओं में की गई लगातार सेवा का वेतन और वरिष्ठता के मामले में लाभ दिया जाय ;

(ख) क्या ये हिदायतें रेलवे मंत्रालय, इस से संलग्न एवं अधीनस्थ दफ्तरों में काम करने वाले भूतपूर्व सैनिकों पर भी लागू होती हैं, और

(ग) यदि नहीं तो, इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) कोई नई हिदायतें जारी नहीं की गई हैं। १९४७ में जारी किये गये आदेशों के अधीन जिन भूतपूर्व सैनिकों ने युद्ध सेवा की थी, उन्हें स्थायी आरक्षित पदों पर नियुक्त होने पर वेतन और वरिष्ठता निर्धारण के मामले में युद्ध सेवा गिनने की अनुमति दी गई थी, किन्तु अस्थायी पदों पर नियुक्ति की अवस्था में उन्हें इसे केवल वेतन निर्धारित करने के लिये गिनने दिया गया था।

(ख) से (ग) .सूचना रेलवे मंत्रालय से प्राप्त की जा सकती है

नागा विद्रोहियों द्वारा अपहरण

†१७७७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फैजेट सब-डिवीजन का सब-डिप्टी कलक्टर १२ फरवरी १९६१ को पुंगयार में अपने मुख्यालय से नागा विद्रोहियों द्वारा अपहृत कर लिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विद्रोही लोग पकड़े गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) १२ फरवरी १९६१ की अर्ध रात्रि के समय लगभग २० बदमाश लोगों ने जिन्हों ने टांगखुल नागा वर्दी पहनी हुई थी और जो डाओस और भालों से लैस बताये जाते हैं, फुंगयार फजाट पुलिस स्टेशन उखरूल के सब-डिप्टी कलक्टर के क्वार्टरों को लूटा और लगभग १०० रुपये की नकदी उठा ले गये। यह भी बताया जाता है कि उन्होंने सब डिप्टी कलक्टर का भी अपहरण करने का प्रयत्न किया। जब वे उसे उठाये लिये जा रहे थे, कुछ लोग दूसरी ओर से प्रकाश लिये आते हुए दिखाई दिये, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे लोग उसे बंधा हुआ छोड़ कर भाग गये।

(ख) अभी नहीं।

सैनिक अफसरों को भत्ते

†१७७८. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के अफसरों को पृथक रहने का भत्ता और बच्चों की शिक्षा का भत्ता मिलता है ; और

(ख) क्या जूनियर कमीशन वाले लोगों तथा अन्य दर्जों के लोगों को भी ये भत्ते दिये जाते हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख). सेना और विमान बल के विवाहित अफसरों को, जब भारत में विशिष्ट क्षेत्रों/स्थानो में स्थित इकाइयों/फार्मेशनों में तैनात किया जाता है, जहां उन्हें अपने परिवार ले जाने की अनुमति नहीं होती, ५० रुपये मासिक का परिवार से पृथक रहने का भत्ता निर्धारित शर्तों के अधीन दिया जाता है। परिवार से पृथक रहने का भत्ता जूनियर कमीशन वाले अफसरों तथा अन्य दर्जों के लोगों को नहीं दिया जाता।

सेनाओं के अफसरों, जूनियर कमीशन वाले अफसरों तथा अन्य दर्जों के लोगों को, जो विदेश स्थित भारतीय मिशनों में प्राधिकृत पदों पर होते हैं और कुछ श्रेणियों के अफसरों तथा कर्मचारियों को जिन्हें विदेशों में भेजा जाता है, निर्धारित शर्तों के अधीन ५ और १८ पूर्ण वर्षों के बीच के बच्चों के लिये, अधिक से अधिक दो बच्चों के लिये, प्रति बच्चा ८० रुपये मासिक का शिक्षा भत्ता दिया जाता है।

तीनों सेवाओं के अफसरों के लिये (किन्तु अफसर दर्जे से नीचे के लोगों के लिये नहीं) अंशदायी शिक्षा निधियां हैं, जिन में सब सेवा करने वाले स्थायी रेगुलर कमीशन प्राप्त अफसरों से प्रति क्वार्टर १५ रुपये लिये जाते हैं और उतनी ही राशि सरकार देती है। इन निधियों में से इन अफसरों के बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, जो १० और १७ वर्षों की आयु के बीच होते हैं और जो स्कूल या कालिज में जाते हैं, यदि वे वहां केवल पढ़ते हैं और रहते अपने घरों में हैं तो प्रति बच्चा १० रुपये और यदि वे बोर्डिंग हाउस में रहते हैं तो प्रति बच्चा ५० रुपये मासिक की छात्रवृत्ति दी जाती है। जो अफसर विदेशों में तैनात होते हैं उन्हें या तो बच्चों का शिक्षा भत्ता दिया जाता है या इन निधियों से छात्रवृत्तियां, परन्तु दोनों चीजें नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेघड़पुरा, दिल्ली में गुण्डागर्दी

†१७७९. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान २७ फरवरी, १९६१ के 'स्टेट्समन' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि रेघड़पुरा, दिल्ली में गुंडागर्दी बहुत बढ़ी हुई है और पुलिस इस स्थिति को काबू में करने में असफल है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : मैं ने यह समाचार देखा है । उसमें दी गई कोई भी घटना ठीक नहीं पाई गई । रेघड़पुरा और इस के आस पास विधि और व्यवस्था पूर्णतया काबू में है ।

रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादित प्लेटें और चादरें

†१७८०. श्री चाण्डक : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला संयंत्र में उत्पादित प्लेटें और चादरें अभ्यंश प्रमाणपत्र के बिना वास्तविक प्रयोक्ताओं को उदार नीति के अन्तर्गत वितरित की जायेंगी;

(ख) क्या लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के अक्तूबर, १९६०—मार्च, १९६१ की अवधि के लिये वास्तविक प्रयोक्ताओं से रूरकेला इस्पात के लिये इंडेंट मंगवाये हैं;

(ग) सितम्बर, और अक्तूर, १९६० में कितने इंडेंट प्राप्त हुए थे;

(घ) इन में से कितने इंडेंटों के संभरण की व्यवस्था की गई है; और

(ङ) सितम्बर, और अक्तूबर, १९६० में प्राप्त अन्य इंडेंटों का माल क्यों नहीं दिया गया ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) जी, हां। प्लेटों और काली साफ चादरों (१० से १४ गज) के इंडेंट वास्तविक प्रयोक्ताओं और स्टाकधारियों द्वारा, किसी अधिकरण या अभ्यंश प्रमाण पत्र के बिना ही दिये जा सकते हैं। यह छूट दूसरे प्रमुख उत्पादकों अर्थात् मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी एवं मैसर्स इंडियन आयरन ऐंड स्टील कम्पनी पर भी लागू होती है।

(ख) जी, हां । वास्तविक प्रयोक्ताओं और स्टाकधारियों से ।

(ग) २२६६ ।

(घ) लगभग ३० प्रतिशत ।

(ङ) इंडेंट पुनः पेश किये जाने के लिये इंडेंट देने वालों को वापिस भेजने पड़े, क्योंकि ये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं थे ।

कोयले का उत्पादन

†१७८१. श्री राधा मोहन सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले चार महीनों में कोयले का बहुत अधिक उत्पादन हुआ है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या १० लाख टन कोयला परिवहन के लिये माल-डिब्बों की कमी के कारण रेलवे साईडिंगों पर और खान के मुहानों पर पड़ा है;

(ग) यदि अप्रैल, १९६१ तक पर्याप्त मात्रा में डिब्बे न दिये गये तो कोयला उत्पादन कार्य धीमा पड़ जायेगा; और

(घ) स्थिति को सुधारने तथा वर्तमान स्तर पर उत्पादन को बनाये रखने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा उसका करने का विचार है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यदि परिवहन की उपलब्धता में कोई सुधार नहीं हुआ तो यह संभावना है ।

(घ) सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करने और कोयले के परिवहन के लिये सुविधाओं में करने के लिये उपायों का सुझाव देने के बारे में सचिवों की एक समिति नियुक्त की है । समिति का प्रतिवेदन अभी प्रतीक्षित है ।

जिप्सम की खानें

†१७८२. श्री पलनियाण्डी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) भारत में राज्य-वार जिप्सम की कितनी खाने हैं;

(ख) इन खानों से खानवार वार्षिक कितनी मात्रा में जिप्सम उपलब्ध होता है; और

(ग) अन्य देशों से जिप्सम का कितनी मात्रा में आयात किया गया और यह आयात किन देशों से किया गया ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० वे० मालवीय) : (क) २८ फरवरी, १९६१ को भारत में जिप्सम की खानों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

गुजरात	२
जम्मू तथा काश्मीर	१
मद्रास	४४
महाराष्ट्र	१
राजस्थान	८
उत्तर प्रदेश	१
कुल	५७

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्योंकि खान-वार उत्पादन के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं, राज्य-वार उत्पादन के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

(मात्रा टनों में)

राज्य	१९५५	१९५६	१९५७	१९५८	१९५९
गुजरात महाराष्ट्र		नगण्य			
जम्मू तथा काश्मीर	..	..	१५	१५	..
मद्रास . .	५१,९६२	५०,७३२	६९,९०६	६२,७८८	६२,५७२
राजस्थान	६४७,९३१	८१४,८३९	८६४,६८०	७३०,१७८	७९५,७८१
उत्तर प्रदेश	१,०८४	१,७२९	२,१८५	१,४११	१,३६४
	७००,९७८	८६७,३००	९३६,७८२	७९४,३९२	८५९,७१७

(ग) वर्ष १९५८ में ४९९७ टन जिप्सम का आयात किया गया। इस में से ९० प्रतिशत माल साइप्रस से आयात किया गया और बाकी ब्रिटन से और पाकिस्तान से। वर्ष १९५९ में १११९ टन का आयात किया गया और समूची मात्रा का पाकिस्तान से आयात किया गया।

उड़ीसा में बुनियादी शिक्षा के अध्यापक

†१७८४. श्री कुम्भार : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में बुनियादी शिक्षा योजना के अध्यापकों के लिय भावी प्रत्यशंसा क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा में बुनियादी शिक्षा योजना के कर्मचारियों की सेवा को उस राज्य के अन्य विभागों के कर्मचारियों के समान स्थायी कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गयी है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का०ल०ा० श्रीमाली) : (क) से (घ) . जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

उड़ीसा में पुलिस विभाग

†१७८५. श्री कुम्भार : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पुलिस विभाग से पुनरीक्षित वेतन दरों के बारे में कोई अभ्यावेदन आय । है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उड़ीसा में भूतपूर्व शासकों के राज्य में प्राथमिक अध्यापक

†१७८६. **श्री कुम्भार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में किसी भूतपूर्व शासक राज्य में प्राथमिक अध्यापकों को उड़ीसा राज्य में वर्ष १९४८ से प्राप्य वेतन-स्तर नहीं मिल रहा है ।

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में उन क्षेत्रों के विभिन्न जिलों में ऐसे कितने प्राथमिक अध्यापक हैं और उनका वर्तमान वेतन-क्रम क्या है;

(ग) क्या वर्ष १९४८ के बाद उड़ीसा सरकार द्वारा नियुक्त किये गये प्राथमिक अध्यापकों का वेतन-क्रम उपरोक्त अध्यापकों के वेतन-क्रम से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो एक ही राज्य में एक से पदों पर वेतन क्रम में यह असमानता क्यों है ?

(ङ) क्या सरकार को भूतपूर्व शासकों के राज्यों से वेतन-क्रम समान करने के बारे में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(च) यदि हां, तो राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (छ). राज्य सरकार से जानकारी मांगी गयी है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

उड़ीसा में मृत शिक्षकों के वेतन आदि की बकाया राशि

†१७८७. **श्री कुम्भार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में उन शिक्षकों के बारे में वेतन, भविष्य निधि और पेन्शन के कई मामले लम्बित हैं, जो मर चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य के विभिन्न जिलों में ऐसे मृत अध्यापकों के कितने मामले हैं और प्रत्येक पर कितना धन व्यय किया गया है ;

(ग) मृत अध्यापकों के उत्तराधिकारियों को बकाया राशि का भुगतान करने में विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का उस का क्या विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रहीं है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

उड़ीसा म अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†१७८८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में वर्ष १९६१–६२ के लिय अनुसूचित जातियों और अनसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां देने के लिये उड़ीसा सरकार को कोई अनुदान आवंटित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) वर्ष १९६१–६२ के लिये अभी कोई धन मंजूर नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राज्यों को ऋण

†१७८९. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने के समय से ३१ दिसम्बर, १९६० तक केन्द्र ने जो राज्यों को ऋण दिया है, क्या वह विशिष्ट योजनाओं के सम्पादन अथवा सामान्य प्रशासन के व्यय के लिये दिया गया ;

(ख) ऋण पर ब्याज की कितनी रकम हुई है और विभिन्न राज्य सरकारों पर ब्याज की कितनी रकम बकाया है; और

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों ने कितना ऋण वापस कर दिया है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्र द्वारा राज्यों को ऋण सामान्यत: विशिष्ट योजनाओं अथवा पूंजी खाते में डेबिट किये जाने वाले व्यय के लिये दिया जाता है । सामान्य प्रशासन सम्बन्धी व्यय को वे अपने चालू राजस्व से पूरा करती हैं ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें १९५९–६० को समाप्त होने वाली चार वर्षों की अवधि में राज्य सरकारों द्वारा दिये गये ब्याज और भुगताये गये मूल धन के बारे में बताया गया है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४४]. लेखा अधिकारी उन भुगतानों पर ध्यान रखते हैं । अभी कोई बड़ी गलती का पता नहीं चला है ।

पोरबन्दर में उद्योगों को कोयले के संभरण में कमी

†१७९०. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोरबन्दर में उद्योगों को कोयले के सम्भरण में कमी के कारण तालाबन्दी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो कोयले की कितनी कमी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को पता है पोरबन्दर समेत गुजरात राज्य को कोयले का पूरा अभ्यंश नहीं भेजा गया है और इस से कुछ उद्योगों को कठिनाई हो सकती है ।

(ख) गुजरात राज्य में सभी उद्योगों के लिये कुल मासिक आवश्यकता ११४८८ माल-डिब्बों की है, इस के विरुद्ध उनको मई से दिसम्बर, १९६० की अवधि में औसतन ८७३३ माल-डिब्बे प्रति मास भेजे गये हैं ।

(ग) (१) गुजरात में ब्लोक रेक में कोयला भेजने की व्यवस्था की जा रही है जहां से राज्य प्राधिकारियों द्वारा आसानी से उसका वितरण किया जा सके ।

(२) भिलाई इस्पात कारखाने से कुछ टन कोक भेजने की भी व्यवस्था की गयी है क्योंकि बंगाल-बिहार की अपेक्षा यहां से रेल-यातायात आसान होगा;

(३) कठिनाई में पड़े हुए उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर विशेष आवंटन किय जाते हैं;

(४) ब्लोक-रेक बनाने का कार्य बढ़ा दिया गया है ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का कार्यालय

१७९१. श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के कार्यालय में रिसर्च अफसरों, इन्वैस्टीगेटरों और गजटेड अफसरों की संख्या अलग-अलग क्या है ;

(ख) क्या उपरोक्त पदों में से कोई अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी अलग-अलग संख्या क्या है; और

(घ) क्या सब ऐसे पद भर लिये गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) राजपत्रित अधिकारी :—

अनुसूचित जाति व अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त (१), आयुक्त का निजी सचिव (१), सहायक आयुक्त (१), अधीक्षक (४), अनुसन्धान अधिकारी (१), इन्वैस्टीगेटर (५), एक अनुसन्धान अधिकारी तथा एक इन्वैस्टीगेटर के पद अस्थायी रूप से रिक्त हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) से (घ). (१) अधीक्षकों के पद तथा आयुक्त के मुख्य कार्यालय में सहायक आयुक्त के पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा की पदालि में रखे गये हैं, तथा अनुसूचित जातियों के लिए इनमें पृथक् आरक्षण न रख कर, पूर्ण पदालि में ही आरक्षण रखा जाता है।

(२) आयुक्त के मुख्य कार्यालय में दो अनुसन्धान अधिकारियों के पद आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को लागू करने की दृष्टि से दस क्षेत्रीय सहायक आयुक्तों के ग्रुप में रखे गए हैं। यह पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए इसका छटा भाग आरक्षित है। इन बारह पदों में से दो पर अनुसूचित जातियों के व्यक्ति नियुक्त हैं।

इन आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को चालीस पाइन्ट का एक रोस्टर बना कर लागू किया जाता है। रोस्टर के कुछ पान्इट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। यद्यपि अनुसंधान अधिकारियों तथा क्षेत्रीय सहायक आयुक्तों के ग्रुप में अनुसूचित जातियों के दो व्यक्ति हैं, फिर भी अनुसूचित जातियों के लिए जो रखे गए रोस्टर में एक पाइण्ट पर अनुसूचित जाति का कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला। यह आरक्षण आगामी दो वर्षों में भरती के लिए नियमानुसार आगे ले जाया जाता है।

(३) इन्वैस्टीगेटरों के छः में से एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखना चाहिए था, हैं परन्तु वास्तव में अनुसूचित जातियों के दो इन्वैस्टीगेटर नियुक्त हैं।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा रक्षित पदों के लिये विज्ञापन

१७९२. श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० तथा १९६०–६१ के वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कितने रक्षित स्थानों को विज्ञापित किया ;

(ख) उनमें कितने स्थानों की पूर्ति की गई ;

(ग) क्या सब स्थानों के लिये मांग से अधिक आवेदन-पत्र आये; और

(घ) क्या आवेदनकर्त्ता सब आवश्यक अर्हताओं की पूर्ति करते थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). तक सूचना उपलब्ध नहीं है। यह इकट्ठी करके सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

अतारांकित प्रश्न संख्या २००५ के उत्तर में शुद्धी

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : मैं दिनांक १८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २००५ के उत्तर में शुद्धि के बारे में निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में संलग्न विवरण में भूतपूर्व बम्बई राज्य के बारे में दिखायें गये आंकड़ों के स्थान पर निम्नलिखित आंकड़े पढ़े जायें ।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मुख्य सेविकायें				प्रसाविकाएं (मिड वाईव्स)				ग्राम सेविकाएं				शिल्प शिक्षक				दाइयां				कुल	
		प्रशिक्षित		अप्रशिक्षित		शिक्षित		अप्रशिक्षित		शिक्षित		अप्रशिक्षित		शिक्षित		अप्रशिक्षित		शिक्षित		अप्रशिक्षित		अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
		*अ० जा०	अ० आ० जा०	अ० जा०	अ० आ० जा०	अ० जा०	अ० आ० जा०	अ० जा०	अ० आ० जा०	अ० जा०	अ० आ० जा०	अ० जा०	अ० आ० जा०	अ० जा०	अ० आ० जा०	अ० जा०	अ० आ० जा०	अ० जा०	अ० आ० जा०	अ० जा०	अ० आ० जा०		
१	बम्बई	—	—	—	—	१	—	—	—	१३	१	५	५	—	—	६	—	८	—	२	१	३५	७

*"अ० जा०" से तात्पर्य है अनुसूचित जातियां

"अ० आ० जा०" से तात्पर्य है अनुसूचित आदिम जातियां ।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

अमरीकी गेहूं

†श्री प्र० गं० देव (अंगुल) : मैं नियम १९७ के अधीन खाद्य तथा कृषि मन्त्री का ध्यान अमरीकी कांग्रेस के सदस्य श्री स्टीवेन डिरूनियन द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की ओर आकर्षित करता हूं, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि गत तीन वर्षों में अमरीका द्वारा भारत को बिना मूल्य भेजे गेहूं से भारतीय व्यापारियों ने लाखों डालर कमा लिये हैं। और उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य भी दें।

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : श्री स्टीवेन डिरूनियम ने न्यूयार्क में जो वक्तव्य दिया है, वह बिल्कुल गलत धारणाओं पर आधारित है। भारत सरकार अमरीका से कोई गेहूं बिना मूल्य नहीं ले रही है। पी० एल० ४८० के अधीन जो भी गेहूं आयात किया जा रहा है,उसका भुगतान रुपयों में भारत में किया जा रहा है।

यह गेहूं भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों, उचित मूल्य की दुकानों और आटा चक्कियों आदि को १४ रुपये प्रतिमन की दर से, जिसमें बोरी की कीमत तथा निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचाने का खर्च भी शामिल है, दिया जाता है। उचित मूल्य की दुकानें सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमत पर इस गेहूं को बेचती हैं और केवल थोड़ा सा लाभ, जिसके लिये सरकार की आज्ञा होती है, कमाती है।

अतः यह कहना बिल्कुल गलत है कि :

(क) हम अमरीका से बिना मूल्य दिये हुए गेहूं खरीद रहे हैं।

(ख) और भारतीय व्यापारियों ने इस गेहूं की बिक्री से लाखों डालर कमाये हैं।

†श्री ब्रजराज सिंह : जब यह बात एक अमरीकी कांग्रेस के सदस्य ने कही है तो क्या अमरीकी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है क्योंकि एक प्रकार से यह विश्व में अथवा अमरीका में हमारे विरुद्ध प्रचार है।

†श्री अ० मं० थामस : इस वक्तव्य की ओर अमरीकी दूतावास का ध्यान आकृष्ट करा दिया गया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अखिल भारती : प्रशासनिक सेवायें (श्रेणी) संशोधन नियम

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : मैं श्री दातार की ओर से अखिल भारतीय सेवायें एक्ट, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ११ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५० में प्रकाशित भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदालि) संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल० टी० २७३०/६१].

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): मैं कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९-६० के लिये हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परिक्षित लेखा और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० २७३१/६१]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

†सरदार हुकमसिंह (भटिंडा): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का उन्नासीवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

सभा का कार्य

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): श्रीमान् आपकी अनुमति से सामान्य आय व्ययक के सम्बन्ध में विभिन्न मन्त्रालयों के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान के क्रम की घोषणा करता हूं। यदि इस अनुसूची में किसी आकस्मिकता के कारण कोई परिवर्तन होगा तो उसकी सूचना सभा को दे दी जायेगी।

क्रम इस प्रकार है :—

शिक्षा
स्वास्थ्य
वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य
सूचना और प्रसारण
विधि
गृह-कार्य मन्त्रालय
निर्माण आवास और सम्भरण
सिंचाई और विद्युत्
वैदेशिक-कार्य
श्रम और रोजगार
पुनर्वास
परिवहन तथा संचार
वाणिज्य और उद्योग
प्रतिरक्षा
सामुदायिक विकास तथा सहकार
इस्पात, खान और ईंधन
खाद्य तथा कृषि
वित्त

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि (मदुरै) : अगर इनके साथ-साथ तिथि भी दे दी जाये तो और भी अच्छा होगा। क्योंकि बुलेटिन में बताया गया था कि अनुदानों की मांगों पर चर्चा १६ मार्च से शुरू होकर १२ अप्रैल तक चलेगी लेकिन यह चर्चा २० मार्च से ही शुरू हुई।

†श्री सत्यनारायण सिंह : चूंकि इनके लिये समय निश्चित कर दिया गया है अतः माननीय सदस्य उसके अनुसार हिसाब लगा लें तो उन्हें दिनों का आसानी से पता चल सकता है।

†श्री तंगामणि : वित्तविधेयक पर विचार कब होगा।

†श्री सत्य नारायण सिंह : मांगों की चर्चा पूरी हो जाने के बाद।

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हमेशा निश्चित तिथियां बताई जाती थीं पता नहीं अब की बार क्यों नहीं बताई जा रही हैं।

सभापति के लिये निर्वाचन

प्रविधिक शिक्षा के लिये अखिल भारतीय परिषद्

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि शिक्षा मन्त्रालय के दिनांक ३० नवम्बर, १९४५ के समय-समय पर संशोधित संकल्प संख्या एफ १६–१०/४४ ई० ३ के पैरा ३ के खण्ड झ (च) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन ३० अप्रैल, १९६१ से आरम्भ होने वाले अगले कार्यकाल के लिये अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि शिक्षा मन्त्रालय के दिनांक ३० नवम्बर, १९४५ के समय-समय पर संशोधित संकल्प संख्या एफ १६१०/४४ ई० ३ के पैरा ३ के खण्ड झ (च) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन ३० अप्रैल, १९६१ से आरम्भ होने वाले अगले कार्यकाल के लिये अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक—जारी

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा में श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा द्वारा १३ मार्च, १९६१ को प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

औचित्य प्रश्न के बारे में मैं बता चुका हूं कि मैं उससे सहमत नहीं हूं। अतः इस विधेयक पर चर्चा होगी। वित्त आयोग ने जो कि एक संविहित निकाय है अपनी सिफारिशें कर दी हैं और राज्य

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

को राजस्व देने वाला विधेयक पारित कर दिया गया है। बाद को रेलवे अभिसमय समिति की नियुक्ति की गई और उसने भी अपनी सिफारिशों कर दी हैं। सभा ने भी ये सिफारिश स्वीकार कर ली हैं। इसमें कोई अनियमितता नहीं है। लेकिन यह बात मालूम होनी चाहिये कि किस प्रकार यह धन निर्धारित किया गया। यह बात मालूम होनी चाहिये कि प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी राशि दी गई। एक बार संसद् द्वारा अधिनियम पारित हो जाने के बाद सरकार को यह नहीं कहना चाहिये कि वह और उपबन्ध कर रही है। यह तो संसद् की दरगुजर है। अतः इस बारे में कुछ विस्तृत बात बताई जानी चाहियें। मैं चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली राशि भी बताई जाये।

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : वित्त आयोग को अभी यह निर्णय करना शेष है कि किस राज्य को कितनी राशि दी जाये। कुल १२.५० करोड़ सभी राज्यों के लिये निर्धारित किये गये हैं। अतः जब तक वित्त आयोग का निर्णय नहीं हो जाता तब तक मैं विस्तारपूर्वक बताने में असमर्थ हूं। यह आयोग स्थायी है। अतः इन प्रस्तावों की जांच करना इसका काम है।

†अध्यक्ष महोदय : वित्त आयोग की जो भी सिफारिशें क्यों न हों वे राष्ट्रपति के आदेश सहित सभा पटल पर रखी जाती हैं सभा को उन पर विचार करने का अवसर मिलेगा।

†श्री विद्याधरगशुक्ल (बलोदा बाजार) : माननीय उपमन्त्री ने कहा है कि वित्त आयोग निरन्तर कार्य करने वाला निकाय है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। पहले वित्त आयोग का तो समय भी पूरा हो गया है।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : हालांकि वित्त आयोग एक अवधि के लिये नियुक्त किया जाता है। लेकिन एक वित्त आयोग के समक्ष रखी गई समस्याएं दूसरे आयोग के सामने लाई जा सकती हैं। अतः पहले आयोग के समक्ष विचारार्थ समस्याओं पर दूसरा आयोग भी विचार करेगा।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता-पूर्व) : एक औचित्य प्रश्न है। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद २६९ का प्रत्यक्षतः उल्लंघन करता है अतः यह नियम बाध्य है। यह विधेयक में १ अप्रैल १९६१ से लागू होगा। हम ३१ मार्च १९६१ तक इसके अनुसार कर तो लगा और इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन उनका वितरण १ अप्रैल के बाद इसके अनुसार नहीं कर सकते। इसी कारण यह अनुच्छेद २६९ का उल्लंघन करता है अतः यह विधेयक नियम बाध्य है क्योंकि यह संविधान की प्रत्यक्षतः अवहेलना करता है।

†अध्यक्ष महोदय : वर्तमान विधि के अनुसार जो राशि एकत्रित की जाती है और वह यदि ३१ मार्च तक वितरित कर दी जाती है तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है। यह अधिनियम उस राशि को उस अवधि के भीतर वितरित करने का अधिकार देता है।

अगर माननीय सदस्य को इस बारे में कुछ आपत्ति है तो वह संशोधन रख सकते हैं।

†श्री तंगामणि (मदुरै) : अधिनियम की धारा ६ का संशोधन कर दिया गया है। पर यह नहीं बताया गया है कि राशि को राज्यों में कितने-कितने प्रतिशत के हिसाब से बांटा जायेगा। वित्त आयोग का भी अनुमान था कि ऐसी स्थिति पैदा होगी। वर्तमान विधि के अनुसार मूल विधेयक के नाम में भी परिवर्तन हो जायेगा। जब इस सम्बन्ध में कोई अनुसूची नहीं है तो १२.५० करोड़ रुपये की राशि के वितरण के लिये हमें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ ५२ के पैरा १३७ में दी गई अनुसूची को लागू

†मूल अंग्रेजी में

करना चाहिये । उनका कहना है कि यह जनसंख्या के हिसाब से बांटी जायेगी । मैं बस यही जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वितीय वित्त आयोग के प्रतिवेदन में पृष्ठ ५२ के पैरा १३७ में दी गई अनुसूची को लागू करेगी ।

†**श्री मेहन्ती** (ढेंकानाल) : इस विधेयक का एक पहलू बहुत आपत्तिजनक है वह यह है कि रेलवे मंत्री ने चनाव पूर्व का बजट प्रस्तुत किया है और इसलिये उन्होंने रेलवे की आय में वृद्धि दिखलाने का प्रयत्न किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैंने माननीय सदस्य को दूसरी बार बोलने का अवसर दिया है तथापि इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह कोई राजनैतिक भाषण देवें, अपने मूल भाषण में वे भले ही जो चाहें वे कह सकते हैं तथापि तब भी यदि मैं उन बातों को असंगत समझूं तो उन्हें रोक सकता हूं । तथापि दूसरे अवसर का वे इस प्रकार प्रयोग नहीं कर सकते हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**: जहां तक ३१-३-१९६१ के पश्चात् होने वाली आय के वितरण की वर्तमान व्यवस्था का संबध है, यह सामान्य खंड अधिनियम के अनुसार होगी । अतः इस संबंध में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

श्री तंगामणि की बात से सभा द्वारा किये गये उस संकल्प के समर्थन का विरोध होता है, जिसके द्वारा उन्होंने रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशें स्वीकार की हैं । यह विधेयक केवल एक सक्षम साधन मात्र है । क्योंकि सभा ने अभिसमय समिति का प्रतिवदन स्वीकार कर लिया है, श्री तगामणि ने यह कहा है कि इस वितरण से राज्यों को हानि होने की आशंका है, शायद उन्होंने यह समझा है कि यह कर १९५७ में लगाया गया और तत्पश्चात् इन सभी प्रश्नों पर राज्य अभिसमय समिति ने विचार किया । वस्तुतः उन्होंने १९५८–५९ और १९५–६० का औसत निकाला है, इस आधार पर उन्होंने यह सिफारिश की है कि राज्य को अर्थ सहायता के रूप में एक मुश्त १२.५ करोड़ रुपयों की राशि दी जाय । इस राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है अतः इस संबंध में किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिये ।

रेलवे को एसा क्यों करना पड़ा यह बात रेलवे मंत्री द्वारा सभा को उस समय भली प्रकार बता दी थी जब कि सभा प्रतिवेदन पर विचार कर रही थी । उस समय सभा ने रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों का समर्थन किया । रेलवे का यात्री भाड़ा १९५५–५६ और १९५७–५८ से अपरिवर्तित रहा है इससे लागत व्यय पूरा नहीं हो सका है । यात्री भाड़े से होने वाली आय प्रवर्तन व्यय को पूरा करने के लिये काफी नहीं है । अतः रेलव को घाटा हो रहा है । अतः रेलवे यह चाहती थी उसे अन्य व्यवसायिक फर्मों की तरह कुछ नम्यता प्रदान की जाय । वस्तुतः रेलवे अपना घाटा माल भाड़े से पूरा कर रही है । मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि यात्री भाड़े से जो आय हो रही है वह कार्य प्रवर्तन व्यय को पूरा करने के लिय काफी नहीं है । अतः यात्री भाड़े के संबंध में कुछ नम्यता लाने के लिय रेलव ने यह व्यवस्था की है । रेलवे अभिसमय समिति को इन सभी बातों का पता था । उन्होंने इन सभी बातों पर विचार करने के बाद ही यह सिफारिश की है कि राज्यों को एक मुश्त राशि के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाय । इससे राज्यों को मिलने वाली राशि में किसी प्रकार का अंतर नहीं आयेगा ।

इस संबंध में दो वर्षों की आय का औसत ले लिया गया है, यात्री भाड़े के दो वर्षों के आधार पर ही रेलवे अभिसमय समिति इस निश्कर्ष पर पहुंची है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

वितरण के संबंध में अभी निश्चय करना बाकी है। इस संबंध में वित्त आयोग विचार करेगा। वे प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं पर ध्यान देंगे और इस बात का निश्चय करेंगे कि यह एक मुश्त राशि किस प्रकार वितरित की जानी है। अत: वित्त आयोग की सिफारिशें ज्ञात होने तक इस संबंध में जो भी आशंका की जायगी वह काल्पनिक ही होगी।

मैं सभा से अनुरोध करती हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें।

†अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेलवे यात्री किराया अधिनियम, १९५७ का निरसन करने तथा उसमें कुछ आनुषंगिक व्यवस्थायें करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव पारित हुआ

†अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव पारित हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ३--(१९५७ के अधिनियम ५७ में संशोधन

†श्री साधन गुप्त: मेरे विचार से खंड ३ की धारा ५ असंवधानिक है। अत: मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि व एक ऐसा संशोधन प्रस्तुत करें जिससे बकाया राशियों के संबंध में धारा ५ न लागू होवें। अभी भी एसा किया जा सकता है।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: मेरे विचार से यह आवश्यक नहीं है। यह बात समान्य खंड अधिनियम के अधीन आ सकती है।

†अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव पारित हुआ

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया जाये"

प्रस्ताव पारित हुआ

खंड २, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि यह विधेयक पारित किया जाय"

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव पारित हुआ

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा—जारी

†अध्यक्ष महोदय : सभा अब सामान्य बजट पर अग्रेतर चर्चा करेगी श्री न० रा० मुनिस्वामी अपना भाषण आरम्भ करेंगे।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी (वेल्लौर) : एसा प्रतीत होता है कि वित्त मंत्री ने यह बजट कुछ विशेष आदर्शों के अनुरूप बनाया है। वे चाहते हैं कि जनता त्याग करे। वे यह भी चाहते हैं कि करों का भार जनता पर बराबर पड़े। वे आयात को प्रोत्साहन और निर्यात पर अंकुश रखना चाहते हैं। वे खपत कम करना और विनियोजन बढ़ाना चाहत हैं।

[श्री हेडा पीठासीन हुए]

वित्त मंत्री ने राज्य सभा में बजट संबंधी आलोचनाओं का उत्तर देने का प्रयास किया है मेरे विचार से उनका उत्तर संतोषजनक है : मेरे विचार से इस बजट के चार मुख्य पहलू हैं। पहला पहलू भुगतान संतुलन की स्थिति है। १७ फरवरी १९६१ को पोंड पावन की कुल राश केवल १५७ करोड़ रुपये थी मेरे विचार से इतनी कम राशि से तीसरी पंच वर्षीय योजना की राशि का व्यय पूरा नहीं किया जा सकता है, निसंदेह हम वित्त मंत्री के प्रयत्नों से कुछ और राशि प्राप्त करने में सफल हो गये हैं तथापि यह ऋण सभी प्रकार के अंकुशों से मुक्त होना चाहिये। हमें विश्वास है कि अन्य देश हमारे इस सिद्धान्त का समर्थन करेंगे। कुछ लोगों को यह आशंका है कि इस प्रकार विदेशी ऋण लेना खतरे से खाली नहीं है। इस संबंध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि तीसरी योजना में हमने वर्तमान संस्थापनों की क्षमता बढ़ाने का निश्चय किया है तथापि जब तक उनके लिये उपयुक्त कच्चे माल का आयात नहीं होगा या उनके उत्पादकों के लिये बाजार सुलभ नहीं होगा तब तक हमें इस संबंध में कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि या तो मशीनें बेकार पड़ी रहगी या माल बेकार पड़ा रहेगा। अतः यह आवश्यक है कि हम उद्योग संबंधी नीति बनाते समय निर्यात संबंधी नीति भी बनायें, मैं जानता हूं कि सरकार इस संबंध में प्रयत्न कर रही है तथापि मैं चाहता हूं कि इस संबंध में ठोस नीति अपानायी जाये और उसके अनुसार कार्य किया जाये।

बजट का दूसरा पहलू आर्थिक नीति है। इस संबंध में वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि लोकतत्रात्मक योजना की विशेषता यह होनी चाहिये कि विकास कार्यों के लिये जो भी त्याग करने पड़े वह समस्त जनता करे।

१९४८–४९ और १९५८–५९ के बीच राष्ट्रीय आय में ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तथापि प्रति व्यक्ति आय में केवल २५ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। इससे यह बात स्पष्ट है कि इस वृद्धि का वितरण समानतापूर्वक नहीं हुआ है। अतः यह कहना गलत है कि करों का भार सब पर बराबर पड़ा है। अब हमें इस बजट के प्रस्तावों को देखना चाहिये कि क्या उनसे जन-साधारण की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने उन वस्तुओं के सम्बन्ध में कर व्यवस्था को

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० रा० मुनिस्वामी]

व्यापक बनाया है जो कि सर्वसाधारण के काम की हैं, यथा सुपारी, मिट्टी का तेल, काफी और चाय। यद्यपि उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में यह कहा है कि यह वृद्धि नामात्र की होगी तथा केवल कुछ विशेष प्रकार की वस्तुओं पर ही उत्पादन शुल्क लगाया जायेगा, तथापि इसका असर सामान्य जनता पर पड़ेगा १९६०–६१ में सार्वजनिक ऋणों की राशि में कमी हुई है। इसी प्रकार इनामी बांड भी उतनी राशि के नहीं बिके हैं जितना हमने लक्ष्य रखा था। इससे यह स्पष्ट है कि लोग गैर सरकारी क्षेत्र में ही अधिक रुपये लगा रहे हैं। कुछ कम्पनियों के अंशों में दस से बारह गुनी वृद्धि हुई है। अतः मेरा सरकार से यह निवेदन है कि देश की अर्थ-व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिये कि देश की संपत्ति का व्यापक वितरण हो और वह समाज के प्रत्येक स्तर तक पहुंच सके।

इसमें संदेह नहीं कि तीसरी पंच वर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये हमें कर लगाना पड़ेगा। करारोपण के संबंध में राज्यों तथा केन्द्र में समायोजन होना चाहिये, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के हित में यह है कि केन्द्र तथा राज्य मिल कर करों के संबंध में एक ढांचा तैयार कर लेवें। और उसी के अनुसार कर लगाये जायें।

१९५५–५६ से १९६१–६२ के बीच व्यय में ३०० करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई है निसंदेह विकासशील अर्थव्यवस्था विकास्तर कार्यों में काफी व्यय होता है तथापि इस संबंध में बचत की काफी गुंजायश है जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

अब मैं कुछ शब्द व्याख्यात्मक ज्ञापन के संबंध में कहना चाहता हूं, उसमें इतनी जानकारी भर दी गयी है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि उसका उपयोग किस प्रकार किया जाये। मेरा सुझाव है कि सदस्यों को वही जानकारी दी जाये जो उनके लिये उपयोगी हो।

प्रतिरक्षा सेवाओं संबंधी मांग संख्या ९ के अधीन ३१ करोड़ रुपयों की राशि मांगी गयी है तथापि इसकी कोई व्याख्या नहीं की गयी है कि यह राशि किस प्रकार व्यय की जायेगी मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस संबंध में अधिक जानकारी दी जायेगी

†आचार्य कृपालानी (सीतामढ़ी) : मैं माननीय वित्त मंत्री के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं क्योंकि उन्हें जनता पर बहुत भारी कर लगाने पड़े हैं। वस्तुतः ये कर उन्हें उन नीतियों के कारण लगाने पड़े हैं जो यहां उनके आने के पहले ही बन चुकी हैं।

[श्री मूल चन्द दूबे पीठासीन हुए]

बहुत से लोगों ने उनके साहस की बड़ी प्रशंसा की है। तथापि गरीब व्यक्ति पर कर लगा कर बहादुर कहलाना ठीक नहीं है। यह भी कहा गया है कि करों का भार सामान्य जनता पर बराबर पड़ेगा, तथापि गरीब पर भार पड़ने का अर्थ यह होगा कि जो भोजन उसे नसीब हो रहा है वह भी नहीं मिलेगा जब कि अमीरों के विलास पर भी थोड़ा ही आघात होगा। यद्यपि वित्त मंत्री ने कहा है कि जनता को त्याग करना होगा, तथापि यदि उन्हें योजना के द्वारा कुछ लाभ हुआ होता तब त्याग करना ठीक था तथापि सत्य यह है कि योजना से उन्हें बिल्कुल लाभ हुआ ही नहीं है।

अब वित्त मंत्री ने आम जरूरत की सभी चीजों पर जैसे कपड़ा, चाय, काफी, कच्चा माल तथा मशीनों के निर्यात पर भी कर लगा दिया है। । ९५ प्रतिशत मामलों में उत्पादन शुल्क से व्यापार और उद्योग को मिलने वाले मुनाफे की वृद्धि होती है। कई अन्य उपकर भी उपभोक्ताओं

†मूल अंग्रजी में

को देने होते हैं । सरकार का यह कर्तव्य है कि जिन वस्तुओं पर कर लगाये गये हैं उनकी नयी कीमतों की भी घोषणा कर दी जाय । इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति मुनाफाखोरी करे उसे कड़ा दंड दिया जाय । लोकलेखा समिति के नवीनतम प्रतिवेदन में कहा गया है कि एक बदनाम फर्म को जिसके सम्बन्ध में यह आदेश जारी हो चुके हैं कि उनको कोई ठेका नहीं दिया जाय २३ करोड़ का ठेका और एक ४ करोड़ का ठेका दिया गया है । मैं चाहता हूं कि उस फर्म का नाम बताया जाय ।

इन उत्पादन शुल्कों से कुल ६० करोड़ रुपये की आय होगी । इतनी आय तो सरकार को केवल आयकर के प्रशासन में कुशलता लाने से ही हो सकती थी, यदि सरकार अपनी योजना में जरा सा कटौती करती तो भी इतनी रकम बच सकती थी, या बजट के आंकड़े सही-सही दिखाने से भी यह रकम निकल सकती है ।

दुख की बात यह है कि जो रकम इन करों से जमा की जाती है वह विकासेतर कार्यों में ही व्यय की जाती है । दुख की बात है कि यद्यपि योजना के लिये सामान्य जनता त्याग करती है तथापि इसका लाभ कुछ थोड़े से लोगों को मिलता है ।

योजना आयोग के सहयोग से माल्कियत और नियंत्रण के सम्बन्ध में जो जानकारी एकत्र की गयी है उससे यह पता लगता है कि कुछ ही व्यवसायिक फर्मों के पास सारा धन और शक्ति एकत्र होती जा रही है । यह प्रवृत्ति देश के लिये घातक है । जहां तक यह प्रश्न है कि एक फर्म के अधीन कुल कितनी कम्पनियां हैं वहां हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कुछ फर्मों के नामनिर्देशित व्यक्ति अन्य फर्मों में भी काम करते हैं । वस्तुतः हमें यह पता लगाना चाहिए कि उन फर्मों की वास्तविक नीति कहां से बनती है । वस्तुतः इस प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण की प्रवृत्ति खतरनाक है ।

दुख का विषय है कि धनी व्यक्ति न केवल अधिक धनी हो रहे हैं अपितु सरकार का रवैया भी यह है कि इन्हीं बड़ी बड़ी फर्मों को सरकार की ओर से सभी प्रकार का प्रोत्साहन मिल रहा है, ऐसी एक फर्म को तीन वर्ष के भीतर ३० करोड़ के लायसेंस दिये हैं ।

सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि १९५२–५३ से १९५६–७५ के बीच २०० रु० प्रति वर्ष कमाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है जब कि ५०० रु० से अधिक कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है इससे यह स्पष्ट है कि धन धीरे-धीरे कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में इकट्ठा होता जा रहा है ।

और इसी बीच ५,००० से १०,००० रुपये की आय के लोगों की संख्या में ७५ प्रतिशत वृद्धि हुई है, जब कि १०,००० से १५,००० रुपये तक की आय के लोगों की संख्या ६५ प्रतिशत और १५,००० से २०,००० रुपये तक की आय वालों की संख्या १० प्रतिशत बढ़ी है । इससे पता चलता है कि चन्द लोगों के हाथ में सम्पदा का केन्द्रीकरण बढ़ता गया है । हम एक ओर समाजवाद का नारा बुलन्द करते हैं, और दूसरी ओर योजनाओं का अधिकाधिक लाभ ऊंची आय वालों को ही हो रहा है ।

एक ही उद्योग में नयी इकाइयों की संख्या सीमित कर दी गई है, इसलिये कोई विशेष प्रतियोगिता नहीं रह गई है । विदेशी मुद्रा की बचत के नाम पर आयातों में कटौती कर दी गई है । सरकारी कर्मचारियों में भी नये पदों का लाभ उच्चाधिकारियों को ही हुआ है । इस प्रकार निचली आय और ऊंची आय वालों के बीच की खाई और बढ़ती गई है ।

दूसरी ओर विनियोजन बढ़ रहा है । इसका परिणाम यह निकला है कि विलास-वस्तुओं की मांग और उनका उत्पादन बढ़ता जा रहा है । हमारे देश का संसाधन इस प्रकार गलत वस्तुओं के निर्माण में लग रहे हैं ।

[आचार्य कृपालनी]

एक ओर बड़ी बड़ी इमारत खड़ी की जा रही हैं, और दूसरी ओर हमारे बुनियादी उद्योग, इस्पात जैसे उद्योगों को यथेष्ट कच्चा माल नहीं मिल पाता ।

द्वितीय कृषि-जांच के प्रतिवेदन से पता चलता है कि खेतिहर परिवारों की वार्षिक आय तो ४४७ से घट कर ४३७ रुपये रह गई है, लेकिन उपभोग वस्तुओं का व्यय ४६१ से बढ़ कर ६१८ रुपये हो गया है। खेतिहर मजदूरों की बेरोजगारी बढ़ गई है ।

श्री अशोक मेहता ने ठीक ही कहा है कि हमारी योजना में कोई सहकार्य नहीं है । कोयले का अभाव इसका प्रमाण है। यदि परिवहन और संचार और खान तथा ईंधन मंत्रालय में परस्पर सहकार्य होता, तो कोयले का संकट पैदा न होता ।

योजनीकरण तो वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिये । यह तो योजना का तरीका नहीं है कि बांध तो तैयार हो गया, पर नहरें नहीं बनीं। योजना का यह तो कोई तरीका नहीं कि परियोजनाओं का वास्तविक व्यय अनुमित व्यय से दोगुना बैठे ।

दामोदर घाटी परियोजना पर ५५ करोड़ का अनुमान था, और व्यय हुए १६० करोड़ रुपये। इसी प्रकार भाखड़ा-नंगल पर ७५ करोड़ के बजाय १७० करोड़ रुपय व्यय हुए हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं ।

सरकार इनके लिय करों में अधिकाधिक वृद्धि करती जा रही है। ठीक है, लेकिन कम से कम जनता को उनसे लाभ तो हो । लाभ तो केवल उच्च वर्गों को हो रहा है। सरकार योजना की बड़ी-बड़ी बातें करती है, पर असल में उसके पास कोई योजना नहीं है । इससे लाभ की जगह हानि ही हो सकती है ।

हमारे औद्योगिक उत्पादन में ६६ प्रतिशत और कृषीय उत्पादन में ३३ प्रतिशत वृद्धि हुई है, फिर भी मूल्य बढ़ते जा रहे हैं । मुद्रा-स्फीति बढ़ रही है । बताया जाता है कि दो योजनाओं के काल में राष्ट्रीय आय ४२ प्रतिशत बढ़ी है ; लेकिन रुपये का मूल्य भी तो ३० प्रतिशत गिर गया है । कई देशों ने बिना किसी योजना के ही इससे अधिक प्रगति कर दिखाई है ।

और अगर कुछ देर के लिये मान भी लिया जाय कि योजनाओं से जनता को लाभ पहुंच रहा है, तो उसके साथ नैतिक प्रगति भी तो जरूरी है। केवल भौतिक प्रगति से तो कुछ नहीं बनता। १८वीं शताब्दी में हमारा देश भौतिक दृष्टि से बड़ा सम्पन्न था, लेकिन क्या हुआ ? प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि राष्ट्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं है । इस बीच में देश की एकता विगठित हुई है। स्वाधीनता से पहले, हमारे देश की एकता इतनी विगठित नहीं थी ।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि साम्प्रदायिकता ही सबसे खतरनाक शत्रु है देश का । असल बात यह है कि राष्ट्र के नेताओं की नैतिकता का स्तर भी अब वह नहीं रहा है। आज जनता राजनीतिज्ञों को नीची निगाह से देखती है । समझती है कि व देश की परवाह किये बिना अपने स्वार्थ साधते हैं ।

देश की कार्यक्षमता का स्तर भी पहले से गिर गया है ।

युवकों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है ।

सेना में भी अनुशासन का स्तर गिर रहा है, विशेषकर जब से वैदेशिक मामलों के तुनकमिजाज विशेषज्ञ ने वह पद संभाला है । सेना के उच्चाधिकारी तक त्याग-पत्र देने की बात करने लगे हैं ।

इसकी जड़ें और गहरी होंगी। इसकी पूरी-पूरी छानबीन की जानी चाहिये। सीमा-विवादों को देखते हुए, यह और भी जरूरी हो जाता है।

सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी कोई नयी रचना सामने नहीं आई। सांस्कृतिक कार्य का मतलब यह समझा जाता है कि फैशनेबिल समारोह किये जायें।

कहा जाता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सारे संसार में नैतिक स्तरों में गिरावट आई है। लेकिन इससे हमें आत्म-तुष्टि नहीं होनी चाहिये। हमारे देश में फूट-परस्ती बढ़ रही है। इसलिये हमें अधिक सतर्क और चरित्रशील बनना चाहिये। तभी हम कोई दूसरा काम कर सकेंगे।

†श्री म०रु० मजानी (रांची-पश्चिम) : कल मैंने तथा कथित विरोधी दलों के नेताओं के भाषण सुने थे। तथाकथित इसलिये कि उन सभी ने आय-व्ययक का समर्थन ही किया है।

श्री डांग ने ठीक ही कहा है कि नये अप्रत्यक्ष कराधान और उत्पादन शुल्कों से ग़रीब जनता पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि साधारण जनता उसे नहीं कहा जायगा जो चाय, या कॉफी या सिगरेट नहीं पीती। यदि साधारण जनता वित्त मंत्री जैसी बन जाय, तो देश की तसवीर बड़ी भयावह बन जायगी।

अप्रत्यक्ष करों के विरोध में, श्री डांगे ने सोवियत यूनियन का उदाहरण बिलकुल ग़लत दिया है। वहां जो उत्पादन-शुल्क ४०–५० प्रतिशत बैठता है और राज्यीय उद्यमों के मुनाफ़ों से जो २०–२५ प्रतिशत दिया जाता है, वह सब अप्रत्यक्ष कराधान ही तो है। सोवियत यूनियन में उपभोक्ताओं को अप्रत्यक्ष कर अदा करने पड़ते हैं।

श्री डांगे ने वित्त मंत्री पर आरोप लगाया है कि वे जनता को जीवन का सुख नहीं भोगने देना चाहते। सोवियत यूनियन की पत्रिका में, मैंने बिलकुल ऐसी ही बात पढ़ी थी। उसमें उस जनता की आलोचना की गई थी जो भौतिक सुख-सुविधायें चाहती है। इसलिये सोवियत यूनियन के राज्यीय-पूंजीवाद और हमारे यहां की उसकी नीरस और जालसाजी भरी नक़ल में कोई ज्यादा फ़र्क नहीं है।

श्री अशोक मेहता ने आय-व्ययक का समर्थन किया है। लेकिन हमें यह आशा नहीं करनी चाहिये कि राजनीतिज्ञों द्वारा तैयार किये गये और नौकरशाही द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले सरकारी उपक्रमों में कभी भी कोई लाभ होगा। श्री अशोक मेहता भी इस बात को स्वीकार करेंग कि भारत में यदि एक बड़े पैमाने पर राज्यीय उद्यम चलाया जायगा, तो उससे मुनाफ़ा नहीं हो सकता।

इसलिये मेरी दृष्टि में न तो कम्युनिस्ट और न प्रजा सोशलिस्ट ही वास्तव में विरोधी दल हैं। दोनों की नीति तो कांग्रेस जैसी ही, समाजवाद की ही है।

केवल स्वतंत्र पार्टी ही वास्तव में, बुनियादी तौर पर, विरोधी दल है। स्वतंत्र दल देश में वास्तविक आर्थिक लोकतंत्र चाहता है। उत्पादकों को स्वतंत्रता रहनी चाहये कि वे क्या उत्पादन करें।

श्री जय प्रकाश नारायण ने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता पांच साल में एक बार वोट देकर फिर असहाय बन जाती है। पांच साल तक वह कुछ कह ही नहीं सकती। इसका इलाज यह है कि आर्थिक लोकतंत्र स्थापित किया जाय। तब जनता अपनी उपभोग वस्तुओं को स्वयं चुन सकती है। उसी से प्रतियोगिता का सिद्धान्त पैदा होता है। इस हिसाब से, कांग्रस, कम्युनिस्ट

---

†मूल अंग्रेजी में

[आचार्य कृपालनी]

और प्रजा समाजवादी—ये सभी दल समाजवाद के ही खेमे में हैं। स्वतंत्र दल उसके विरुद्ध गांधी जी का सिद्धान्त रखता है कि आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाय। देश को इन दोनों विकल्पों में से ही चुनाव करना है।

इस आय-व्ययक में जो नये कर लगाये गये हैं, मख्यतया आम जनता पर पड़ते हैं। यह अनुचित है। आम जनता पर पहले ही करों का भार अत्यधिक है। मद्रास के समाचार पत्र 'हिन्दू' ने अनुमान लगाया है कि इस आय-व्ययक के फलस्वरूप शहरों में रहन-सहन की लागत लगभग ५ प्रतिशत बढ़ जायेगी।

और इन उत्पादन शुल्कों के फलस्वरूप औद्योगीकरण में अड़चन पड़ेगी। बरोजगारी बढ़ जायेगी। शक्ति-चलित करघों पर उत्पादन-शुल्क लगाने से १५,००० व्यक्ति बेरोजगार होने की आशंका है। तांबे और जस्ते की चीजों पर कर लगाने से, जगाधरी और पंजाब में ५,००० मजदूर बेकार हो गये हैं। मिर्जापुर के छोटे उद्योगों पर भी इसका घातक प्रभाव पड़ा है। अखबारी कागज़ पर अतिरिक्त शुल्क लगाने से, अखबारों के उद्योग को बड़ा धक्का लगेगा।

देश के आन्तरिक विकास पर इन सबका बुरा प्रभाव पड़ेगा और देश में मुद्रा-स्फीति बढ़ेगी। स्पष्ट है कि उसका निर्यातों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा

'इकनोमिक रिव्यू' ने लिखा है कि द्वितीय योजना काल में भारतीय जनता की वास्तविक आय केवल १९ प्रतिशत बढ़ी, लेकिन धन की सुलभता ३५ प्रतिशत बढ़ गई।

गत वर्ष खाद्यान्नों के मूल्य नहीं बढ़े। इस लिय यह नहीं कहा जा सकता कि खाद्यान्नों के मूल्यों की वृद्धि के कारण ही देश में मुद्रा-स्फीति बढ़ रही है। मुद्रा-स्फीति का कारण सरकार की अपनी धन-सम्बन्धी नीति है। सरकारी योजनाएं ही ऐसी हैं।

१९५९ के अन्त तक थोक मूल्यों के देशनांक ११७.९ थे, जो १९६० में १२४.३ हो गये हैं। द्वितीय योजना-काल में थोक मूल्यों में २५ प्रतिशत वृद्धि हुई है। उसी सीमा तक रुपये का अवमूल्यन किया गया।

मुद्रा-स्फीति के कारण, विनियोजन, बचत और उत्पादन की प्रेरणा कम हो रही है। सरकार एक ओर तो मितव्ययता की बातें करती है, और दूसरी ओर व्यय बढ़ाती जा रही है। आन्तरिक मूल्य बढ़ने के कारण निर्यात-व्यापार भी ठप हो रहा है।

फिर, धन कहां से आयेगा? इसके लिये अतिरिक्त कराधान की आवश्यकता नहीं। अधिक कर लगाने से तो साधारण जनता का बोझ ही बढ़ेगा। प्रत्यक्ष करों के लिये अब कोई गुंजायश नहीं रह गयी है। धन के लिये, असैनिक व्यय में कमी की जानी चाहिये और गैर-रचनात्मक ढंग की विकास योजनाओं को त्याग देना चाहिये। उससे ही हमारा व्यय पूरा किया जा सकेगा।

आचार्य कृपालानी ने अभी बताया है और प्राक्कलन समितियों ने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि द्वितीय योजना काल में अतिरिक्त करों से जितनी भी राशि मिली वह गैर-रचनात्मक व्यय में खप गई। पिछले दस वर्ष में, प्रशासकीय सेवाओं का व्यय ३७ करोड़ रुपये अधिक बढ़ गया है। सामान्य प्रशासन पर १९५१–५२ में १० करोड़ रुपये व्यय होते थे जबकि १९६०-६१ में वह १९ करोड़ रुपये हो गया है। पहले लेखा-परीक्षा पर ४ करोड़ रुपये खर्च होते थे, आज ८.५ करोड़ होते हैं। संघ-पुलिस पर दस वर्ष पहले ३.८ करोड़ रु० व्यय होते थे, आज १९ करोड़ व्यय होते हैं। वैदेशिक कार्य

मंत्रालय का व्यय भी ४ करोड़ से बढ़कर १९ क ोड़ रुपये हो गया है। इस प्रकार ३७ क ोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ है ।

हमारी सीमाओं को उत्तर की ओर से खतरा है। फिर समुद्री खतरे के खिलाफ तैयारी करने पर क्यों व्यय किया जा रहा है ? हम नौसेना पर इतना अपव्यय क्यों कर रहे हैं ?

यही नहीं कि ऐसी नीति पिछले दस साल से चली आ रही है, पर लगता है आगे भी यही नीति चलेगी ।

रचनात्मक कार्यों पर १९६१-६२ में कुल व्यय ४२०.४ करोड़ पये का है, और १९६५–६६ का अनुमित व्यय ४७१.६ करोड़ रुपये है। अर्थात्, सभी राज्य मिलकर ५१.२ करोड़ रुपये ज्यादा व्यय करेंगे। दूसरी ओर गैर-रचनात्मक कार्यों पर होने वाला व्यय १९६१–६२ में ३७५.९ करोड़ रुपये है, जो १९६५–६६ में ४६३.७ क ोड़ पये हो जायगा। अर्थात्, उसमें ८७.८ क ोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इस प्रकार असैनिक प्रशासन पर ८७.८ करोड़ रुपये अधिक व्यय होगा, जबकि रचनात्मक कार्यों पर केवल ५१.२ क ोड़ रुप े अधिक व्यय होगा। ससे स्पष्ट है कि अगले पांच साल में भी य ी नीति चालू रहेगी।

श्री अशोक मेहता ने बताया है कि विकास परियोजना पर इतना सारा व्यय करने के बाद भी, उनकी आय ०.५१ प्रतिशत रही है। यदि कोई व्यवसायी ऐसा व्यवसाय करे, तो दिवालिया हो जायगा। यह नीति ही गलत है। तृतीय योजना में चौथे इस्पात कारखाने की परियोजना शामिल ही नहीं होनी चाहिये थी। जनता पर अतिरिक्त कर इसीलिये लगाने पड़ते हैं कि देश के संसाधन राज्यों की उन परियोजनाओं में लगाये जाते हैं जिनसे कोई विशेष लाभ नहीं होता।

अणुशक्ति विद्युत् स्टेशनों पर व्यय के लिये १९६१–६२ में ११.४८ करोड़ रुपये रखे गये हैं। इससे क्या लाभ ? आज हमारे देश की परिस्थिति उसके योग्य नहीं। हमें बड़-बड़े देशों की नकल नहीं करनी चाहिये। हम रूस की नकल कर रहे हैं, लेकिन रूस अब खुद उस पर फिर से विचार कर रहा है ।

सरकार की नीति को गलत होने से ोकना, अपने आप में एक रचनात्मक का है। मेरे रचनात्मक सुझाव ये हैं :

असैनिक व्यय में भारी कटौती की जाय। विकास सम्बन्धी रचनात्मक कार्यों पर ही अधिक व्यय किया जाय। प्रगति की कसौटी व्यय को नहीं, बल्कि लाभ प्रदता को बनाया जा ।

और ीसरी बात यह कि कराधान को उचित सीमाओं में रखा जाये।

चौथी चीज यह है कि करों की वसूली ईमानदारी और कार्यक्षमता के साथ की जा । प्रोफेसर कल्डोर ने बताया है कि देश में कितनी कर-अपवंचना ोती है।

मेरा पांचवां सुझाव है कि सरकारी क्षेत्र पर व्यय कम किया जाये।

और मेरा अन्तिम सुझाव है कि विदेशों से ऋण लेने के बजाय, देश में ही आवश्यक पूंजी जुटाई जाये। हम चाहते हैं कि हमारे देश में विदेशी पंजी आ , पर हमारे देश के हि ों की कीमत पर नहीं।

और अन्त में मझे यही कहना है कि वित्त मंत्री का यह कथन सही नहीं है कि यह नये कर जनता की सहमति से लगाये हैं। इस आय-व्ययक को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है।

[आचार्य कृपालनी]

पिछले चुनावों के समय कहा गया था कि द्वितीय योजना काल में ४५० करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर लगेंगे, लेकिन पिछले पांच साल में १०४० करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त कर लग चुके हैं। जनता की सहमति केवल ४५० करोड़ रुपये तक के लिये थी। इस लिये जनता इसका समर्थन नहीं कर सकती। मुझे विश्वास है कि जनता इस आय-व्ययक की नीति के पक्ष में वोट नहीं देगी।

†श्री सोमानी (दौसा): जिस साहस और दूरदर्शिता के साथ वित्त मंत्री महोदय ने ६० करोड़ रुपये के साधन निकाले हैं, उस से प्रकट होता है कि सरकार तीसरी योजना को ठीक ढंग से कार्यान्वित किये जाने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है। हमारा विचार था कि इस मामले में नये साधनों को तलाश करना कठिन होगा। सचमुच वित्त मंत्री ने बड़ा कठिन कार्य कर दिखाया है। इस बात पर तो सभी सहमत हैं कि जो कार्य विकासात्मक नहीं है उन पर होने वाले व्यय पर सदा निगरानी रखी जायेगी। हम यह भी आशा है कि यदि वित्त मंत्री को यह विश्वास हो जाय कि लगाये जानेवाले कुछ करों का कुछ उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो वह ऐसे करों के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करेंगे।

इस दिशा में मेरा यह भी निवेदन है कि हमें अपनी नीतियों में इस प्रकार संशोधन करने चाहियें जिससे हमारे निगमों का अधिकाधिक विस्तार हो सके। बड़े निगमों के कार्य की कुछेक अवांछनीय बातों के निराकरण के लिये समवाय अधिनियम और अन्य कानूनों में पर्याप्त परित्राण रखे गये हैं। हमारे निगमों के बढ़ते हुए कार्यों को रोकने के लिये कोई कार्य न किया जाये। इस के साथ ही इस बात की व्यवस्था करना उचित नीति ही कही जायेगी। आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण पर बहुत अधिक जोर देने से औद्योगिक कार्यों की गति कम होने की सम्भावना है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे देश के शेयर बाजार में जो भावों का चढ़ाव होता है वह अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। सरकार को इस सम्बन्ध में अधिक चिन्ता नहीं करनी चाहिये। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में निगमित निकायों के ढांचे के विस्तार की जो प्रवृत्ति है उसे विभिन्न उपायों से हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिये जैसाकि रक्षित बैंक और सरकार समय समय पर करती रही है।

लोग नये नये समवाय बना कर पूंजी लगा रहे हैं। यदि अत्यधिक लाभ पर कर लगाया गया तो उस का परिणाम यह होगा कि लोगों में नई पूंजी लगाने के लिये कोई उत्साह नहीं रह जायेगा। इस पर कर लगाने का सुझाव खतरे से खाली नहीं है। इस के अतिरिक्त रक्षित निधि से जो पूंजी बनाई जाती है उस पर कर लगाने का कोई औचित्य नहीं है। बोनस पर लगाये गये पूरे के पूरे कर को उठा लेना चाहिये। उद्योगों को उचित लाभ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिये। इस संबंध में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संघ ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया है। जिन उद्योगों का देश के आर्थिक विकास में भारी हाथ है उन्हें अधिक मुनाफा लेने की अनुमति दी ही जानी चाहिये।

कपड़ा उद्योग के बारे में मेरा निवेदन है कि इस उद्योग के समक्ष इस समय पुनर्स्थापना और आधुनिकरण की समस्यायें हैं। उन पर चार अतिरिक्त कर लगा दिय गये हैं। इस उद्योग को किसी न किसी प्रकार की छट देना आवश्यक है। मैं यह भी कहूंगा कि सूत और स्वचालित करघों पर शुल्क लगाना उचित नहीं होगा। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को महत्वपूर्ण उद्योगों के प्रतिनिधियों की एक अनौपचारिक बैठक आयोजित कर के उन के समक्ष निर्यात के बढ़े हुए लक्ष्य

†मूल अंग्रेजी में

रखने चाहियें। इस के बाद उसे इस बात पर विचार करना चाहिये कि देश का निर्यात बढ़ाने के लिये लोगों को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है और उन्हें किस ढंग की सुविधायें दी जानी चाहियें

†श्री महन्ती (डेंकनाल) : मेरा मत है कि आय-व्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों से सब को आश्चर्य हुआ है। उन्होंने तीसरी योजना को कार्यान्वित करने के लिये पूरी शक्ति से साधन जटाने का प्रयत्न किया है। हमें इस बात को याद रखना है कि हमारा लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना है और इसी दृष्टिकोण से ही हमें कर प्रस्तावों पर विचार करना चाहिये।

प्रत्यक्ष करों द्वारा ३ करोड़ और अप्रत्यक्ष करों द्वारा ६० करोड़ रुपया प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं आखिर सरकार के समक्ष कौन से ऐसे तथ्य हैं जिन से प्रेरित हो कर सरकार ने प्रत्यक्ष करों को घटाने का निर्णय किया। भारत में करों के कुल संसाधनों के अनुपात में प्रत्यक्ष कर सब से कम हैं।

अब मैं गैर-सरकारी क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। रक्षित बैंक के १९६० के बुलेटिन से पता चलता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्साह काफी है और इस दिशा में लाभ भी बढ़ रहा है। यह नहीं कहा जा सकता कि गैर-सरकारी क्षेत्र अब और प्रत्यक्ष करों का भार वहन करने की स्थिति में नहीं है। आश्चर्य की बात है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को तो छूट दे दी गई है और जनता को और अधिक अप्रत्यक्ष कर देने को कहा जा रहा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यदि आप हमारे दृष्टिकोण से भी इस बात पर विचार करें तो आप देखेंगे कि स्थिति वहां भी पूर्ण रूप से सन्तोषजनक नहीं है। निरन्तर लोगों को योजनाओं के लिये बलिदान करने की बात कहते रहना भी उचित दिखाई नहीं देता। यह बात भी समझ में नहीं आती कि खपत को बढ़ाना अधिक उत्पादन तथा अच्छी अर्थ व्यवस्था के हित की बात कैसे है। आप जापान का उदाहरण लीजिये। वह ईंधन अर्थात् कोयला अमरीका से मंगाते हैं और कच्चा माल भारत से लेते हैं फिर जापानी इस्पात संसार भर में सब से सस्ता है। इस से देश में एक वातावरण तैयार होता है जिस से खपत बढ़ती है और विभिन्न प्रकार के इस्पात के सामान का उत्पादन बढ़ता है। अतः हमें देश में निम्न स्तर की खपत पर नियंत्रण रखना है। इस दिशा में निगमित क्षेत्र में कराधान को ५१.५ प्रतिशत से घटा कर ४५ प्रतिशत कर देने के आखिर क्या कारण हैं? प्रस्तावित करों में से कुछ तो ऐसे हैं जिन का कोई औचित्य नहीं है। अधिक उत्पादन के लिये हमारे देश के लोगों की बनियादी जरूरतों को कम किया जाना चाहिये, यह धारणा सही नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिये कि सभी साधनों को जुटा कर जो कुछ योजना के लिये एकत्रित किया जाता है उसे योजना के अतिरिक्त अन्य साधनों के लिये प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? देश के लोग रो धो कर योजना के लिये जो कुछ देते हैं उसे योजना के अतिरिक्त किसी मद पर व्यय करना पाप है। यदि इस धन का कुछ भाग प्रतिरक्षा के लिय आपातकालीन स्थिति में खर्च करना भी पड़े तो जनता को इस सम्बन्ध में सारी स्थिति बताई जानी चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अखबारी कागज़ पर जो उत्पादन शुल्क लगाया गया है उस से छोटे समाचार पत्रों को काफी कठिनाई होगी। यह शुल्क अवश्य कम किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महन्ती]

इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये कि करों की वसूली का उत्तरदायित्व जिन लोगों पर है वे यह वसूली ठीक ढंग से करें। इस के लिय यह आवश्यक है कि वे पूरी तरह सन्तुष्ट हों। इस विभाग में योग्यता और वरिष्ठता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये। वित्त मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस मामले की ओर अवश्य समुचित ध्यान दें।

†श्री कमल नयन बजाज (वर्धा) : आय-व्ययक प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री महोदय ने देश का जो आर्थिक सर्वेक्षण किया है वह बहुत महत्वपूर्ण और ठोस है देश के राजस्व और साधनों को जुटाने की दिश में एक भगीरथ प्रयत्न किया गया है। मैं उन्हें इस के लिये मुबारकबाद देता हूं। वैसे तो मैं उन से सामान्यतः सहमत हूं परन्तु फिर भी कुछ कमियां रह गई हैं जिन की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं।

आज प्रत्यक व्यक्ति यह जानता है कि हमारी विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति प्रतिदिन खराब हो रही है। उस के लिये निर्यात को प्रोत्साहन देना बड़ा आवश्यक है। योजना बनाने वालों ने इस बात की पूर्ण उपेक्षा की है कि तैयार किये गये माल के उत्पादन व्यय को कम करना जरूरी है; यदि हमें अपना निर्यात बढ़ाना है तो हमें अपना उत्पादन व्यय अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के उत्पादन व्यय के समकक्ष लाना होगा। हमारे निर्यात की स्थिति बहुत खराब हो गई है। १९५६ में ६१९ करोड़ रुपये का माल निर्यात हुआ जबकि १९६० में यह ६३६ करोड़ था। गत पांच वर्षों में इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई। उस के मुकाबले में आयात जो १९५६ में ८२१ करोड़ का था १९६० में १००० करोड़ का हो गया। हमें निर्यात बढ़ा कर इस कमी को सन्तुलित करना ही होगा। यह तब ही सम्भव होगा यदि उत्पादन व्यय कम किया जाय और राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान कर आगे चला जाय।

इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारा जीवन स्तर ऊंचा हुआ है, विकास का कार्य काफी हुआ परन्तु यह एक ठोस सत्य है कि गरीब आदमी का कोई भला नहीं हुआ। जिन के पास कुछ न थ वे तो कुछ प्राप्त करने में सफल हो गये परन्तु साधनहीन व्यक्ति आज भी मुंह ही देखते रह

क्ति तो शिक्षा और डाक्टरी की सामान्य रूप में दी जाने वाली सुविधाओं का भी लाभ नहीं उठा सके। कई गरीब इसलिये तकावी कर्जा न ले सके क्योंकि उन की जमानत देने कोई नहीं था। यह देश की बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है और हमें बड़ी गम्भीरतापूर्ण ढंग से विचार इस का हल निकालना चाहिये।

यद्यपि सरकार की यह नीति है कि अन्ततः सारे देश में मद्य निषेध लागू कर दिया जाय त भी इस दिशा में प्रभावपूर्ण काम नहीं हो रहा है। जहां मद्य निषेध लागू है वहां भी चोर उच्चक्के स चीज का फायदा उठा रहे हैं। यह नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक सारे देश में ल ागू नहीं किया जाता।

योजना आयोग ने भी इस दिशा में कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। इस तरह से मद्य निषेध लागू नहीं हो सकता। आज पुलिस तक नाजायज शराब बेचने वालों के साथ है :

जहां तक गन्दे चलचित्रों और अश्लील इश्तहारों का सम्बन्ध है आचार्य विनोबा भावे ने भी उन की निन्दा की है। सरकार को ऐसी अश्लील चीजों पर पाबन्दी लगानी चाहिये। खेद से कहना पड़ता है कि इस तरह से भारतीय नारी की परम्परागत लज्जा और उस का शील खतरे में पड़ जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक कराधान का सम्बन्ध है, उस के बारे में मैं प्रार्थना करूंगा कि हमें अर्जित और अनर्जित आमदनी के बीच यथौचित फर्क करना चाहिये। जो लोग मेहनत से रुपया कमाते हैं उन्हें कुछ रियायत दी जानी चाहिये। जिन लोगों को जायदादों के किराये मिलते हैं उन पर ज्यादा कर लगाना चाहिये।

श्री अ० प्र० जैन ने कहा है कि लाभांश बोनस पर कर की दरों में कमी करने के फलस्वरूप आयकर का अपवंचन बढ़ेगा परन्तु मैं इसे सही नहीं मानता। मैं तो बल्कि यह प्रार्थना करूंगा कि इस कर को हटा ही दिया जाय। इसी प्रकार मनोरंजन कर के क्षत्र में भी गैर-सरकारी फर्मों को वही छूट दी जानी चाहिये। आयकर अधिनियम की धारा ५६-क के अन्तर्गत अन्य उद्योगों को भी शामिल किया जाना चाहिये।

जहां तक सहायक कम्पनियों का सम्बन्ध है, यदि सरकार उन कम्पनियों को भी सहायक मान ले जिन्होंने दूसरे समवाय के चालीस प्रतिशत हिस्से ले रखे हों, तो उस की कठिनाइयां काफी हद तक दूर हो सकती हैं।

पूंजीगत सामान के आयात पर जो कर लगाया गया है उस से उन चीजों के देश में निर्माण करने के लिये लोगों को बढ़ावा मिलेगा। परन्तु जिस सामान के आयात का आर्डर पहले दिया जा चुका है उस पर छट मिलनी चाहिये। इसी के साथ मैं प्रार्थना करता हू कि कांच के शैलों पर भी उत्पादन शुल्क न लगाया जाय बल्कि यदि जरूरी हो तो यह कर बाद में लैम्पों पर ही लगा दिया जाय।

जहां तक विक्रय का सम्बन्ध है, मैंने पिछले साल भी प्रार्थना की थी कि इसे निर्मित वस्तुओं पर से तो हटा दिया जाय। इसे हटाने से काफी सुविधा होगी। इस की बजाय अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जा सकता है।

श्री म०ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही कुछ सदस्यों को २५, २५ मिनट तक दिये गये हैं। मुझ में यह खराबी जरूर है . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : यह शिकायत आप अपनी पार्टी में करें, मुझ से न करें।

श्रीमती सहोदरा बाई राय (सागर रक्षित-अनुसूचित जातियां) : १० मिनट ही काफी हैं, १५ मिनट की क्या जरूरत है।

श्री म० ला० द्विवेदी : अभी एक सदस्य ने कहा कि हमारी सरकार की बनाई हुई योजनायें यूटोपियन प्रोजैक्ट्स हैं। इसे सुन कर मुझे याद आया कि एक जंबार गल में बरसात हुई तो एक साथ के भीतर सांप, बिच्छू, गीदड़, शेर, गायें और बकरियां सब इकट्ठे हो गये, और वे कुछ समय के लिये एक साथ रहे। उन माननीय सदस्य का जो स्वतन्त्र दल है उसके सदस्य न मालूम किन कारणों से कुछ समय के लिये एकत्र हो गये हैं। और दूसरे लोग जो काम करते हैं वे उस को एक यूटोपिया समझते हैं। वे बजट की योजना के बारे में कुछ बात न करके दल के बारे में और अपने राजनीतिक प्रचार के बारे में ही कहते रहे। मैं इस सम्बंध में अधिक कुछ न कहकर वित्त मंत्री महोदय को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्हों ने इस वर्ष साधारण आदमी पर, जोकि सब से छाटी आमदनी के स्तर का आदमी प्रहार हो, इस बात को सोचने का प्रयास किया है या प्रयत्न किया है। लेकिन पिछले त उस आदमी पर लगे हैं उन से उन के बचाव के लिये वे क्या कर सकते थे, शायद यह सीमा के अन्दर नहीं था। पिछले जितने वित्त मंत्री रहे हैं वे सब साधारण व्यक्ति पर ते आये हैं। इस बजट में इसकी तरफ कुछ ध्यान दिया गया है, इस लिये वे बधाई के पात्र हैं, और उन को मैं ने यह बधाई सदनमें बजट पर भाषण करने के पूर्व दी थी।

[श्री म० ला० द्विवेदी]

बजट के जितने कर प्रस्ताव हैं, उन का स्वागत तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन कुछ बातें जो हमें आपस की कहनी चाहियें, उन को कहना मैं उचित समझता हूं। पहली बात मैं यह कहना चहता हूं कि बजट के निर्माण के सम्बन्ध में हमारे वित्त मत्रालय के जो विशेषज्ञ हैं वे शायद लक्ष्य से बाहर तीर मारते हैं। लक्ष्य से बाहर तीर मारने का मतलब यह है कि हर वर्ष जितना कर वे लगाते हैं उस से वे अनुमान से कई गुना वसूल कर लेते हैं। पिछले साल ही हम ने ४१ करोड़ ३७ लाख रु० का अनुमान किया था लेकिन हम ने उस से अधिक वसूल किया। इसी प्रकार पिछले दस वर्षों के आंकड़े अगर देखे जायें तो सरकार के बजट के जो अनुमान हैं वे कई गुना बढ़ गये हैं। सन् १९४७ में जो बजट अनुमान लगभग २०० करोड़ रुपये के थे वे अब १०२३ करोड़ रुपये के लगभग हो गये हैं। यदि वास्तव में भारत के लोगों की आमदनी बढ़ती जाये और उसी हिसाब से हमारे बजट के आंकड़े भी बढ़ते जायें, तो उसका हम को स्वागत करना चाहिये। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे जो भाई हैं, देशके नागरिक हैं, उन की आमदनी का स्तर कितना नीचा हो गया है, तो पता चला है कि हमारे बजट के अनुमान वैसे नहीं हैं। कारण यह है, जैसा कि आचार्य कृपालानी ने बतलाया, कि राष्ट्रीय आमदनी में ६५ प्रतिशत वृद्धि पाई जाती है,लेकिन यदि हम इसे सही ही मान लें तो भी १०० प्रतिशत तो बढ़ती आमदनी में नहीं हुई, उस से बहुत कम है। यदि मूल्यों का हम अनुमान करें तो जितने मूल्य आज हैं वे दूने से अधिक नहीं बढ़े हैं। नागरिकों की जो आमदनी है वह शत प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ी है, उससे कम है, लेकिन हमारे बजट का खर्च २०००करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। इससे मालूम होता है हम जनता के स्तर को न देखते हुए ही अपने बजट को बनाने में लग जाते हैं और हमारे वित्त मंत्रालय के विशेषज्ञों का ध्यान इस ओर नहीं जाता। यदि हम अपने नागरिकों की आमदनी को देख लें और उस के बाद कर लगायें तो अधिक अच्छा होगा। बजट के बनाने के सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह संसद् का बजट है. . . . . .

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं बजट के लिये जिम्मेदार हूं, विशेषज्ञों के लिये नहीं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैंने यह इस लिये कहा कि वित्त मंत्री ने कहा था कि वे ले मैन हैं।

श्री मोरारजी देसाई: : ल मैन हैं तो क्या इस लिये कोई चीज जज नहीं कर सकते ।

श्री म० ला० द्विवेदी : श्री मोरारजी देसाई ने अपने भाषण में कहा था :

"समूचे देश में, नगरों,कस्बों और गांवों में।" यानी देहातों को आप ने तृतीय श्रेणी में गिना। हो सकता है कि आप ने देहातों की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया इस लिये उसे तृतीय श्रेणी में डाल दिया, जबकि ८५ परसेन्ट आबादी देहात में बसती है। आप ने बतलाया कि विकास के अंकुर सारे देश में प्रस्फुटित हो रहे हैं। मेरा कहना यह है कि यह सही है कि शहर के बेकार नौजवानों को आपने विकास खंडों में नौकरियां दे दी हैं, उन को आपने मकान दे दिये हैं, उन के भोजन की व्यवस्था कर दी है और उन को गाड़ियां दे दी हैं। लेकिन देहातों में क्या सुधार हुआ है यह यदि आप देखना चाहें तो समय निकाल कर देहातों में चलिए और यदि वहां आपको सुधार दिखाई दे तो मैं आपके भाषण का शत प्रतिशत स्वागत करूंगा और और भी अधिक बधाई दूंगा। लेकिन आप दिल्ली में रहते हैं और देहातों में नहीं घूम पाते और देहात के प्रतिनिधियों की बात सुनने का आपको अवसर नहीं मिलता। जब आप बजट बनाते हैं तो हम लोगों से कोई परामर्श नहीं करते और हमको उसमें एक अक्षर भी बदलने का सुझाव देने का

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिकार नहीं है । कल आपने राज्य सभा में कहा कि बजट में जो कर प्रस्ताव हैं उनमें आप एक अक्षर भी नहीं बदल सकते । आप न बदलें लेकिन हम जो जनता के प्रतिनिधि हैं हम अपनी बात कहेंगे अगर आप देहातों में सुधार नहीं करेंगे ।

अगर आपकी योजनायें देहात के स्तर को ऊंचा नहीं करेंगी तो आपके बजट के आंकड़े आंकड़े ही रह जायेंगे । आपको देखना चाहिए कि आपकी योजनाएं देहात में कहां तक सफल होती हैं । मैं योजनाओं का समर्थक हू और देहातों में उनका प्रचार करता हूं, लेकिन साथ साथ यह भी चाहता हूं कि जो सुधार हो रहा है कागजों पर वह जनता के पास भी पहुंचे । आपके आंकड़े कहते हैं कि पशु पालन के लिए इतना रुपया खर्च किया गया, मुर्गी पालन के लिए इतना खर्च किया गया । लेकिन आप देखें कि देहातों में मुर्गियां नहीं पाली जातीं फिर भी दो सौ मुर्गियां वहां जाकर खत्म हो जाती हैं। लेकिन जनता ने जो सड़क श्रमदान से बनायी है उसको पक्का नहीं किया जाता ।

वित्त मंत्रालय को जो आंकड़े आते हैं उनको विशेषज्ञ ही देते हैं । मंत्री लोगों को तो आंकड़े बनाने का मौका ही नहीं मिलता । ये आंकड़े पटवारियों और कलक्टरों के पास से आते हैं, जनता के पास से नहीं आते और न जनता से इनके बारे में पूछा जाता है । हम यह नहीं कहते कि आप कर लगाने के मामले में हमसे सलाह लें। आप अपने कर-प्रस्ताव अपने ही तक अवश्य रखें लेकिन आप योजनाओं पर होने वाले व्यय के बारे में तो हम से पूछ सकते हैं कि कौन सा काम देहातों में हुआ है और कौन सा नहीं हुआ ।

इसी तरह से शहरों में बड़े बड़े उद्योगों का विकास हो रहा है । देहातों के लिए भी वायदा किया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि चूंकि तुम्हारे यहां अभी बिजली नहीं है इसलिए उद्योग नहीं लगाए जा सकते । देहातों की दशा यह है कि वहां बिजली नहीं है इसलिये उद्योग नहीं लगाए जा सकते और चूंकि उद्योग नहीं हैं इसलिये बिजली नहीं आती ।

आप कहते हैं कि हमने देहातों में सिंचाई के साधन पहुचाय हैं जिससे गल्ले की पैदावार बढ़ी है । लेकिन अवस्था यह है कि किसान अपने भाग्य से लड़ रहे हैं । आप जो दे रहे हैं उसके लिये हम आभारी हैं, लेकिन देश की ८५ प्रतिशत जनता आपकी योजनाओं से उचित लाभ नहीं उठा पाती और उसका शोषण होता है ।

आप कहते हैं कि हमने घटिया किस्म के मिट्टी के तेल पर कर नहीं लगाया है । आज देहात में घर घर में लालटेन का प्रयोग होता है। अगर आदमी अपने रहने के घर के पशुओं के घरमें उनको रात में देखने जाता है तो लालटेन लेकर जाता है । आजकल देहात में घरों में चिराग तो खत्म हो गये हैं । तो आप देखें कि उसके लिए मिट्टी का तेल कितना आवश्यक है । अगर वह घटिया तेल जलायेगा तो उसकी लालटेन काली हो जाएगी और ठीक काम नहीं देगी । तो इस प्रकार मिट्टी के तेल पर टैक्स लगाकर आपने देहात के गरीब लोगों के खास इस्तेमाल की चीज पर टैक्स लगा दिया है ।

इसके अतिरिक्त आपने डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया है । आप देखें कि उसी से देहात वाले अपने ट्रेक्टर चलाते हैं, कुवों के पम्प चलाते हैं, चक्की चलाते हैं । वह इन कामों के लिए पावरिन को भी काम में लाते हैं । लेकिन पावरिन पर आपने तो यह कह कर टैक्स लगाया कि यह डीजल है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि यह तो पैट्रोल है और उन्होंने भी उस पर टैक्स लगा दिया । इस तरह उस पर साढे तीन रुपये का टैक्स हो गया । तो इससे देहात वालों को बड़ा नुक्सान हो रहा है ।

[श्री म० ला० द्विवेदी]

आप कहते हैं कि चाय के दस प्यालों पर एक नया पैसा दाम बढ़ा है लेकिन आप बाजार में चाय पीने जायें तो आपको मालूम होगा कि प्रति प्याला दाम बढ़ा दिया गया है जो कि आपके टैक्स से कहीं ज्यादा है । इसी तरह से पान ६ पैसे का मिलता है जो कि दो पैसे का मिलता था ।

श्री मोरारजी देसाई : पान पर तो कर नहीं लगाया गया ।

श्री म० ला० द्विवेदी : आपको चाहिए कि आप देखें कि जहां आप टैक्स लगाते हैं वहां चीजों के मूल्य पर नियंत्रण भी रहना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक दाम न बढ़ने पाएं । लेकिन आपके पास कोई ऐसा नियंत्रण नहीं है । आपने जो ६० करोड़ का कर लगाया है, वह तो आपको मिलेगा ही, हो सकता है कि आपको ६० करोड़ के बजाए १०० या १५० करोड़ कर वसूल हो जाए । लेकिन वास्तव में जनता को ३०० करोड़ देना पड़ेगा । एक सेठ जोकि ३६ रुपये इनकम टैक्स देता है वह दो हजार रुपए और ऊपर से देता है और अपने टैक्स को बचाता है । तो इस तरह उससे तो २०३६ रुपये लग गए लेकिन आपको तो केवल ३६ रुपए ही मिले । इसी तरह से इन करों में भी होता है । तो आप कीमतों पर नियंत्रण नहीं कर पाते इसलिये जनता को जो आप टैक्स लगाते हैं उससे कहीं ज्यादा देना पड़ता है । और वह रकम आपके पास नहीं पहुंचती । तो आपको ६० करोड़ मिलेगा लेकिन हो सकता है कि जनता को ३०० या ४०० करोड़ देना पड़े । इसका आपको अनुमान नहीं है । लेकिन यह बात गलत नहीं है । आप देखें कि बाजार में हर चीज़ ब्लैक में बिकती है । अगर आप नियंत्रण रख सकें तो दाम न बढ़ें लेकिन नियंत्रण नहीं हो पाता और जनता को चीज अधिक दाम में लेनी पड़ती है । अगर चीजों के दाम पर नियंत्रण रखा जा सके तो आप कर लगा सकते हैं ।

आपके अनेक कर्मचारी ही आपकी नीति का सही रूप से पालन नहीं करते । मैं जानता हूं कि उनमें से कुछ बहुत अच्छे और ईमानदार हैं और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं लेकिन जो ईमानदार हैं उनकी तादाद कम है । बहुत से लोग उनमें से ऐसे हैं जो राष्ट्रीयता की भावना से काम नहीं करते और अपने स्वार्थ का ध्यान रखते हैं । इसलिये हमारे सारे बजट अनुमान गलत हो जाते हैं और हमको जनता से उसका समर्थन नहीं मिल पाता ।

दूसरी चीज मैं आप से रेवेन्यू के एस्टीमेट्स के बारे में कहना चाहता हूं । हम देखते हैं कि आप जितना अनुमान करते हैं उससे रेवेन्यू हमेशा बढ़ जाती है । चाहिए तो यह कि आप अपने पिछले अनुभव के आधार पर एस्टीमेट करें और आप ऐसे आंकड़े बनाएं कि जितना आप कर लगाते हैं उतना ही आपको वसूल हो । उदाहरण के लिये इस साल आपने ६० करोड़ का कर लगाया है तो आपको ६० करोड़ ही वसूल होना चाहिए अगर अधिक वसूल हो जाता है तो उसको अगले वर्ष के लिए रक्खें । पिछले साल आपको ४१ करोड़ अधिक वसूल हो गया लेकिन उसका इस साल के बजट में कोई जिक्र नहीं है । अगर आप इस साल ६० करोड़ का कर लगाना चाहते थे तो ४१ करोड़ तो आपके पास पिछले साल का ज्यादा वसूल कर था ही, आप को १९ करोड़ का और कर लगाना चाहिए था । लेकिन आपने वह ४१ करोड़ हड़प कर लिया और ६० करोड़ का और कर लगा दिया, इस तरह १०० करोड़ का कर हो गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अगर किसी बात का जिक्र भी करना है तो इस तरह के अल्फाज़ इस्तेमाल न करें जैसे कि---हड़प कर लिया---क्योंकि यह किसी इंडिवीजुअल का मामला नहीं है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह----हड़प कर लिया----शब्द वापस लेता हूं । मेरा तात्पर्य था कि आपने उसको भी खर्च कर लिया ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : वह उस भाषा का प्रयोग कर रह हैं जिसे वह जानते हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : इसी प्रकार से मैच बाक्सेज का हाल है। चाहे ६० तीलियों का बाक्स हो या ४० तीलियों का सब के दाम बढ़ गये हैं। कास्टिक सोडा के दाम बढ़ने से सब पर असर पड़ा है क्योंकि साबुन सभी इस्तैमाल करते हैं। आपने इस बात की कोई जांच नहीं की कि जनता पर उतना ही टैक्स पड़े जितना कि आप चाहते हैं और जनता अपना जीवन का स्तर ऊंचा कर सके। अगर आप घर-घर की आमदनी बढ़ा दें तो मैं आपके कर प्रस्तावों का स्वागत करूंगा, लेकिन घर-घर की आमदनी नहीं बढ़ी है पर आपके बजट की आमदनी बढ़ गयी है। घर की आमदनी का स्तर अगर सन् १९४९ में सौ था तो आज ११८ है जबकि बजट के आंकड़े २०० करोड़ से बढ़ कर एक हजार करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। यह ठीक है हमें योजना बनानी हैं और उनके लिये रुपया चाहिये, लेकिन आपकी योजनाओं का स्तर जनता के स्तर के साथ चलना चाहिये। यह न हो कि योजना आसमान पर पहुंच जाय और किसान जमीन पर पड़ा रह जाय।

एक भूतपूर्व वित्त मंत्री, श्री जान मथाई, ने कहा था भारत सरकार की जो जीप है वह एक ढालू पहाड़ी पर जा रही है और उस पर जो वित्त मंत्री रूपी ड्राइवर बठा है उसको उसका संचालन करना कठिन होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने उस जीप को नीचे की ओर धकेला है या उसके मार्ग में रोड़े अटकाए हैं।

आप कहते हैं कि हमारी योजनाओं से देहात के लोग लाभ उठाते रहे हैं। इस संबंध में मुझे लोमड़ी और सारस की कहानी याद आती है। लोमड़ी ने सारस के लिय पतला खाना बना कर थाली में डाल दिया और उससे कहा कि खाओ। सारस उसमें से बहुत कम खा सका और लोमड़ी उस सब को चट कर गयी। यही हालत आपकी योजनाओं की है। देश के ८५ प्रतिशत किसान सारस की तरह हैं जो कि बहुत कम फायदा उठा पाते हैं जबकि दूसरे लोग, बड़े शहरों के और उद्योग वाले लोग उसका पूरा फायदा उठा लेते हैं। तो हमें देखना चाहिय कि किस तरह से हमारे देश के अधिकांश निवासी हमारी योजनाओं से लाभ उठाकर अपनी उन्नति कर सके।

अन्त में मैं एक शब्द पिछड़े इलाकों के बारे में कहना चाहता हूं। जितने पिछड़े इलाके पहले थे वे आज भी पिछड़े हुये हैं, आपकी दो योजनायें पूरी होने वाली हैं लेकिन उनकी स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। आपकी पहली योजना में और दूसरी योजना में भी एक तिहाई से भी कम रकम उनको मिली है और वह आगें नहीं बढ़ सके हैं। मेरा निवेदन है कि आप उनकी प्रगति की ओर ध्यान दें ताकि वे भी हमारी बराबरी में आ जाएं और सब के साथ हो जाय। अगर पिछड़े हुये इलाकों की तरफ आप ध्यान नहीं देंगें तो यकीन मानियें कि हम अपंग बने रहेंगें। मैं पिछड़े हुये इलाकों से आता हूं और हमारे बहुत से माननीय सदस्य जो पिछड़ें और अविकसित इलाकों से आते हैं, मैं अपनी और उनकी ओर से फिर इस बजट डिस्कशन के मौके पर इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार को पिछड़े हुये इलाकों की दशा सुधारने के लिये जो योजनायें बनी हुई हैं उनमें अधिक धन देना चाहिय और सरकार को उनके विकास की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। अब पिछड़े हुये इलाके की अभी तक व्याख्या हो नहीं हो पाई है कि आखिर पिछड़ा हुआ इलाका क्या है। मैं चाहता हूं कि उनमें विकास और सुधार कार्य करने की दिशा में शीघ्र ही सक्रिय कदम उठाये जायें। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों पर गम्भीरता और सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

चो० रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल पन्द्रह मिनट का ही समय चाहता हूं और सुबह से बाट जोह रहा हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं क्या करूं : जब मेरी नजर उधर गई थी तो आप मौजूद न थे ।

श्री रामेश्वर टांटिया (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने वित्त मंत्री महोदय को जो उन्होंने बजट रक्खा है उसके लिये धन्यवाद देता हूं । वह कुछ ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि जो भी वह टैक्स लगाते हैं करों का भार लाद देते हैं तो भी लोग खुश नजर आते हैं और जो वह टैक्स लगाते हैं उनकी वजह से बाजारों पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता मालूम देता । जहां तक मैंने बजट को देखा है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें कि उसका विरोध किया जाय परन्तु कुछ लोगों की ऐसी आदत हो गई है कि उनको विरोध करने में ज्यादा सहूलियत रहती है और इस नाते उनको कुछ न कुछ तो कहना ही पड़ता है ।

इनडाइरैक्ट टैक्सेज का जहां तक संबंध है डेढ़ रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से सालाना उसका औसत पड़ेगा और वह ५७ करोड़ के होगा । वर्क आउट करने से मालूम होगा कि यह दो आने महीना या आधा नया पसा प्रतिदिन से भी कम है । ३ करोड़ रुपये का टैक्स डाइरैक्ट टैक्सेशन से लगाया है क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है डाइरैक्ट टेक्स पे करने वाले आधे परसेंट से भी कम हैं इसलिये इस मद में और ज्यादा टैक्स लगाने की गुंजाइश भी नहीं थी । उन पर टैक्स एक लिमिटेड हिसाब से भी लगाया जा सकता है । अब इनडाइरैक्ट टैक्सेशन की शक्ल में जो डेढ़ रुपया सालाना का टैक्स प्रति व्यक्ति लगाया गया है उसमें कितनी ऐसी चीजें हैं जिनमें कि और भी ज्यादा टैक्स लगाया जा सकता था बगैर देश का कोई नुकसान किये हुये, जैसे कि तम्बाकू है, या चाय है । अब मैं नहीं समझता कि तम्बाकू और चाय से किसी आदमी को फायदा है या किसी के स्वास्थ्य के लिये वह हितकर है । कम से कम तम्बाकू तो एक ऐसी चीज है जिसमें माना जा सकता है कि इसमें जितना भी टैक्स लगाया जाय मेरी समझ में उसमें कोई हर्ज नहीं है । टैक्स ज्यादा लगाने में किसी को भी और खास कर हमारे वित्त मंत्री महोदय को कोई खुशी नहीं हो सकती है परन्तु जिस थर्ड फाईव ईयर प्लान में हम चल रहे हैं उसमें विकास कार्यों में लगाने के लिय ११,००० करोड़ रुपया चाहिय। आज से दस वर्ष पहले हमारी टैक्स की आमदनी ३०० करोड़ रुपये थी जबकि आज १००० करोड़ से ज्यादा है । इससे मालम पड़ता है कि देश तरक्की की तरफ जा रहा है ।

अभी एक माननीय सदस्य श्री म० ला० द्विवेदी ने गांवों के बारे में कहा कि उनकी हालत अच्छी नहीं है और उनकी उपेक्षा की जा रही है तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुझ भी गांवों का कुछ अनुभव है, मेरी जो कांस्टीटुएंसी है वहां पर भी गांव हैं, शहर खाली एक या दो हैं । मैं भी वहां पर बराबर जाता रहता हूं.....

श्री म० ला० द्विवेदी : कलकत्ता में अधिक रहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आपकी तकरीर खत्म हो चुकी है, अब भी क्या आप उसे जारी रखना चाहते हैं ?

श्री रामेश्वर टांटिया : मैं बतलाना चाहता हूं कि जहां मेरे गांव में पहले एक छोटा सा स्कूल था और एक औषधालय था वहां अब हर एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल है और औषधालय है । इनके अलावा बड़े-बड़े अस्पताल बन गये हैं, हायर सेकडरी स्कूल हैं, कालिज हैं और मैटरनिटी होम्स हैं । गांवों में पक्के मकानात भी बन गय हैं । जहां तक गांवों का सवाल है मैं यह कह सकता हूं कि ८५ प्रतिशत: जनता को जो फायदा मिलना चाहिये वह फायदा उनको आज मिल रहा है । अब उनके गांवों में ऐसा क्यों नही होता है मुझे मालूम नहीं किन्तु जहां मेरी अपनी कांस्टीटुएंसी का संबंध है माननीय सदस्य बोलने के पहले ही यह नोट मैंने लिख रक्खा था कि गांवों में जो तरक्की हुई है

उससे हमें खुशी होनी चाहिये । राजस्थान के गांवों में मुझे जाने का इतिफाक होता है और मैं जानता हूं कि वहां पहले स्कूल नहीं थे और पहले दूर-दूर लड़के पढ़ने के लिये जाया करते थे लेकिन अब हर एक गांव में सरकार ने एक-एक स्कूल और एक-एक औषधालय की व्यवस्था की है । बड़े-बड़े गांवों में अस्पताल कायम कर दिये गये हैं । वहां पर मैटरनिटी होम्स खोल दिये गये हैं । अब यह हो सकता है कि जिस तेजी के साथ जनसंख्या गांवों की बढ़ रही हो उसको देखते हुये यह अपर्याप्त हो परन्तु मेरी समझ में वित्त मंत्री महोदय के पास ऐसा तो कोई उपाय है नहीं जिससे कि वे जनसंख्या कम कर सकें अथवा घटा दें । अब मैं अपने वहां की बाबत बतला सकता हूं कि जनसंख्या तो नहीं बढ़ी है परन्तु अस्पताल और दवादारू आदि की सुविधा हो जाने के कारण मृत्यु संख्या अवश्य घटी है और इस लिये जहां पहले एक व्यक्ति की औसत आयु २३ वर्ष मानी जाती थी वहां अब वह बढ़ कर ३० वर्ष हो गयी है । अब जनसंख्या को अधिक न बढ़ने देने का एक ही उपाय है कि बच्चे कम पैदा किये जाये । अब यह चीज बजट से तो संबंध नहीं रखती है परन्तु यह सोचने की बात है । शायद वित्त मंत्री महोदय ने कल राज्य सभा में कहा भी था कि देश की एकोनामी को ठीक रखने के वास्ते जनसंख्या में जो आज बढ़होत्री हो रही है उसको कम किया जाना चाहिये ।

वित्त मंत्री महोदय ने जो डाइरैक्ट टैक्सेज लगाये हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि जो ३ करोड़ रुपये का डाइरैक्ट टैक्सेशन लगाया है वह कोई ज्यादा नहीं है । जैसाकि मैंने पहले भी कहा हमारे वित्त मंत्री महोदय टैक्स लगाने के बारे में भाग्यशाली रहे हैं और जो टैक्स लगाते हैं उससे हर साल ज्यादा अदायगी हो जाती है । पिछले साल ४० करोड़ का जो उन्होंने टैक्स लगाया था उससे ४० करोड़ रुपया ज्यादा वसूल हुआ और इस वर्ष भी ज्यादा आने की संभावना है । परन्तु एक टैक्स लगाना मेरी समझ में वह भूल गये और मैं चाहता था कि जब हम इस देश में सोशलिस्टिक पट्टर्न आफ सोसाइटी बनाने जा रहे हैं तब उसमें जो प्रिंसेज को प्रिवी पर्स देते हैं उस पर भी टैक्स लगाना चाहिये था ।

जहां हमारी औसत आमदनी इतनी कम है वहां कुछ आदमियों को १० से २० लाख तक प्रति वर्ष टैक्स मुफ्त रुपया मिलता है जोकि २ करोड़ रुपये के बराबर है । अब समय ऐसा आ गया है कि उसके बारे में सोचना है और उन पर भी टैक्स लगाना चाहिये ।

गोवध के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गोवध पर पहले प्रतिबन्ध था लेकिन आजकल वहां काफी संख्या में गोवध हो रहा है । उसके बारे में कुछ उपाय सोचना चाहिये जिससे कि उसकी रोकथाम हो सके । गोवध अगर बन्द हो जाये तो हमारी दूध की जो समस्या है वह भी हल हो सकती है और लोगों का स्वास्थ्य जो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है वह भी सुधर सकता है और लोग दूध पीकर तगड़े हो सकते हैं । अब अगर तम्बाकू की जगह शराब की जगह दूध पिया जाय तो इसमें सब सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि वह स्वास्थ्य के लिये हर दृष्टि से अच्छा है और साथ ही खेतीबाड़ी के विकास करने के लिये भी गऊ पालन आवश्यक है । इसका बजट से सीधा संबंध नहीं है परन्तु चूंकि बजट के समय में हमें सबको बोलने का अवसर मिलता है इस वास्ते मैं कहता हूं कि गऊ वंश की रक्षा और उसकी समृद्धि के लिये मुनासिब इंतजाम किया जाय ।

हमारा ऐक्सपोर्ट जितना बढ़ना चाहिये वह नहीं बढ़ रहा है । जाहिर है कि ऐक्सपोर्ट बढ़ने से हमें विदेशी मुद्रा सुलभ होगी जिसकी कि हमें बहुत आवश्यकता है । चाय पर ऐक्सपोर्ट ड्यूटी थोड़ी घटाई है और लोकल कंजम्पशन पर बढ़ाई है परन्तु वह कम है । चाय के ऐक्सपोर्ट पर सिवाय दार्जिलिंग की ऊंची क्वालिटी की चाय के और ड्यूटी एकदम घटानी होगी क्योंकि ईस्ट अफ्रीका से जहां से कि बड़े पैमाने पर चाय की खरीद हो रही है बड़ा कम्पटीशन होने वाला है । अगर हमारी

[श्री रामेश्वर टांटिया]

रही तो पांच वर्ष में हमारी चाय का ऐक्सपोर्ट और भी घट जायेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अगर जरूरत हो इसके बदले में इंटरनल कंजम्पशन पर यहां जो चाय कंज्यूम होती है उस पर भले ही कुछ ड्यटी बढ़ा सकते हैं। २, ४ नया पैसा प्रति किलो बढ़ा सकते हैं परन्तु जो कौमन टी है उस पर से ड्यूटी हटा देनी चाहिये अगर हम अपने ऐक्सपोर्ट को ठीक रखना चाहते हैं।

बोनस टैक्स के बारे में मुझे यही निवेदन करना है कि उसमें ३० से जो घटा कर साढ़े १२ परसेंट किया है वह स्वागत योग्य है और इससे कम्पनियों को अपने फंड्स को बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसके लिये श्री अजित प्रसाद जैन ने जो यह कहा कि इसमें गवर्नमेंट को नुक्सान होगा तो उस बात से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि जो ५५ परसेंट डिवीडेंड देते हैं उस पर ३०परसेंट के हिसाब से १८ परसेंट टैक्स मिलता है और पूरा रुपया डिवीडेंड में देते भी नहीं हैं। इसलिये बोनस टैक्स का साढ़े १२ परसेंट एक तरीके से उसके बराबर ही हो जायेगा। उससे शेयरहोल्डरों को भी लाभ होगा और कम्पनियों को भी लाभ होगा। कम्पनियों का कैप्टिल बढ़ेगा और शेयर होल्डरों को ज्यादा शेयर्स रखने की सुविधा मिलेगी और यह एक तरीके से अच्छा ही हुआ। जिस मिल पर सूत पर टैक्स लगाया जायगा, उस से उस को दुविधा रहेगी। जिस मिल में कपड़ा और सूत बनते हैं, उस को इस बारे में हिसाब रखने में तक्लीफ होगी। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो मिलें अपने सूत से कपड़ा बनाती हैं, उन पर कपड़े पर काम्पोजिट टैक्स बढ़ा दिया जाये, परन्तु सूत पर जो इंटर्नल टैक्स लगता है, उस को हटा दिया जाये। मेरी मान्यता यह नहीं है कि गवर्नमेंट टैक्स कम करे। मैं यह चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले प्रोसीड्यर को ठीक कर दे। इस में टैक्स को कम या बेशी करने की बात नहीं है—खाली प्रोसीड्यर को ठीक करने की बात है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय इस पर गौर करेंगे।

इस से ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। सब को उस पर खुशी होनी चाहिये। जहां तक एक्साइज़ को बढ़ाने का प्रश्न है, कहा जाता है कि कुछ मुल्कों में वह कम है, लेकिन यह तथ्य है कि उन मुल्कों में गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कारखाने हैं, जो चीजों का दाम बेशी ले लेते हैं। जैसा कि कल श्री अजित प्रसाद जैन ने कहा, उन मुल्कों में जूतों का जोड़ा सत्तर अस्सी रुपये में बिकता है। वह तो एक तरह का एक्साइज ही हो गया। कहा जाता है कि कम्यूनिस्ट कंट्रीज में एक्साइज नहीं है। लेकिन वहां पर सारे कारखाने गवर्नमेंट चलाती है और वह उन में बनी चीजों का मूल्य चाहे जितना ले लेती है। वह तो एक ही बात है।

मैं एक बार फिर वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक संतुलित और अच्छा बजट पेश किया है।

†श्री हीं० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—मध्य): मैं इस बजट को गैर-समाजवादी कहूं तो गलत न होगा। इसी कारण "ईस्टर्न इकानोमिस्ट" नामक पत्रिका ने इस बजट का विश्लेषण करते हुए हमारे वित्त मंत्री को समय का प्रतिनिधि कह डाला है। राज्य सभा में भी वित्त मंत्री महोदय ने दावा किया है कि उनकी आस्था समाजवाद में है परन्तु वास्तविकता क्या है, यह देखने की बात है। आज पिछड़े हुए देशों का उद्धार यदि किसी रीति से संभव है तो वह केवल समाजवाद के आधार पर ही हो सकता है। आज युग ही समाजवाद का है परन्तु श्री मसानी आदि नेता समय को पीछे धकेलने की चेष्टा कर रहे हैं। उस का परिणाम क्या होगा वह स्पष्ट है।

हम इस चीज से सहमत हैं कि देश को तीसरी योजना के लिये धन चाहिये। इस साल उन्होंने ६० करोड़ के नये कर लगाये हैं पर राज्यों ने ऐसा प्रयास नहीं किया। वित्त मंत्री ने यह बताया नहीं कि

---

†मूल अंग्रेजी में

भविष्य में कर भार का बंटवारा उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों में किस प्रणाली से होगा । जो कुछ पता चलता है उस से निराशा ही होती है । अतः हम इस बजट का स्वागत नहीं कर सकते ।

माननीय वित्त मंत्री ने बिजली से चलने वाले करघों पर भी कर लगा दिया है । इस से संस्थाओं की सारी प्रगति समाप्त होकर रह जायगी । देश को भारी नुकसान पहुंचेगा । आज ग्रामीण सहकारी जनता के मासिक खर्चे में ५ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है । इस प्रकार की महंगाई जनता का जीवन दूभर कर देगी और लोग पिस जायेंगे । क्या सरकार आयकर को प्रभावपूर्ण ढंग से एकत्रित करके काफी आमदनी नहीं बढ़ा सकती ? सब कुछ हो सकता है । आप को पता होगा कि १९५६ से पूर्व आयकर की बकाया रकमों को बट्टे खाते नहीं डाला जाता था परन्तु उसके बाद से करोड़ों रुपये की रकम बट्टे खाते डाली जा रही है । बजट में एक और नया शब्द "प्रभावपूर्ण बकाया" चालू कर दिया गया है जिस से जन साधारण को बड़ा भारी धोखा दिया जा रहा है । १९५८ में आयकर की वसूल की जाने वाली बकाया रकम २८७.३२ करोड़ रुपया थी मगर १९६० में केवल १३३.६१ करोड़ रुपया ही बकाया के रूप में दिखाया गया है । १५४ करोड़ रुपये की रकम बट्टे खाते डाल दी गयी है । इतनी बड़ी रकम को बट्टे खाते डालने का आखिर आधार क्या है? आय कर को प्रभावपूर्ण रूप से वसूल करने का काम हो ही नहीं रहा है । यदि अच्छे कर्मचारी हों और उन्हें अच्छे वेतन मिलें तो कम से कम जोकर हम लगाते हैं उनकी वसूली तो ठीक ढंग से हो जायगी । ऐसे अनेक आदमी हैं जिनकी आय १००० रुपया मासिक है उन से भी ठीक कर वसूल किया जा सकता है ।

देश में रुपया है मगर सरकार उसे लेना नहीं चाहती । दिल्ली और कलकत्ते जैसे नगरों में लोग जमीनें खरीदते हैं जिनके मूल्य इतने ज्यादा हैं कि कल्पना भी नहीं की जा सकती । लोग सोना ले लेकर बैंकों में सेफों के सेफ भर रहे हैं । क्या सरकार उन्हें नहीं ले सकती । मैं यह नहीं कहता कि आप उन सेफों पर कब्जा कर लें । मगर देश की जरूरत के लिये उन्हें ऋण के रूप में तो लिया जा सकता है ।

हमें सामान्य बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की बात भी सोचनी चाहिये । यद्यपि अभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण संभव नहीं दीखता तथापि यदि मूल्यों आदि पर सरकार पूरा नियंत्रण करना चाहती है तो उसे बैंकों पर अधिकाधिक नियंत्रण करना होगा । जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण से कितना लाभ हुआ है इसे आप देख ही रहे हैं परन्तु इसी के साथ हमें जनता के रुपये को अनोत्पादक प्रयोजनों पर खर्च नहीं करना चाहिये । हाल ही में आनन्द बाजार पत्रिका आदि ने रुपया वहां से लिया है । सद् प्रबन्ध से निगम की हालत सुधर सकती है ।

इसी प्रकार हम राज्य व्यापार को और भी बढ़ावा दे सकते हैं । खेद की बात है कि हथकरघों की चीजों के निर्यात में भी कमी हो गयी है । इसका कारण समझ में नहीं आता क्योंकि हमारी चीजें विदेशों में काफी लोक प्रिय हैं ।

भारतीय अर्थ-शास्त्र सम्मेलन में प्रोफैसर गंगोली ने भाषण देते हुए बताया था कि अभी तक हम पुराने ढंग पर ही चल रहे हैं अर्थात् हम कच्चे माल ही का निर्यात करते हैं । हमें इस विषय पर विचार करना चाहिये । यदि हम जैसे अर्ध विकसित देश आपस में मिलकर निर्यात की समन्वित नीति अपनायें तो प्रतियोगिता की हानि किसी को भी न उठानी पड़े और सभी को लाभ हो । इस दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिये ।

इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि हमें कुछ पुरानी धारणाओं से चिपटना नहीं चाहिये । मैं मद्य निषेध का समर्थक हूं परन्तु जब उसका फायदा नजर न आये या जब उस से हानि ही हो तो हमें उसे छोड़ देना चाहिये ।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

जहां तक छोटी बचतों का प्रश्न है उन में पहले की अपेक्षा कुछ सुधार नजर आता है किन्तु यदि सरकार और भी ज्यादा सही कार्यवाही करे तो यह बचतें ज्यादा हो सकती हैं। इसके अलावा सरकार को अपना खर्चा भी कम करना चाहिये। हमारे गरीब देश में अमीरी ठाठ शोभा नहीं देते। आलीशान आराम की चीजें हमें त्यागनी चाहियें। सुना है कि हमारे लंदन स्थित उच्चायुक्त ने ८,१३,००० रुपये की बचत की है। यह प्रशंसनीय है। इसी तरह की किफायत सभी प्रशासनिक स्तरों पर होनी चाहिये। इसी के साथ सरकार को मूल्यों का स्थायित्व बनाये रखने के लिये भी भरसक प्रयत्न करना चाहियें। यदि जमीन की हालत सुधर जाय, सहकारी खेती को बढ़ावा मिले और मूल्य टिक जायें तो लोग अपने आप आगे बढ़-चढ़ कर उद्योगों की स्थापना कर डालेंगे। किसी की सहायता की फिर जरूरत न रह जायेगी।

संयुक्त राष्ट्रीय सांख्यकी की वार्षिक पुस्तिका को देखने से पता चलता है कि दुनिया में यदि किसी देश के लोगों को सब से कम खानापीना नसीब होता है तो वह भारत ही के लोग हैं। हमारे देश में ४० प्रतिशत से अधिक किसानों के पास एक-एक एकड़ भूमि भी नहीं है। उनका काम क्या चलेगा?

प्रोफैसर बलजीत सिंह ने एक लेख में बताया है कि देश के ४५ प्रतिशत लोग २० रुपया मासिक खर्चा करके जी रहे हैं। खेद से कहना पड़ता है कि यह दशा सुधारने के लिये कुछ भी नहीं हुआ।

जहां तक हमारी औद्योगिक स्थिति का सम्बन्ध है, मैं कहूंगा कि हम अपने देश को विदेशियों के पास गिरवी रखते चले जा रहे हैं। १९४८ में २५६ करोड़ रुपया विदेशियों ने यहां लगाया था पर १९५९ में विनियोजित पूंजी थी ५९३ करोड़ रुपया। हम छोटे-छोटे उद्योगों में भी वैदेशिक सहायता ले रहे हैं। यह बड़े दुख की बात है। कम्पनियों पर विदेशी नियंत्रण होता चला जा रहा है।

अलूमीनियम बड़ी ही महत्वपूर्ण धातु है। उसके उत्पादन के लिए भी हम अमरीकियों, कनाड़ावासियों का सहयोग ले रहे हैं। इस तरह की चीजों में खतरा है। हम समझते हैं कि हमारी खाद्य समस्या पब्लिक लॉ ४८० से हल हो जायगी। पर यह गलतफहमी है। दूसरी योजना में सरकार ने दावा किया था कि हम अपनी जरूरत का अनाज देश में पदा कर लेंगे परन्तु कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमें दूसरों पर आधारित न रहकर अपने ही ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हमें खुद अनाज का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार से उद्योगों का विकास कराने के लिए भी हमें अपनी कोशिशें करनी चाहिएं ताकि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र रह पायें।

मूल्य सम्बन्धी नीतियों की चर्चा करते हुए इकनामिक वीकली ने लिखा है कि इस प्रकार पूंजी वादी ढांचे में मूल्यों का स्थायित्व, योजना के अनुकूल कभी स्थापित नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में संसद् को भी विचार करना चाहिए। धन के वितरण की पड़ताल में संसद् को योग देने के लिए कहा जाय ताकि असलीयत का पता जनता को भी चले।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि यह बजट स्वस्थ नहीं हैं। जिन छोटी-छोटी चीजों पर कर लगाया गया है उनके स्थान पर और तरीकों से आय की जा सकती थी।

चौ० रणबीर सिंह : सभापति महोदय, यह सदन और कांग्रेस पार्टी इस देश के अन्दर एक समाजवादी ढंग की आर्थिक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने निश्चय कर लिया है। अब दूसरी तरफ कम्युनिस्ट साथी हैं जोकि समझते हैं कि समाजवादी

ढांचा कायम हो सकता है बशर्ते कि हम विदेशों से कोई कर्जा न लें, लोगों पर कोई टैक्स न लगायें और न ही रुपये का प्रसार करें। उनके ख्याल के मुताबिक डफिसिट फाइनेंसिंग न करें और उसके मुकाबले में तनख्वाहदारों की तनख्वाह बढायें। सारे का सारा अपोजिशन जो मेरे उधर की ओर बैठता है इस बात में सहमत था कि तनख्वाहदारों की तनख्वाह बढ़ाई जाय। अब उनका अजीब हिसाब है? खर्चा तो बढ़ाना चाहते हैं पर आमदनी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। बात साफ है कि जबानी जमाखर्च करके सब को वे खुश करना चाहते हैं वरना जब तक कि आमदनी नहीं बढ़ेगी उस वक्त तनख्वाहदारों की तनख्वाहें भी नहीं बढ़ सकती हैं और एक तरीके से कहना चाहिए कि वे तनख्वाहदारों की तनख्वाह बढ़ाने के भी हिमायती नहीं हैं। दूसरी तरफ कुछ भाई हैं जो कि समझते हैं कि शायद इस देश के अन्दर कोई तरक्की हुई नहीं हुई है। अब उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे वित्त मंत्री महोदय ने दूसरे हाउस में बताया है और यहां भी बजट पेपर्स के अन्दर लिखा है कि भारत सरकार की ३७० करोड़ रुपये की आमदनी जो सन् १९५०-५१ में थी वह आज बढकर १०११ करोड़ हो गयी है। इसी के साथ-साथ देश की तरक्की के लिए जो रुपया खर्च होता है वह ३५० गुना बढ़ा है। जहां पहले सन् १९५०-५१ में देश की तरक्की के लिए डेवलपमेंटल ऐक्सपेंडीचर ४८० करोड़ रुपये का था वहां सन् १९६०-६१ के अन्दर १७०८ करोड़ रुपया डेवलपमेंटल ऐक्सपेंडीचर या देश की उन्नति के लिए खर्च होता है इस खर्चे का जो औसत है वह पहले की अपेक्षा बढ़ रहा है। पहले सन १९५०–५१ में ४८ प्रतिशत था जबकि अब वह बढ़ कर ६५ फीसदी हो गया है। हकीकत यह है कि देश तरक्की कर रहा है लेकिन कुछ भाई हैं जोकि समझते हैं कि शायद यह तरक्की कुछ ही चंद आदमी २०-२५ या ३० आदमी अथवा ४० खानदान ही कर रहे हैं और उनके ख्याल में शायद देश में कोई तरक्की ही नहीं हुई है। मैं अपने उन बंधुओं से पूछना चाहूंगा कि सन १९५०-५१ में इस देश के अंदर जितनी बाइसिकलें बनती थीं और बिक्री हुई सन् १९६१ में उससे दस गुनी ज्यादा साइकिलें बनीं और बिकीं तो क्या वह बाइसिकलें टाटा और बिड़ला खरीदते हैं? आखिर वह बाइसिकलें कहां जाती हैं? इसी तरीके से सीने की मशीनें और जितनी सन ५०-५१ में बनती थीं आज सन् ६०-६१ के अन्दर साढ़े ९ गुना बनी हैं तो उनको कौन खरीदता है? क्या बिड़ला और टाटा उनको खरीदते हैं? जाहिर है कि यह चीजें आम जनता खरीदती है और यह इस बात का सबूत है कि देश के आम आदमी का स्तर ऊंचा हो रहा है।

हमारे समाज के अन्दर जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वह हरिजनों में भी सबसे पीछे वाल्मीकि समझा जाता है। अब अगर आज हमारे वित्त मंत्री महोदय की यह भावना है कि सारे देश में नशाबंदी लागू हो जाय और शराबखोरी एकदम बंद हो जाय तो इसके पीछे उनके दिल में वह ख्वाहिश काम कर रही है कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनका जो भी थोड़ा बहुत पैसा रहता है वह इस तरह के कामों में जाया न जाय और पैसा बेकार जाने के अलावा और भी नशा करने से उनको कितनी हानियां होती हैं उनसे वे बच जांय। इस कारण से हमारे वित्त मंत्री महोदय नशाबंदी के हक में हैं।

जहां तक लोगों का स्टैन्डर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा होने का सवाल है मेरा कहना है कि आप गरीब बाल्मीकी लोगों के घर में ही जाकर देखिए कि क्या नक्शा है। मुझे मालूम नहीं कि यह रिपोर्ट किसने लिखी है लेकिन अगर उसके खर्च और आमदनी का हिसाब लगाया जाय तो एक बाल्मीकी भाई के कुनबे की मासिक आमदनी कम से कम ३५० रुपये है।

[चौ० रणवीर सिंह]

वह काम करता है, उसकी औरत काम करती है और दूसरे परिवार के सदस्य काम करते हैं और यह मालूम हो जायगा कि पहले की अपेक्षा एक बाल्मीकी परिवार का स्टेन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ गया है।

इसी तरह से रेलवे स्टेशन के कुलियों की बात है। मैंने एक रेलवे के कुली से पूछा कि भाई तुम कितना रोज पैदा कर लेते हो तो उसने कहा कि हांलाकि मेरी कोई तनख्वाह मुकर्रर नहीं है लेकिन अंदाजन ६ रुपये रोज की मेरी आमदनी हो ही जाती है। अब रेलवे प्रशासन ने हालांकि यह लिखा हुआ है कि एक कुली को एक हैडलोड पर सिर्फ ३ आने देने हैं मगर मैं तो अपने उन बंधुओं से कहता हूं कि यहां दिल्ली रेलवे स्टेशन अथवा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई कुली यदि ३ आने में सामान उठा कर ले जायं तो मैं उनकी बात को सही मान जाऊंगा। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमारे देशवासियों का स्तर ऊंचा हो रहा है।

सभापति महोदय, अब सवाल यह है कि आया देश समाजवादी ढांचे की स्थापना की ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अब इसको कौन नहीं जानता कि आज से ३, ४ साल पहले इस देश के अन्दर जितना लोहा पैदा होता था सिवाय एक कारखाने को छोड़ करके बाकी ९५ फीसदी के करीब या ९८ अथवा ९९ फीसदी के करीब प्रोडयूस करता था वह सारा निजी क्षेत्र में टिस्को और इस्को पैदा करता था टाटा और बिड़ला पैदा करते थे। आज ४, ५ साल के भीतर देश के अन्दर जहां लोहे की पैदावार बढ़ी है उसके हिसाब से सरकारी कारखाने हैं उनसे जो पैदावार होगी वह ७५ फीसदी होगी। अब हमारे आचार्य जी तो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, मैं तो कोई आचार्य हूं नहीं केवल एक मामूली सा आदमी हूं और मैं उनका मुकाबला तो नहीं कर सकता और न ही मैं इतनी बड़ी कहानी जानता हूं कि यह बताऊं कि यह समाजवादी ढांचे की तरफ जाना है या पीछे को हटना है।

सभापति महोदय, इसके अलावा मुझे और भी दो, चार बातें कहनी हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि मुद्रा नीति और वित्तीय नीति देश के बनाने के लिए बड़ी जरूरी होती हैं। मुझे यह भी मालूम है और जैसा कि श्री अजित प्रसाद जैन ने कहा इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि २० या २५ कुनबे या कम्पनियां इस देश के अन्दर ऐसी हैं जिनकी कि आमदनी बढ़ रही है। लेकिन उनकी आमदनी क्यों बढ़ रही है इस पर भी हमें सोचना होगा। उसकी वजह साफ है और वह यह है कि जहां इस देश ने यह फैसला किया है कि हमें इस देश में समाजवादी ढंग की आर्थिक व्यवस्था कायम करनी है वहां यह भी फैसला किया है कि मिश्रित अर्थ व्यवस्था में अभी कुछ दिन के लिए हमें चलना है। जहां तक मुझे मालूम है उनकी जो आमदनी बढ़ी है वह टैक्स की कमी से नहीं है। एक तरफ यह मेरे भाई रंगा जी और मसानी जी लोगों को कहते हैं और समझाते हैं कि इसदेश के अंदर आमदनी के ऊपर टैक्स ही नहीं देना होता है। इस देश के अंदर खर्चे के ऊपर भी टैक्स है, मृत्यु कर जो लगता है जो सम्पत्ति रह जाती है उसके ऊपर टैक्स है। अब मरने वाले को मरते-मरते यह खयाल रखना होता है कि मेरे बच्चों को यह टैक्स देना पड़ेगा और वह सरकार मेरी जायदाद बेच कर वसूल कर लेगी। एक आध जगह वह कर जायदाद बेच कर अदा किया गया। अब २०, २५ कुनबों की क्या बात है? वह जो करोड़ों रुपयों की जायदाद बढ़ी है वह इसलिए बढ़ी है क्योंकि देश ने मिश्रित अर्थ व्यवस्था में चलते रहने का फैसला किया है और उसके नतीजे के तौर पर डेवलपमेंटल रिबेट देने का फैसला किया। डेवलपमेंटल रिबेट देकर वह कारखाने लगाते हैं।

मुझे मालूम है कि आज **टिस्को** के जिम्मे ४६.३१ करोड़ रुपया बकाया है, जिसकी जामिन हमारे देश की सरकार है—हमारे देश की सरकार ने उसकी जमानत दी है। इसी तरह **इस्को** के जिम्मे १८.५३ करोड़ रुपया बकाया है, जो उसने हिन्दुस्तान की सरकार की मार्फत लिया है और उसके लिये भी हमारी सरकार जामिन है। लेकिन इसके बावजूद मैं इस बात की ताईद करता हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो लोहे के कारखाने **टिस्को** और **इस्को** बना रहे हैं, उनको टाटा और बिड़ला किसी और देश में तो ले जा नहीं सकते हैं। जब हमने अपने देश के बड़े-बड़े रजवाड़ों को खत्म कर दिया है, तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब हम **टिस्को** और **इस्को** को ले लें। ऐसे हालात पदा हो सकता है कि वे मोरारजी भाई के सामने हाथ जोड़ कर कहेंगे कि आप इनको ले लो। इस सिलसिले में मुझे याद आता है कि जब एक साथी ने सरदार पटेल से महाराजा जींद और महाराजा पटियाला की शिकायत की, तो उन्होंने उसको शान्ति से सुना और उस बात का जवाब न देते हुये यह कहा कि इतना खाओ, जितना पचा सको, वर्ना कै या दस्त होगा। इस मामले में भी हम को यह बात अपने सामने रखनी चाहिए। देश ने कम्युनिस्ट साथियों को मौका दिया कि वे एक स्टेट का इन्तजाम कर के दिखायें, लेकिन उनसे इन्तजाम नहीं हो सका। इसी तरह हमारे साथी, श्री रंगा, के हिमायतियों और दूसरे साथियों को पैप्सू का राज्य चलाने का मौका दिया गया था, लेकिन वे एक साल से ज्यादा वहां का राज्य नहीं चला सके। यह काम मुश्किल होता है।

मेरी बदकिस्मती है कि वित्त मंत्री महोदय बाहर जा रहे हैं। मैं ने उन की तारीफ की है। अब मैं कुछ कड़ुवी बातें सुनाना चाहता हूं। अगर वह सुनते, तो अच्छा था।

श्री त्यागी (देहरादून) : उन की ग़ैरहाज़िरी में ही सुनाओ।

चौ० रणबीर सिंह : मुझे भी कुछ गिला है कि हमारे देश की वित्तीय नीति या मुद्रा नीति कई दफ़ा ग़लत हो जाती है। हमारे दोस्त कहा करते हैं कि यहां हालत यह है कि एक हाथ पगड़ी के ऊपर है और दूसरा तरक्की की कोशिश पर है। दोनों हाथ कोशिश पर नहीं होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तरफ हमारे कम्युनिस्ट भाई और दूसरे विरोधी सरकारी कर्मचारियों की स्ट्राइक कराते हैं, तो दूसरी तरफ़ पंजाबी सूबे का या हिन्दी का आन्दोलन चलाया जाता है। उन सब का मुकाबला करना होता है।

मैं आप से कह रहा था कि मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है कि हिन्दुस्तान की सरकार टाटा और बिड़ला के लोहे के कारखानों की ज़ामिन बने और उनको ४६ करोड़ और १८ करोड़ के करजे दिलाये। लेकिन मुझे एतराज़ इस बात पर है कि हम इस सदन में यह फ़ैसला कर चुके हैं कि हम सहकारी क्षेत्र को बढ़ायेंगे, को—आपरेटिव सैक्टर को बढ़ायेंगे, लेकिन रोहतक में जो हमारा गन्ने का सहकारी कारखाना है और जो बाज़पुर का कारखाना है, उन को सूद देना पड़ता है सात फ़ीसदी, जब कि टाटा और बिड़ला के कारखानों से सूद साढ़े चार फ़ीसदी और पांच फ़ीसदा लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल फ़ाइनेन्स कार्पोरेशन और स्टेट फाइनेंस कार्पोरेशन ऐसी व्यवस्था करें कि जो सहकारी काम-काज और कारखाने हों, उनका रेट आफ़ इंट्रेस्ट किसी सूरत में चार फ़ीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिये, तभी हम साहूकार का मुकाबला कर सकते हैं।

जहां रिज़र्व बैंक काश्तकारों को खेती का काम बढ़ाने के लिये दो फ़ीसदी के ऊपर रुपया देता है, लेकिन वह रुपया आम काश्तकार के पास नौ फ़ीसदी सूद के ऊपर पहुंचता है। मैं चाहता

[चौ० रणबीर सिंह]

हूं कि इसका इन्तजाम किया जाये । हमारे एक साथी ने, जो कि वज़ीर हैं, एक फ़ार्मर्ज़ को-आपरेटिव बैंक खोला है, लेकिन कुछ लोगों को उस पर एतराज़ है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी एक मिश्रित इकानोमी है। जब सरकार टाटा और बिड़ला को ज़मानत दे कर ४६ करोड़ और १८ करोड़ कर्ज़ दिला सकती है (जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है), तो खेती में ट्रेक्टर से काम करने के लिये कर्ज़ देने के लिये अगर कोई बैंक खोले, तो किसी को आपत्ति क्यों हो? मुझे पंजाब स्टेट के बारे में मालूम है। दूसरी स्टेट्स के बारे में मुझे मालूम नहीं है। मैं जानता हूं कि पंजाब में बड़ी तरक्की हुई है और वहां के मुख्य मंत्री एक आहनी इन्सान हैं, लेकिन एक बात सही है कि हिन्दुस्तान की सरकार की नीति की वजह से तीस एकड़ से ज्यादा ज़मीन के मालिक को कोई कर्ज़ बैंक से नहीं दिया जा सकता। कोई बैंक खुले और काश्तकारों को कर्ज मिले, तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है ?

पंजाब और दूसरी स्टेट्स के बारे में हमारे प्लानिंग कमीशन की अजीब पालिसी है। पिछले साल सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ़ से टक्स उगाह कर जो रकम स्टेट्स को दी गई थी, वह १७८ करोड़ थी। यह १९६०–६१ का हिसाब है। १९६१–६२ में वह रकम १६० करोड़ रुपया होगी। हम समझते थे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सहायता कम की जा रही है। पंजाब का बजट पेश करते हुये हमारे वित्त मंत्री, डा० गोपीचन्द भार्गव, ने बताया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये हमारी स्टेट को हिन्दुस्तान की सरकार की तरफ से १३४ करोड़ रुपया सहायता, कर्ज़ या दूसरे रूप में मिलेगा। उस हिसाब से २६·८ करोड़ रुपया सालाना बनता है। लेकिन सैंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब सरकार को साढ़े उन्नीस करोड़ रुपया देने का वादा किया है। प्लानिंग पर जो खर्च पड़ता है, उस का चौदह पंद्रह फ़ीसदी हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट अपने पास स खर्च करती है। अगर उस बात को मान कर चलते, तो नतीजा यह होता कि जब कि दूसरी पांच-साला प्लान के आखिरी साल में ३६·४९ करोड़ रुपया खर्च हुआ था, उस के मुकाबले में तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिर्फ़ ३३·६ करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। यह किस्सा उस स्टेट का है, जिस ने पांच साल में खेती की पदावार दुगनी की है। इसी तरह दूसरी स्टेट का भी सवाल है।

एक बात और मुझे निवेदन करनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो मुलाज़िम सीनियर इंस्पेक्टर थे, उन को छोड़ कर जूनियर इंस्पेक्टर्ज़ को आई० टी० ओ० बना दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय उस तरफ़ भी ध्यान दें।

एक बात मैं अपने देश की मुद्रा नीति–वित्तीय नीति के सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं। पंजाब में २६१ कारखाने हैं अमृतसर में। हमारे डिप्टी डिफ़ेंस मिनिस्टर उस जिले के हैं। वे ऊन के कारखाने हैं। वहां पर हमारी पहली नीति के मुताबिक चार करघों को छूट थी और उन पर कोई उत्पादन-कर नहीं लगता था। अब रेशम, सूती और रेयन के कारखानों में दो करघों को छूट दी गई है, जब कि वूल के कारखानों में केवल एक करघे को छूट दी गई है। एक तो यह डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरी डिस्क्रिमिनेशन यह है कि सिर्फ़ पच्चीस बड़े-बड़े कारखानेदारों को वूलटाप के इम्पोर्ट का अधिकार है। नौ करोड़ रुपये का वूलटाप आता है, जिस को वे अठारह करोड़ रुपये की शक्ल में बेचते हैं। छोटे कारखानेदार को रा-मैटीरियल बड़े कारखानेदार के मुकाबले में महंगा मिलता है। यह हमारी क्या नीति है ? वित्त मंत्री महोदय को मैंने ठीक बातों के बारे में कहा है। ग़लत बात के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान की सरकार की और समाजवादी सरकार की यह नीति है कि बड़े-बड़े कारखानेदारों को हमारा मैटीरियल सस्ता दें और टैक्सेशन में दोनों को—छोटों और बड़ों को—बराबर खड़ा कर

दें। मैं मानता हूं कि यह हमारी नीति नहीं है, यह ग़लती से हुआ है और मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान दे कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

रोहतक में फ्लड का बहुत सा पानी आया और पंजाब सरकार ने सारी बदरो खोदने के लिये एक करोड़ रुपया खर्च करने का फैसला किया। दिल्ली और राजस्थान के साथी हम से बिजली लेना चाहते हैं, नहर का पानी लेना चाहते हैं, पीने का पानी लेना चाहते हैं, लेकिन बरसात का पानी दिल्ली और राजस्थान में नहीं आने देना चाहते हैं।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : वह पानी दिल्ली को डुबोने के लिये तो नहीं आना चाहिये।

चौ० रणवीर सिंह : बदरो का पानी हम चाइना में तो नहीं भेज सकते हैं। मुझे यह कहना है कि हम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को इतना ज्यादा पैसा देते हैं, उस के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। आज उन को इतना मौका नहीं देना चाहिये कि वह हमारी तरक्की के रास्ते में खड़ा हो।

पंजाब में छोटे बड़े कारखाने बनाने में बहुत तरक्की हुई है। उन की मदद होनी चाहिये और खास तौर पर वहां के छोटे कारखानों को मदद मिलनी चाहिये।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (प्रतापगढ़) : सभापति महोदय, मैं कल से अपने मित्रों के भाषण सुन रहा हूं और दरअस्ल बहुत से साथियों ने बड़ी ऊंची, पेचीदा और बारीक बातें इस बजट से निकाल कर इस सदन के सामने उपस्थित की हैं। परन्तु मैं घूम धाम कर फिर इस बजट के उन विषयों पर आता हूं, जिन का असर साफ़ तौर से हमारे देश के नागरिकों पर पड़ने वाला है और जिन का असर जिस हद तक पड़ा है, उस हद तक हमारे इस सदन में उसका एहसास नहीं है। मुझे जो कमी महसूस होती है वह सिर्फ इस एहसास की मालूम होती है। वैसे तो हमारे मंत्री महोदय ने बड़ी योग्यता के साथ इस बजट को उपस्थित किया है और उन्होंने कर लगाने के सम्बन्ध में जो अपनी दलीलें दी हैं वे बड़ी योग्य हैं, और मैं यह भी कहने को तैयार हूं कि उन्होंने बड़ी सहानुभूति के साथ विचार करके उन दलीलों को निकाला और करोंका प्रस्ताव किया जिस से उन्होंने बजट की उस कमी को पूरा किया जो कि उन के सामने थी, और जिस को पूरा करने के लिये वे विवश थे, या जो आवश्यकता उन को महसूस होती थी, परन्तु मुझे यह लगता है कि जो गम्भीरता इस बजट के बहुत से करों की है, उस गम्भीरता का एहसास नहीं है। अगर वह है भी तो उस हद तक नहीं है जिस हद् तक होना चाहिये। इस में सन्देह नहीं कि जब कभी कर लगाये जाते हैं तो उन की आलोचना भी होती है, विरोध भी होता है, बजट उपस्थित होता है तो उस वक्त भी उस की आलोचना और विरोध होता है, होना भी चाहिये और इस में बहुत सी अच्छी और बुरी बातें आती हैं। परन्तु इस साल का जो बजट है वह, साधारण रूप से जो बजट आया करते हैं, वैसा बजट नहीं है। इस साल का बजट उस तृतीय पंचवर्षीय योजना की तरफ इशारा करता है, उस के बारे में कुछ बतलाता है, जो कि हमारी अर्थ व्यवस्था की आधार शिला बनने जा रही है भविष्य के लिये। यह बड़ी व्यापक योजना है और इस योजना को कार्यान्वित कर के हम अपने को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जब ऐसी योजना की झलक हम को यह बजट दे, उस की तरफ इशारा करता हो, तो उस का एक विशेष महत्व है।

इस बजट में जिस योग्यता के साथ मंत्री महोदय ने इन करों के लगाने के बारे में दलीलें दी हैं, उस योग्यता का मैं कायल हूं। दरअस्ल उन की योग्यता का नमूना ही यह

[पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय]

दलीलें हैं। जैसा मैं ने निवेदन किया वह केवल योग्यता ही नहीं है, मैं यह महसूस करता हूं कि उन्होंने सहानुभूति के साथ उन दलीलों को रक्खा और सारी बातों पर विचार कर के यह घोषित किया कि उन दलीलों के होते हुए जो कर आज वे लगाने जा रहे हैं वे कोई बहुत लोगों पर बुरा असर नहीं डाल सकते, लोगों को बहुत खल नहीं सकते। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि दरअस्ल वह अपने प्रशासन को देखें, अपने देश के इन्तजाम को देखें, उस मैशीनरी को देखें जो उन के पास मौजूद है, इन सारी चीजों को व्यापक बनाने के लिये, सारी वास्तविकता से लोगों को परिचित कराने के लिये। अगर वह उस से पूरी तौर पर वाकिफ होते और जानते होते कि उन लोगों के अन्दर वही योग्यता और सहानुभूति है जिस योग्यता और सहानुभूति का उन्होंने परिचय दिया, अगर उस मैशीनरी में भी दरअस्ल उसी स्तर की योग्यता और सहानुभूति होती तो इस में सन्देह नहीं कि इन करों का बोझ बहुत हलका सा नजर आता।

बात ऐसी है कि आप ने कर लगाया एक किसी चीज पर तो उस के साथ की जो चीज है उस पर असर पड़ेगा ही। जैसे उन्होंने कैरोसीन आयल पर कर लगाया, एक किस्म के कैरोसीन पर, और उस से वे समझें कि दूसरे किस्म के कैरोसीन आयल पर असर नहीं पड़ेगा, तो यह बात सही नहीं होगी। उस का असर लाजिमी तौर पर दूसरे किस्म के कैरोसीन आयल पर पड़ेगा और उसके पड़ने के साथ ही तुरन्त जो प्रभाव होता है वह और भी गम्भीर है। इस वास्ते कि तुरन्त सारे देश में जितना मिट्टी का तेल है उस की कीमत एकाएक बढ़ गई, और ऐसी बढ़ गई कि लोग भौचके से हो गये क्योंकि थोड़ा आप ने इस सम्बन्ध में बढ़ाया लेकिन उस से दुगुना और ड्योड़ा दाम लिया जा रहा है उन से जितने में कि वे खरीद रहे थे।

इस के साथ ही और भी चीजें हैं जो कि हमारी इस्तेमाल की हैं, जैसे कि कपड़ा है। उन्होंने कहीं-कहीं तो चीजों में मिलावट रोकने के लिये उन पर कर लगाया, कहीं-कहीं पर इस लिये लगाया कि चीजों का इस्तेमाल बढ़े और कहीं पर इस लिये कि चीजों का इस्तेमाल घटे, जो कि उन की नीति के हिसाब से सही था। लेकिन वैसा असर न हो कर असर उन चीजों पर पड़ा जो कि गरीबों के स्तेमाल की हैं। जिस को मुनाफा उठाना है उस के द्वारा प्रोडक्शन में बढ़ोतरी कर के गरीब आदमियों से सैकड़ों करोड़ों रुपये इस बीच में थोड़ दिनों में वसूल हो जान के बावजूद यह नियत नहीं है कि वह पैसा उन से वसूल कैसे किया जायगा। बावजूद इसके कि वे समझते थे कि उन का कर प्रशासन जो है यह उस को नियंत्रित कर लेगा और उससे कोई नुक्सान नहीं हो सकेगा, मैं उन से निवेदन करूंगा कि वह नहीं हो सका और उन करों का असर जितना वह महसूस करते थे उस से ज्यादा लोगों पर पड़ा और लोगों का नुक्सान हुआ और अब भी हो रहा है : यह प्रशासन की बात कोई यहीं की बात नहीं है, केन्द्रीय सरकार की ही बात नहीं है। मैं देखता हूं कि जहां कहीं कर लगाये जाते हैं, वहां यह सोच-विचार कर के नहीं कि उन का डाइरेक्ट या इंडाइरेक्ट क्या असर पड़ सकता है। उस स्थिति का बिना विचार किये ही कर लगाये जाते हैं तो बहुत बुरा असर पड़ता ही है, जल्दी में गम्भीरता से विचार किये बिना ऐसा करने से खराब असर पड़ जाता है। मान लीजिये कि कहीं पर बाग पर कर लगाया जाये और ऐसा करने के बाद रेंट वगैरह असेस करने का काम लेखपालों पर छोड़ दिया जाये कि वे जिस बाग पर जितना रेंट चाहें लगा दें, तो इस के

बड़े दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। पंचायत कर लगाये मान लीजिये, और ९ वर्ष तक वह वसूल नहीं हो सके, नौ वर्ष के बाद वसूल होने लगे तो चारों तरफ कोहराम मच जायेगा।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

इस का बहुत खराब असर लोगों पर पड़ता है।

आप ने हम लोगों के सामने कर लगाने के लिये जो आर्थिक अवस्था उपस्थित की है, उस में मैं देखता हूं कि उन्होंने बतलाया है कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी, आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़ी, व्यक्तिगत आय जो हो सकती है वह भी बढ़ी। पैदावार भी बढ़ी, कल कारखाने जितने स्थापित होने थे उस में भी बहुत बढ़ोतरी हुई, लेकिन जो हमारे लक्ष्य हैं प्रायः वे पूरे नहीं हुए। सब से बड़ी आवश्यकता की चीज जो अन्न है, गल्ला है उसकी पैदावार बहुत नहीं बढ़ी। थोड़ी सी बढ़ी भी और थोड़ी सी घटी भी, और हर साल हम को अपना गल्ला बाहर से मंगाना पड़ा, जिस गल्ले के मंगाने की वजह से हमारा जो बैलेन्स आफ पेमेंट है वह बहुत उलटा पड़ गया। यानी जो हमारा व्यापार दूसरे देशों से होता है वह भी हमारे खिलाफ पड़ गया। सब से बड़ा आइटेम जो इस साल हुआ वह गल्ले के बाहर से मंगाने का हुआ। वैसे हमारी पैदावार की कीमत कम तो हुई है जिस से हमें चार करोड़ का फायदा होगा, लेकिन पता नहीं एक साल बाद उसकी क्या नौबत गुजर जायेगी। गल्ले को बाहर से मंगाने का हमारा प्रयास जो है उस में न जाने कितने करोड़ रुपये हमारे लगें, और साथ ही जो हमारा प्रयास है पैदावार को बढ़ाने का वह बड़ी खूबी से चल रहा था। सरकारी और गैर-सरकारी संस्थायें जुटी थीं इस काम में, लेकिन इस काम में वह ढीली पड़ गईं, उन्होंने समझा कि गल्ला देश में है क्योंकि कीमतें कम होती जा रही हैं और आसानी से काम चल रहा है। लेकिन इस से हमारा दो तरह का नुकसान हुआ। कीमतों की हालत यह है कि वह इस सब के बावजूद बढ़ रही हैं, घटीं नहीं। यह सरकार भी हिसाब लगा कर यह समझती है कि ६.५ कीमतें बढ़ गईं। व्यापार भी जो हम विदेशों से कर रहे थे उस में जितनी चीजें हम बाहर से मंगाते थे उस से कम बाहर भेज सकते हैं। हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद हालत सम्भवतः सुधर जाये लेकिन इस वक्त तो उस के घटने का ही अन्देशा है। विदेशी मुद्रा कोष भी हमारा घटता जा रहा है, बेकारी हमारी जो है वह बढ़ती जा रही है। इस बेकारी की बढ़ोतरी में, एकानिमिक सर्वे में मंत्री महोदय ने जो फिगर्स दिये हैं, बेकारी का सब से बड़ा अंग जो है वह उपस्थित नहीं है। पता नहीं इस का क्या मतलब हो सकता है और वह क्यों उस में नहीं है, लेकिन अगर हम बेकारी का व्यौरा देखें तो उस में खेतिहर मजदूरों का व्यौरा नहीं है। मेरी समझ में खेतिहर मजदूरों का व्यौरा ही बेकारी का सब से बड़ा व्यौरा हो सकता है। खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में पहली रिपोर्ट सन् १९५०-५१ में आयी थी और दूसरी सन् १९५६-५७ की रिपोर्ट भी आयी थी। उस रिपोर्ट को मैंने देखा तो मुझे लगा कि एक तो उनकी बेकारी जो पहले ४५ फीसदी थी वह अब ६४ प्रतिशत हो गयी है। कर्जा भी उन पर काफी लद गया है, जो कर्जा पहले ८० करोड़ का था वह बढ़ कर १४३ करोड़ तक पहुंच गया है। पहले जहां उनकी बकारी के ९० दिन थे वे बढ़ कर १२८ हो गये हैं। मैंने कुछ चीजें आपको बतायीं। लेकिन उनकी जितनी चीजें हैं वे गिरती ही जा रही हैं, किसी चीज में तरक्की नजर नहीं आती। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि बेकारी के विषय के साथ आप इन लोगों की बेकारी को भी ले लें क्योंकि इनकी बेकारी इतनी बढ़ गयी है कि उसकी सीमा नहीं दिखायी देती और गांवों में रहने वाले खेतिहर मजदूरों की बहुत बुरी हालत है। उनकी हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है। अगर हम उनके सम्बन्ध में विचार न करें और उनकी दशा सुधारने के लिये कोई प्रयास न करें तो यह बहुत घातक होगा।

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

इसके अलावा जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है उसके अमल के हिसाब से अगर हम करों पर ध्यान दें तो मैं निवेदन करूंगा कि करों के सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित की है वह बहुत सुन्दर है । उनकी यह नीति है कि कर इसलिये लगाये जा रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर सकें और इम्पोर्ट कम करें, साथ ही हमारा प्रोडक्शन बढ़े पर कंजम्पशन कम हो । यह बहुत अच्छी बातें हैं । लेकिन क्या वास्तव में यह असर पड़ा है । आप देखें कि इसमें तम्बाकू, काफी, चाय, मिट्टी के तेल और दियासलाई आदि पर कर लगा है .....

श्री मोरारजी देसाई : दियासलाई पर कर नहीं लगा है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : ठीक है, लेकिन जो उसका स्टेंडरडाइजेशन किया गया है उसके कारण उसकी भी कीमत बढ़ी है ।

श्री त्यागी (देहरादून) : अगर मिट्टी के तेल और दियासलाई दोनों पर टैक्स लग जाता तब तो आग लग जाती ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या आप समझते हैं कि आग लगना बाकी है ।

भले ही मंत्री महोदय ने दियासलाई पर कर नहीं लगाया है, लेकिन वह बाजार मे जा कर देखें तो उनको मालूम होगा कि उसकी कीमत कितनी बढ़ी है ।

आपने खराब तम्बाकू पर कर लगाया है । यह भाव में जो अन्तर है उसको दूर करने के लिये और मिलावट को रोकने के उद्देश्य से किया गया है । लेकिन मिलावट चाहे दूर हो या न हो, इस कर का यह परिणाम अवश्य होगा कि कम दाम वाली के भी ज्यादा दाम ज्यादा हो जायेंगे और फिर भी वह मिलायी जायेगी ।

फिर सुपीरियर करेसीन आयल पर कर लगाया गया है । सुपीरियर केरोसीन ही लालटेन आदि के लिये काम में लाया जाता है । इनफीरियर केरोसीन शायद चिमनियों आदि के काम में लाया जाता होगा । लेकिन इसका परिणाम यह होगा कि जो खराब करोसीन है उसका भी दाम बढ़ जायेगा ।

खराब कपड़े पर कर लगाया गया है ताकि अच्छा कपड़ा ज्यादा बनाया जाये । अच्छे कपड़े की तो कीमत बढ़ी ही है, लेकिन इसका परिणाम यह होगा कि खराब कपड़े की भी कीमत बढ़ जायेगी ।

दियासलाई का आपने स्टेंडरडाइजेशन करने का प्रयास किया है, उस पर कोई कर नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी उसका दाम बढ़ गया है ।

खुली चाय पर आपने कर लगाया है । यह ठीक है कि बाबू लोग आम तौर पर इस चाय को इस्तेमाल नहीं करते लेकिन आज चाय गांवों और देहातों तक में चल गयी है । तो उनकी चाय की कीमत पर भी असर पड़ेगा ।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक उद्योग कालीन बनाने का था जिससे हमको काफी फारिन एक्सचेंज प्राप्त होता था । आपकी कर नीति से इनका एक्सपोर्ट कम हो जायेगा और यह उद्योग खत्म हो जायेगा । यह एक काटेज इंडस्ट्री है।

सुपारी पर आपने कर लगाया है । इसका उपयोग देहातों में भी होता है । इसका परिणाम यह है कि जो पान चार पैसे में मिलता था वह आठ पैसे में मिलेगा ।

डीजल आइल पर कर लगाया गया है जो कि एग्रीकल्चर में बहुत काम आता है। इसका किसानों पर असर पड़ेगा।

तो आपने कर लगाया मिलावट रोकने के लिये, चीजों का इस्तेमाल कम करने के लिये, और स्टेंडरडाइजेशन करने के लिये लेकिन आपने ऐसी चीजों को चुना कि जिसका असर हम पर बहुत बुरा पड़ रहा है। लेकिन आपने प्रशासन में सुधार नहीं किया। मेरा निवेदन है कि जब तक आप प्रशासन में सुधार नहीं करते तब तक जो असर आप चाहते हैं वह नहीं पड़ सकता।

अगर आप बचत करना चाहते थे तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के व्यय को कम करके बहुत बचत कर सकते थे। अगर आप अपनी योजनाओं को ठीक से चलायें तो बहुत बचत हो सकती है। मैंने इस संबंध में कुछ कमेंट्स पढ़ी हैं और देखा भी है कि जिलों में बहुत से अफसर एकत्र हो गये हैं। वह क्या काम करते हैं या क्या सुपरवीजन करते हैं इसका पता नहीं। यह तो जिलों का हाल है बड़े शहरों और प्रदेश के हैडक्वार्टर्स पर तो और भी ज्यादा अफसर हैं। लेकिन जब से देखरेख करने वाले अफसरों की तादाद बढ़ी है तब से कोआरडिनेशन कम हो गया है। हम देखते हैं कि बड़ा समय नष्ट होता है। अगर कोई योजना बनानी होती है तो पहले तो इसी को तै करने में बड़ा समय लग जाता है कि किस स्थान पर उसको चलाया जाये। फिर कौन जिम्मेदार हो यह तै करने में समय निकल जाता है। फिर इसके लिये धन कहां से मिलेगा उसका फैसला होने में वर्षों लग जाते हैं। यह सब हो जाने पर भी काम बहुत शिथिलता से होता है। तो मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप इन खर्चों में कमी करते तो इतना पैसा निकल आता कि आपको चाय, दियासलाई, मिट्टी के तेल आदि पर कर न लगाना पड़ता।

आपको अपने प्रशासन को गतिशील बनाना चाहिये। आज हालत यह है कि एक किसान का मुकदमा एक एक, दो-दो और तीन-तीन साल में जाकर फैसला हो पाता है। अगर एक बीघे या कुछ बिस्वे का भी मुकदमा होता है तो उसके फैसले होने में वर्षों लग जाते हैं और उस पर उस जमीन की कीमत से भी ज्यादा खर्चा हो जाता है और वह आदमी तबाह हो जाता है। इस तबाही को रोकने के लिये यह जरूरी है कि मुकदमों का फैसला जल्द किया जाये।

दूसरी चीज मैंने यह देखी है कि एक ओर प्रावीजन है आपके बजट में कि बाहरी लोगों की पूंजी को देश में लगाने का प्रोत्साहन दिया जाये। मुझे इससे बहुत खुशी हुई और मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही हमारे देश की पूंजी को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिये ताकि वह भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद दे सके। यह नहीं होना चाहिये कि देश की पूंजी की परवाह न की जाये और फारिन पूंजी को लगाया जाये। मैं समझता हूं कि हमको फारिन पूंजी की बहुत जरूरत है और इसको प्राप्त करने में हमारे वित्त मंत्री महोदय काफी हद तक सफल भी हुये हैं।

टेक्नीशियन्स को जो इनवाइट किया गया है वह भी उचित है। और उसकी भी आवश्यकता है।

हमारी शिक्षा बहुत खर्चीली हो गयी है। मैं चाहता हूं कि इसका खर्चा कम किया जाये। मैं समझता हूं कि जब तक आप अध्यापकों को उचित वेतन और दूसरी सहूलियतें नहीं देंगे तब तक देश की शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता। जहां तक फुड प्रोडक्शन का संबंध है, उसके बारे में मैं दूसरे अवसर पर बोलूंगा, लेकिन शिक्षा के संबंध में मैं चाहता हूं कि विशेष ध्यान दिया जाये।

श्रीमती सहोदरा बाई राय : चेयरमैन साहब, महिलाओं को भी समय मिलना चाहिये !

†श्री कमलसिंह (बक्सर) : मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। यदि आप 'योजना' का समर्थन करते हैं तो आपको बजट प्रस्तावों का समर्थन करना होगा।

[श्री हेडा पीठासीन हुए]

जब से श्री मोरारजी देसाई केन्द्रीय मंत्रिमंडल में आये हैं उन्होंने जनता के बीच विश्वास की भावना का प्रसार किया है मैं आशा करता हूं वे भ्रष्टाचार व अपव्यय को भी दूर करेंगे। मेरे विचार से समाज में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो इस समय प्रचालित है, मुनाफाखोरी का है, मैं आशा करता हूं सरकार इसे दूर करने का प्रयत्न करेगी। वस्तुतः यही कारण है कि धनी व्यक्ति और भी अधिक धनी होते जा रहे हैं।

जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है। वस्तुओं की कीमतें दूसरी पंच-वर्षीय योजना में चढ़ती जा रही हैं अतः सरकार को कम से कम इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि सामान्य जनता की आवश्यकता की वस्तुओं में कोई वृद्धि न हो। मैं आशा करता हूं वित्त मंत्री इस ओर ध्यान रखेंगे तथापि आर्थिक सर्वेक्षण से भी यह ज्ञात हुआ है कि कीमतें बढ़ती रही हैं अतः इस संबंध में हम अपने को धोखे में नहीं रख सकते हैं।

वर्तमान बजट प्रस्तावों से निम्न मध्यम-वर्ग को आघात होगा। तथा उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना होगा।

बजट में यह बात स्वीकार की गई है कि योजना की सफलता का आधार कृषि उत्पादन है। अतः हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि हम खाद्य उत्पादन में १० करोड़ टन का जो लक्ष्य रखा गया है उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

कृषि क्षेत्र में जो परिणाम प्राप्त हुये हैं मैं उनसे सन्तुष्ट नहीं हूं। कृषि क्षेत्र के कार्यों का खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय एवं सामुदायिक मंत्रालय के हाथों में है तथापि इन तीनों मंत्रालयों के बीच उपयुक्त समायोजन नहीं है। अतः वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि हमने योजना में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें इस दिशा में पूरा प्रयत्न करना चाहिये। प्रथम और द्वितीय योजना के बीच हमने कई आंदोलन आरम्भ किये यथा खरीफ, रबी आंदोलन। लेकिन किसी भी आंदोलन से वांछनीय परिणाम नहीं निकला है। अब हम "पैकेज कार्यक्रम" में प्रयोगिक रूप से कार्य कर रहे हैं तथापि अभी तक उनसे वांछनीय परिणाम नहीं निकला है।

अतः यदि आप कृषि क्षेत्र में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि आप कृषकों को बुनियादी आवश्यकतायें प्रदान करें। उनकी मुख्य आवश्यकता सिंचाई के लिये पानी है। जहां तक पानी का संबंध है, प्रथम दो योजनाओं में इस ओर काफी प्रगति हुई है तथापि अभी भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पानी नहीं पहुंचा है। सरकार को उन क्षेत्रों की ओर ध्यान देना चाहिये। तथापि सरकार इस ओर उचित ध्यान नहीं दे रही है, उदाहरणार्थ दक्षिण बिहार में दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में १०० नलकूप खोलने की व्यवस्था थी तथापि अभी तक वहां एक भी नलकूप नहीं खोदा गया। यदि इसके लिये कहा जाता है तो हमसे कह दिया जाता है कि इसके लिये उपयुक्त राशि उपलब्ध नहीं है।

किसान की दूसरी अनिवार्य आवश्यकता वहां के संचार साधन हैं। गांवों की ९० प्रतिशत से ९५ प्रतिशत तक सड़कें खराब और केवल अच्छे मौसम में काम लायक होती हैं। फल यह होता है राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक सेवा के कर्मचारी भी, जिन्हें जीपें दी गयी हैं केवल उन्हीं गांवों

†मूल अंग्रेजी में

में पहुंच सकते हैं जहां जीप जा सकती है। किसान के लिये अपने जिले के कस्बे या बड़े कार्यालय तक पहुंचना बहुत कठिन होता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

†**कुमारी मो० वेदकुमारी** (एलुरु) : यह कहा गया है कि अप्रत्यक्ष करों से सामान्य जनता पर आघात होगा। तथा ये कर जनता को भविष्य में लाभ पहुंचाने के ध्येय से ही बनाये गये हैं।

विरोधी सदस्यों ने यह आलोचना की है कि अप्रत्यक्ष करों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इस संबंध में यह स्मरण रखना चाहिये कि समाजवादी देशों में जहां वस्तुओं के वितरण पर भी सरकार का नियंत्रण रहता है वहां सरकार स्वयं कीमतें निश्चित करती है अतः वहां अप्रत्यक्ष कर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि भारत की स्थिति भिन्न है।

यद्यपि वित्त मंत्री ने यह कहा है कि बाजार में कीमतों में जो वृद्धि हो रही है उसके लिये वे उत्तरदायी नहीं ठहराये जा सकते हैं तथापि हम सभी सदस्यों को जनता की इस आलोचना का शिकार बनना होता है क्योंकि मध्यवर्ग की आय निश्चित है अतः उन्हें अधिक कठिनाइयों का सामना करना होता है।

देश की कुल आय का ४९ प्रतिशत कृषि क्षेत्र से आता है तथापि इस क्षेत्र की बड़ी दुरावस्था है। उदाहरणार्थ आंध्र में ७८ प्रतिशत किसान जिनके पास १० एकड़ से कम जमीन है बिक्री किये जाने वाले खाद्यान्न का केवल ५ प्रतिशत देते हैं तथा उन्हें केवल १५८.४ करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं जब कि २५ एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान बिक्री किये जाने वाले खाद्यान्न का ८० प्रतिशत देते हैं और उन्हें लगभग ४०५ करोड़ रुपये की प्राप्ति होती है। यह कहा जाता है कि करों का भार सब पर समान रूप से पड़ना चाहिये मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि यदि आप गरीब व्यक्ति पर कर लगायेंगे तो उसके जीवन स्तर में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो पायेगा।

ठीक यही हाल औद्योगिक क्षेत्र का भी है। लाभांश की आय का बहुत बड़ा भाग केवल गिने चुने लोगों को मिलता है। ८८.७ प्रतिशत व्यक्तियों को लाभांश का केवल ४८ प्रतिशत प्राप्त होता है जब कि अधि-कर के अधीन आने वाले व्यक्तियों को कुल लाभांश का ९० प्रतिशत प्राप्त होता है। इस प्रकार देश की सम्पत्ति कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो रही है।

वित्त मंत्री ने तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क लगाया है देश के कुल तम्बाकू उत्पादन का ४९ प्रतिशत आंध्र प्रदेश में पैदा होता है। वहां के केवल ४ जिलों में वहां की कुल उत्पादन का ९६ प्रतिशत पैदा होता है। वरजीनिया तम्बाकू पर प्रतिकिलोग्राम उत्पादन व्यय १.१६रु० आता है और इसकी बिक्री की कीमत ३.५० रु० प्रति किलोग्राम है अब आपने इस पर २.५० रु० प्रतिगिलोग्राम कर लगा दिया है। इसका अर्थ यह होगा कि लोग तम्बाकू बोना छोड़ कर खाद्यान्नों की खेती करने लगेंगे। यद्यपि हमने निर्यात संवर्द्धन परिषद् की स्थापना कर दी है तथापि तम्बाकू उद्योग पर बहुत भारी संकट आया हुआ है। और तम्बाकू की बहुत बड़ी मात्रा बेचने को पड़ी हुई है। तम्बाकू की बिक्री पर विदेशी बिक्री समितियों का अधिपत्य है ये मनमानी कीमत पर, अपनी पसन्द के किसानों से ही तम्बाकू खरीदते हैं। तम्बाकू

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

की खेती से हम पर्याप्त विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं अतः तम्बाकू पर इतना अधिक कर न लगाया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

[कुमारी मो० वेदकुमारी]

अब मैं क्षेत्रीय विषमता की ओर माननीय मंत्री जी का धयान आकर्षित करना चाहती हूं। आंध्र प्रदेश में कोई बड़ा उद्योग नहीं है वह एक कृषि प्रधान राज्य है। तथापि जब भी वहां के लिये केन्द्र से राशि मांगी जाती है तो यह कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश अधिक्य वाला राज्य है। सच्चाई यह है कि वहां के किसानों की प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र के किसानों से भी कम है। इससे हमारे विरोधियों को हमारी आलोचना करने का खूब मौका मिल जाता है।

अब मैं मद्यनिषेध के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहती हूं। मद्यनिषेद से हमें पूरी सफलता नहीं मिली है। मुश्किल से ३० प्रतिशत सफलता हमें मिली है इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उदाहरणार्थ तेलंगाना मद्यनिषेध क्षेत्र में नहीं आता है तथापि इसके आसपास के क्षेत्रों में मद्यनिषेध है ऐसे मद्यनिषेध से कोई लाभ नहीं क्योंकि लोग तंलंगाना में जा कर मद्यपान कर आते हैं। मैं नहीं चाहती कि मद्यनिषेध की नीति समाप्त कर दी जाय। मैं चाहती हूं कि शराब पर भारी कर लगाया जाय और मद्यनिषेध की नीति को सफल बनाया जाय जिससे हमारा राष्ट्र स्वस्थ और सबल हो सके।

†श्री मा० श्री अणे (नागपुर) : वित्त मंत्री ने एक विशिष्ट प्रकार का बजट प्रस्तुत किया है, इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। बजट पर मत प्रगट करते समय एक माननीय सदस्य ने कहा था कि यह बजट सबको स्पर्श करता है तथापि किसी पर आघात नहीं करता है। मैं पहिली बात से सहमत हूं तथापि जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, स्वयं वित्त मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि इससे लोगों को आघात होता है तथापि प्रश्न यह है कि क्या किसी को अधिक आघात होता है ?

मैंने इसे एक विशिष्ट प्रकार का बजट इस कारण भी कहा है कि युद्ध के समय को छोड़ कर शायद ही कभी किसी वित्त मंत्री ने ऐसा बजट बनाया हो जिसमें ६० करोड़ रुपये के कर एक वर्ष में लगाये गये हों।

इस बजट की एक विशेष बात यह भी है कि यह पहिला बजट है जिसमें १००० करोड़ से अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिलाया है कि यह राशि बढ़ती चली जायेगी। वित्त मंत्री ने राज्य सभा में यह कहा है कि हम इतनी राशि बिना शक्ति का प्रयोग किये या बिना मार्शल ला के जमा कर रहे हैं इस प्रकार उन्होंने इसका यह अर्थ लगाया कि जनता इतना कर देने की क्षमता रखती है। मेरे विचार से यह सिद्धांत गलत है।

वित्त मंत्री ने ये कर इस कारण लगाये हैं कि उन्हें तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये राशि एकत्र करनी है। हमारी व्यवस्था के अनुसार योजना की रूपरेखा योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती है इस आयोग में आठ नौ सदस्य होते हैं। संसद् से इनका कोई संबंध नहीं होता है तथापि योजना का मसविदा सभा के समक्ष रखा जाता है और सभा से उसका अनुमोदन करने को कहा जाता है। तथापि अभी तक तृतीय पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में कोई अंतिम निश्चय नहीं किया गया है तब भला ये कर क्यों लगाये जा रहे हैं। भविष्य में इसके सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें भी रखी जायेंगी आश्चर्य यह है कि ऐसे विषय पर जिसका अभी अंतिम रूप से निश्चय नहीं हुआ है इससे व्यय मंजूर करने के लिये मतदान मांगा जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अजित प्रसाद जैन ने इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया है कि आगामी वर्ष के लिये व्यय का अन्ततः निश्चय कौन करता है ? इसी प्रसग में एक संगत प्रश्न यह है कि आयोग की सिफारिशें आगामी पांच वर्षों के लिये लागू होती हैं अर्थात् हम भावी वित्त मंत्रियों को भी एक प्रकार से आयोग की नीति से आवद्ध कर लेते हैं। यदि केन्द्र में दूसरे दल की सरकार बने तो क्या स्थिति उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि वह दल कांग्रेस दल की नीति का समर्थन ही करे। अतः अपनी नीति द्वारा भावी वित्त मंत्री को आगामी चार वर्षों के लिये बांध लेना ठीक नहीं है। अतः बर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके लिये दो तरकीबें की जा सकती हैं पहिला वित्त मंत्री आयोग की सिफारिश के अनुसार कर प्रस्तावों के बनाने में पूर्ण सावधानी बरते और दूसरे कर प्रस्तावों के बनाने में सभी विरोधी पक्षों की सहमति ली जाय।

जहां तक आयोग के सदस्यों का प्रश्न है, यद्यपि आयोग में मंत्रिमंडल के सदस्य भी होते हैं तथापि उनको योजना सम्बन्धी बातों के लिये उचित अवकाश नहीं मिलता है। अन्य सदस्य भले ही बहुत विद्वान और विशेषज्ञ हों तथापि उन्हें प्रशासनिक तथा व्यावहारिक अनुभव नहीं होता है। आयोग के प्रतिवेदन को व्यापक रूप से अनुमोदन के योग्य बनाने के लिये यह आवश्यक है कि यह प्रतिवेदन ऐसे व्यक्तियों द्वारा बनाया जाय जिन्हें जनता का सहयोग प्राप्त हो।

वित्त मंत्री ने कई बार कहा है कि देश की अर्थ व्यवस्था तीसरी योजना के पश्चात् स्वावलंबी हो जायेगी तब हमें अपनी समृद्धि के लिये दूसरों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा इस प्रकार हम एक ऐसे युग का सूत्रपात कर रहे हैं जहां दरिद्रता व अभाव नहीं रहेगा तथापि यह आवश्यक है कि आयोग में केवल ऐसे व्यक्ति रखे जायें जिन्हें जनता का सहयोग और समर्थन प्राप्त हो। जिन्हें प्रशासनिक अनुभव हो जो उनकी कठिनाइयां समझ सकें।

जहां तक कर प्रस्तावों का सम्बन्ध है माननीय वित्त मंत्री को मिट्टी के तेल पर सुपारी इत्यादि पर लगाये गये करों पर पुनः विचार करना चाहिये क्योंकि इससे जनता का जीवन स्तर, जिसमें कुछ वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है, पुनः अवरुद्ध हो जायेगा।

बजट अब केवल एक वित्त सम्बन्धी वक्तव्य नहीं रह गया है, यह देश की जनता की भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक बन गया है अतः उसमें चीनियों द्वारा भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण तथा उन्हें बाहर करने की चर्चा का उल्लेख भी होना चाहिये था तथापि ऐसा नहीं किया गया है। हमें उस क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

अब मैं पुर्तगाल का प्रश्न लेता हूं। हेग के न्यायाधिकरण ने पुर्तगाल की इस मांग को रद्द कर दिया है कि उसे नगर हवेली के मार्ग से सेना भेजने का अधिकार है। तथापि अब सरकार को इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही करनी चाहिये अन्यथा इससे हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण, या बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान कुछ न कुछ बोलना चाहता है अतः सभा के विभिन्न पक्ष के नेताओं को चाहिये कि वे उन सदस्यों का भी ध्यान रखें जो अभी तक नहीं बोल सके हैं। मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि जिन सदस्यों को सामान्य चर्चा में बोलने का अवसर नहीं मिला है वे अनुदानों की मांगों पर बोल सकें। जब तक आप इन दोनों

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

स्थानों को भारत में नहीं मिलाते तब तक जनता आपका सम्मान नहीं करेगी और केवल कागजी-विरोध से भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आपका अधिक सम्मान नहीं बढ़ेगा।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

आरामदेह कारों का आयात

†श्री महन्ती : (ढेंकनाल) : हमारे देश में आरामदेह कारों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में ६ मार्च को एक प्रश्न पूछा गया था जिसके उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि सरकार ने ६० ऐयाशी कारों का आयात किया है जिसपर विदेशी मुद्रा के रूप में १५ लाख रुपये खर्च हुये हैं। इन ६० कारों में से २७ कारें तो राज्य सरकारों को दी गई हैं और दो कारें एयर इंडिया इंटरनेशनल को दी गई हैं। मेरा निवेदन है कि सभा को इस बात पर विचार करना चाहिये कि इनमें से दो गाड़ियां जो एयर इंडिया इंटरनेशनल को विदेशी पर्यटन एजेंट आदि जैसे महत्वपूण महानुभावों द्वारा काम में लाये जाने के लिये दी गई हैं, क्या यह उचित है। इकतीस गाड़ियां कुछ राज्यों में, जहां परिवहन राज्य के नियंत्रण में है, निजी चालकों को दी गई हैं। हमें यह बताया जाना चाहिये कि विदेशी मुद्रा पर जो धन खर्च हुआ है उसे भारतीय राजकोष किस प्रकार प्राप्त करने वाला है।

हम यह भी जानना चाहते हैं कि ये गाड़ियां किस कम्पनी द्वारा बनाई गई; उन्हें किन देशों से आयात किया गया और क्या सरकार ने उनके आयात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। यह बात समझ में नहीं आई कि जब देश के उद्योगों को विदेशी मुद्रा के अभाव में ठेस पहुंच रही हो तब आराम-देह गाड़ियों का आयात बहुत आपत्तिजनक है। आशा है कि सरकार ऐसी भूल भविष्य में नहीं करेगी।

†श्री त्यागी (देहरादून) : वित्त मंत्री जिन्होंने अन्ततोगत्वा इस सारे व्यय की मंजूरी दी, द्वारा इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये जाने चाहिये और हमें यह आश्वासन दिया जाये कि भविष्य में इस प्रकार का व्यय न होने दिया जायेगा। परिवहन तथा संचार मंत्री भी इस बारे में कुछ बतायें।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : (खम्मम) : ऐसी अफवाह कि कुछ विशिष्ट प्रकार की गाड़ियों के आयात पर इसलिये प्रतिबन्ध लगाया गया है कि ऐसी गाड़ियां बनाने वाली कम्पनियों ने इस प्रकार की गाड़ियों के निर्माण में हमें सहयोग देना स्वीकार नहीं किया। अतः १५ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करने से हमारे देश को क्या लाभ हुआ है ?

†वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : विदेश में बनी गाड़ियों पर इस कारण प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया कि कातपय समवायों ने हमें सहयोग देना स्वीकार नहीं किया। उसका कारण यह है कि हमारे लिये वे गाड़ियां बहुत महंगी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : जिन राजदूतों अथवा राजदूतावास के अधिकारियों का स्थानान्तरण होता है वे अपनी कार निजी व्यक्तियों को बेच जाते हैं। तो क्या उनसे इन आरामदेह गाड़ियों को खरीदने के बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती ?

†**श्री अ० मू० तारिक:** (जम्मू तथा काश्मीर) : राज्यों तथा यात्रा एजंटों को जो गाड़ियां दी जाती हैं क्या उनको पर्यटन के विकास के लिये उपयोग में लाया जा रहा है अथवा वे निजी काों के लिये उपयोग में लाई जा रही हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राज बहादुर)** : बहुत समय से राज्य सरकारें और डी० एल० जैड० टैक्सियों के चालक भारत आने वाले तथा भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने वाले विदेशी पर्यटकों के लिये हम से इन गाड़ियों के आयात की मांग कर रहे थे। अतः हमने सोचा कि इन गाड़ियों को बदलकर इनके स्थानपर नई गाड़ियां लाई जायें।

साल में दो या तीन बार हमारे देश में जहाज उन विदेशी पर्यटकों तथा धनी व्यक्तियों को लेकर आते हैं जो हमारे देश को देखना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि विदेशी पर्यटकों को यथा संभव अधिक सुविधायें दी जायें ताकि वे हमारे यहां आराम से और अधिक समय तक रहें। जो पर्यटक इन गाड़ियों को काम में लाते हैं वे विदेशी मुद्रा के रूप में प्रतिदिन ५० से लेकर १०० रुपये तक खर्च करते हैं और इस प्रकार जो पूंजी लगी है उस पर हमें पर्याप्त विदेशी मुद्रा तुरन्त मिल जाती है। अतः हमारे सामने यह बड़ा सवाल था कि हम इस विदेशी मुद्रा को प्राप्त करें। अतः हमने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से बातचीत की और उन्होंने इन कारों को मंगवाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार की गाड़ियों के आयात की मांग पुरानी और बेकार गाड़ियों को हटाने के उद्देश्य से की गई थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की सम्मति प्राप्त होने पर ही परिवहन मंत्रालय को इस व्यय की मंजूरी दी गई थी। इन गाड़ियों के अलग अलग पुर्जों का आयात किया गया और इस प्रकार हर गाड़ी के पीछे २७८७ रुपये की बचत हुई है। इनके आयात पर कुल विदेशी मुद्रा के रूप में ६,१८,८२५ रुपये खर्च हुये।

जहां तक कि आय का प्रश्न है। इन कारों से प्रतिदिन ५० से १०० रुपये प्रति कार प्रति दिन तक की आय हो रही है। विदेशी पर्यटक आराम से सफर करना चाहते हैं और सड़क द्वारा ही यात्रा करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश में प्रायः दिल्ली में दो या तीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हुआ करते हैं। ऐसी कारों के रखने में अन्तर्राष्ट्रीय प्रविष्ठा का ही प्रश्न नहीं है बल्कि विदेशी पर्यटकों की सुविधा का भी सवाल है। जो चीजें और आराम वे चाहते हैं हमें उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है।

यह धारणा सही नहीं है कि हमने इन सभी गाड़ियों का मूल्य चुकाया है। हमने तो उन्हें निजी चालकों में बांट दिया है और वे लोग इनकी कीमतें चुका रहे हैं। गाड़ियां उन्हीं लोगों को दी गई हैं जो इनसे लाभ उठा सकते हैं। और वे ही इनसे विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। यदि आप विदेशी पर्यटकों को अपने यहां आकर्षित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वे अधिक दिन तक आपके यहां रुकें तो आपको उन्हें सभी सुविधायें देनी होंगी। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये ही हमें इन कारों का आयात करना पड़ा।

जहां तक कि इनके वितरण की बात है। ये कारें उन्हीं व्यक्तियों को दी गई हैं जो इन्हें पाने के अधिकारी हैं। वितरण के मामले में तीन या चार उपाय सुझाये गये थे लेकिन मैंने सभी अस्वीकृत कर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राज बहादुर]

दिये । मैंने सभी डी० एल० जैड० कार चलाने वालों को बुलाया और पूछताछ करने के बाद उन्हीं लोगों को एक कार दी जिनके पास कि पहले से ही पांच कारें थीं । इस वितरण की प्रणाली के विरुद्ध आज तक मेरे पास कोई भी शिकायत नहीं आई है अतः मैं समझता हूं कि यह प्रथा अच्छी रही और सफल रही है ।

कोई राज्य सरकार इन गाड़ियों को पर्यटकों के सिवा और काम में लायेगी, इस प्रकार का सन्देह करने का कोई कारण नहीं है । ये गाड़ियां विभिन्न राज्यों को एक निश्चित और प्रयोग सिद्ध सूत्र के आधार पर दी गई हैं । जम्मू तथा काश्मीर को ५ कारें हमने दी हैं । बम्बई, मद्रास, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को हमने कारें उन राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर ही वितरित की हैं ।

यह आपत्ति की गई है कि एयर इंडिया को जो दो कारें दी गई हैं । उनका प्रतिष्ठित महानुभावों के लिये उपयोग किया जायेगा । उनका तात्पर्य यह है कि पर्यटकों के प्रतिष्ठित महानुभाव कहां होते हैं । मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि पर्यटन के क्षेत्र में कई प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनमें से कई व्यक्ति प्रतिष्ठित महानुभाव हैं । तो क्या हम उन्हें सुविधायें न दें । अगर आप उन्हें ऐसी सुविधायें नहीं देंगे तो फिर पर्यटक व्यापार को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है । आप ही सोचिये । फिर इससे विदेशी मुद्रा भी तो आती है। अन्त में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इन गाड़ियों के आयात पर हुये व्यय में से एक भी पाई फिजूल खर्च नहीं हुई है । और इनमें जो पूंजी लगी है उसमें कोई खतरा नहीं है । यह बड़ा अच्छा विनियोजन है । इससे बड़ी अच्छी आय होगी । यह एक ऐसा अच्छा व्यवसाय है जिस पर विदेशी मुद्रा हुई हो और वह इतनी जल्दी विदेशी मुद्रा कमाता भी हो । मेरे विचार में ऐसा कोई और दूसरा उद्योग नहीं है । जहां तक कि इन गाड़ियों को यहां विदेशी दूतावास या उनके अधिकारियों के तबादले पर पुरानी गाड़ी के रूप में खरीदने की बात है यह सरकार के लिये कठिन है । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय इस समस्या पर विचार कर रहा है । ये कारें किन देशों से आयात की गई हैं इस बारे में मैं ठीक से कोई उत्तर नहीं दे सकूंगा ।

यदि हम बड़ी बड़ी कारों तथा होटलों पर अधिक व्यय कर सकें तो इससे हमें भारी आय होगी । मेरा ऐसा अनुमान है कि तीसरी योजना में १०० करोड़ से लेकर २०० करोड़ रुपये तक की आय हो सकती है । लेकिन कठिनाई यह है कि हमें कारों तथा होटलों के लिये अधिक रुपया मिल नहीं रहा है । एक बात और भी है अब गर्मियां भी आ रही हैं यदि वायु अनुकूलित कारें हमें मिल सकें तो और भी अच्छा है क्योंकि इससे हमारी आय में वृद्धि ही होगी ।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार १६ मार्च, १९६१/२५ फाल्गुन १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, १५ मार्च, १९६१ / २४ फाल्गुन, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२४६७–९१
तारांकित प्रश्न संख्या		
८४५	पुरातत्वीय खुदाई	२४६७–६९
८४६	दिल्ली में 'चिट फंड'	२४६९–७०
८४७	हेलीकोप्टर विमानों का खरीदा जाना	२४७०–७२
८४८	सरकारी कोयला खानों में उत्पादन लागत	२४७२–७४
८४९	इस्पात का प्रतिधारण मूल्य	२४७५–७९
८५०	अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा में हिन्दी माध्यम	२४७९–८१
८५१	कच्चे लोहे के संयंत्र	२४८१–८३
८५२	आवाज की गति से तेज चलने वाले विमानों का निर्माण	२४८३–८४
८५३	इस्पात संयंत्रों के लिए कोकिंग कोयला	२४८४–८५
८५४	उड़ीसा में फैरो-क्रोम संयंत्र	२४८५–८६
८५५	अन्तरिक्ष अनुसंधान	२४८६
८५६	दिल्ली जल में अकाली महिला की मृत्यु	२४८७–८८
८५७	इस्पात का आयात	२४८८–८९
८५८	इस्पात संयंत्रों का विस्तार	२४९०–९१
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२४९१–२५५३
तारांकित प्रश्न संख्या		
८५९	मूल्यों का एकीकरण	२४९१
८६०	बाल कल्याण	२४९२
८६१	हौज खास, दिल्ली के निकट पुराने सिक्के	२४९३
८६२	कोरबा कोयला क्षेत्र में श्रमिकों के लिये सुविधायें	२४९३–९४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :		
तारांकित प्रश्न संख्या		
८६३	भारत के स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास . .	२४९४
८६४	तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये जर्मनी द्वारा सहायता .	२४९४–९५
८६५	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी पदाधिकारी . .	२४९५
८६६	आंध्र प्रदेश में कोयले के स्टाक . . .	२४९५–९६
८६७	गार्डनरीच वर्कशाप, कलकत्ता . . .	२४९६
८६८	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में जेट इंजनों का उत्पादन	२४९६–९७
८६९	रेलवे द्वारा उपयोग किया जाने वाला कोयला . .	२४९७
८७०	जम्मू हवाई अड्डा	२४९७
८७१	संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन में सोने की कीमत .	२४९७
८७२	कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों को यात्रा भत्ता . .	२४९८
८७३	इंडियन आयल कम्पनी	२४९८–९९
८७४	बोकारो इस्पात संयंत्र	२४९९
८७५	खाद्य विभाग	२४९९
८७६	विशेष इस्पात का आयात	२४९९–२५००
८७७	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार . . .	२५००
८७८	इस्पात संयंत्रों में कर्म समितियां . .	२५००
८७९	तेल की खोज	२५००–०१
८८०	इस्पात संयंत्रों का संचालन . . .	२५०१
८८१	भारत पाकिस्तान सांस्कृतिक सम्मेलन . . .	२५०१–०२
८८२	सशस्त्र सेनाओं के सेवानिवृत्त व्यक्तियों के निवृत्ति वेतन .	२५०२
८८३	बिनोले का तेल . .	२५०२
८८४	नियमों का हिन्दी में अनुवाद	२५०२–०३
८८५	पुरातत्व विभाग के पदाधिकारी . . .	२५०३
८८६	दिल्ली में भिक्षावृत्ति	२५०४
८८७	चीनी विमानों की उड़ानें . . .	२५०४
८८८	गोला-बारूद का उत्पादन	२५०४–०५
८८९	भूतपूर्व शासकों के उत्तराधिकारियों को पुश्तैनी खिताब .	२५०५
८९०	विशेष पुलिस प्रतिष्ठान	२५०६
८९१	रामानुजम गणित संस्था	२५०६
८९२	कच्चे लोहे के उत्पादन के लिये नया तरीका . .	२५०६–०७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१६८६	ोगाणुनाशी औषधि संबंधी अनुसंधान . . .	२५०७
१६८७	अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह . . .	२५०७
१६८८	पंजाब में बहुप्रयोजनीय स्कूल	२५०७
१६८९	गुरदासपुर जिले में तम्बाक की खेती . . .	२५०८
१६९०	महाराष्ट्र में संरक्षित स्मारक . . .	२५०९–११
१६९१	औरंगाबाद में संरक्षित स्मारक . . .	२५११
१६९२	टेक्निकल संस्थाओं में स्थान . . .	२५१२
१६९३	पंजाब के लिये स्टीम कोयला	२५१२
१६९४	उत्तर प्रदेश में अनसूचित जातियों और अनसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण . . .	२५१२–१३
१६९५	उत्तर प्रदेश से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क . . .	२५१३
१६९६	उत्तर प्रदेश के सामाजिक तथा आथिक जीवन का अध्ययन .	२५१३
१६९७	उत्तर प्रदेश में अनसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के लिये आवास ोजनायें	२५१३
१६९८	उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा . . .	२५१३–१४
१६९९	उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक	२५१४
१७००	खेल कूद का विकास . . .	२५१४–१५
१७०१	दिल्ली में कुत्तों द्वारा अपराधों का पता लगाया जाना .	२५१५
१७०२	टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी और इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी को ऋण	२५१५
१७०३	आसाम से केन्द्रीय राजस्व आय . . .	२५१६
१७०४	आसाम में आय-कर की बकाया रकम . . .	२५१६
१७०५	सैनिक	२५१६
१७०६	पंजाब में कालिज की शिक्षा . .	२५१६
१७०७	बिलासपुर टाउनशिप . . .	२५१७
१७०८	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा रद्दी लोहे की बिक्री . .	२५१७
१७०९	रद्दी लोहे का दुरुप्रयोग . . .	२५१७
१७१०	रद्दी लोहे के निर्यात संबंधी नीति . . .	२५१८
१७११	जमशेदपुर आदि के इंजीनियरिंग कालिज और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैकनालाजी, कानपुर . .	२५१८–१९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७१२	इंजीनियरिंग कालिजों तथा टैक्नालाजी की संस्थाओं को सहायता	२५१९–२०
१७१३	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी, कानपुर	२५२०
१७१४	बिहार में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक	२५२०–२१
१७१५	पंजाब में अपंगों की शिक्षा	२५२१
१७१६	कोयले का उत्पादन	२५२१
१७१७	जम्मू तथा काश्मीर में समाज कल्याण विस्तार योजना	२५२२
१७१८	उड़ीसा के पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोग	२५२२
१७१९	उड़ीसा के विद्यार्थी	२५२२–२३
१७२०	योगिक व्यायाम की संस्थायें	२५२३
१७२१	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को कृषि संबंधी सहायता	२५२३–२४
१७२२	महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें	२५२४
१७२३	आदि जातिय कल्याण निधि	२५२४
१७२४	महाराष्ट्र में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग चलाया जाना	२५२५
१७२५	भारत-पाक वित्तीय वार्ता	२५२५
१७२६	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	२५२५
१७२७	चोरी छिपे लाये गये ट्रांजिस्टर रेडियो सेटों का पकड़ा जाना	२५२५
१७२८	दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अध्यापक	२५२६
१७२९	रूसी तेल	२५२६
१७३०	मद्यनिषेध	२५२६–२७
१७३१	मंत्रियों को यात्रा तथा दैनिक भत्ता	२५२७
१७३२	पिछड़े वर्गों के विकास के लिये स्वयंसेवी संस्थायें	२५२७
१७३३	केन्द्रीय सरकार की उपक्रमों में यूनियनों की मान्यता	२५२७–२८
१७३४	बरौनी के तेल साफ करने के कारखाने में रेलवे साईडिंग	२५२८
१७३५	सोना पकड़ा जाना	२५२८–२९
१७३६	अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधायें	२५२९
१७३७	प्रतिरक्षा सेवा अधिकारियों के वेतन क्रम	२५२९–३०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७३९	रेलवे के लिये विदेशी मुद्रा	२५३०
१७४०	महंगाई भत्ते का वेतन मिलाया जाना	२५३०–३१
१७४१	जनगणना	२५३१
१७४२	औद्योगिक इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिये	२५३१
१७४३	जोधपुर में इमारतों में दरारें	२५३२
१७४४	मनीपुर में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	२५३२
१७४५	पश्चिम बंगाल में तेल	२५३२–३३
१७४६	फोर्ड प्रतिष्ठान से सहायता	२५३३
१७४७	बीड़ी के तम्बाकू पर कर	२५३३
१७४८	कोणार्क में पर्यटकों के लिये गेस्ट हाउस	२५३३
१७४९	निकल की इकन्यिां	२५३४
१७५०	विदिशा में पुरातत्वीय इमारत	२५३४–३५
१७५१	पुलिस ट्रेनिंक कालिज, माउन्ट आबू	२५३५
१७५२	कोयले का उत्पादन	२५३५
१७५३	राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता	२५३६
१७५४	बगदाद में भारतीय नर्तक मंडली	२५३६
१७५५	जनगणना	२५३६–३७
१७५६	कटपीस कपड़े के व्यापारी	२५३७
१७५७	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	२५३७
१७५८	कोयला और लोहा अयस्क की आवश्यकतायें	२५३८
१७५९	हिन्दी में विभागीय प्रपत्र	२५३९
१७६०	पुरातत्व विभाग में विशेष वेतन	२५३९
१७६१	लड़कियों के लिये पोलिटैक्निक संस्थायें	२५३९–४०
१७६२	निवेली में ब्रिकेटिंग और कार्बोनाइजिंग संयंत्र	२५४०
१७६३	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	२५४०
१७६४	सरकारी प्रक्रिया को सरल बनाना	२५४०–४१
१७६५	राजस्थान में अभावग्रस्त क्षेत्र	२५४१
१७६६	खुली नाट्यशालायें	२५४१
१७६७	मनीपुर में गैर सरकारी कालेज	२५४१–४२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७६८	राजनैतिक पीड़ितों को सहायता . .	२५४२
१७६९	उत्तर प्रदेश को इस्पात और कोयले का संभरण . .	२५४२
१७७०	सरकारी कर्मचारी . . .	२५४२–४३
१७७१	कोयले का वितरण	२५४३
१७७२	भिलाई इस्पात कारखाने में छंटनी में निकाले गये कर्मचारी .	२५४३
१७७३	हिमाचल प्रदेश में अपराधियों को सुधारना . .	२५४४
१७७४	हिमाचल प्रदेश में जेल	२५४४
१७७५	केन्द्रीय असैनिक सेवाओं में भूतपूर्व सैनिक . .	२५४५
१७७६	केन्द्रीय असैनिक सेवाओं में भूतपूर्व सैनिक . .	२५४५
१७७७	नागा विद्रोहियों द्वारा अपहरण . . .	२५४५
१७७८	सैनिक अफसरों को भत्ते	२५४६
१७७९	रेवड़पुरा, दिल्ली में गुंडागर्दी	२५४७
१७८०	रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादित प्लेटें और चादर .	२५४७
१७८१	कोयले का उत्पादन	२५४७–४८
१७८२	जिप्सम की खानें	२५४८–४९
१७८४	उड़ीसा में बुनियादी शिक्षा के अध्यापक . . .	२५४९
१७८५	उड़ीसा में पुलिस विमान	२५४९
१७८६	उड़ीसा में भूतपूर्व शासकों के राज्य में प्राथमिक अध्यापक .	२५५०
१७८७	उड़ीसा में मृत शिक्षकों के वेतन आदि की बकाया राशि .	२५५०
१७८८	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	२५५०–५१
१७८९	राज्यों को ऋण	२५५१
१७९०	पोरबन्दर में उद्योगों को कोयले के संभरण में कमी . .	२५५१–५२
१७९१	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति अयुक्त का कार्यालय	२५५२–५३
१७९२	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा रक्षित पदों के लिये विज्ञापन .	२५५३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .		२५५५
श्री बड़ाकुमार प्रताप गंग देव बामरा ने अमरीकी कांग्रेस के सदस्य श्री स्टीवेन डिरूनियन द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि गत तीन वर्षों में अमरीका द्वारा भारत को		

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

बिना मूल्य भेजे गेहूं से भारतीय व्यापारियों ने लाखों डालर कमा लिये हैं, खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान दिलाया

खाद्य तथा कृषि उप-मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २२५५–५६

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक ११ फरवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५० में प्रकाशित भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदालि) संशोधन नियम, १९६१ की एक प्रति।

(२) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९-६० के लिये हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखा और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन —उपस्थापित २५५६–५७

उनास्सीवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

समिति के लिये निर्वाचन २५५७

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) ने प्रस्ताव किया कि ३० अप्रैल, १९६१ से शुरू होने वाली कार्यविधि के लिये प्रविधिक शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय परिषद् के सदस्यों के रूप में काम करने के उद्देश्य से लोक सभा अपने में से दो सदस्य चुने। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक—पारित किया गया . . . . . २५५७—६१

रेलवे यात्री किराया (निरसन) अधिनियम, १९६१ के विचार प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।

विषय	पृष्ठ
सामान्य आय-व्ययक सामान्य चर्चा	२५६१—९४
आय-व्ययक (सामान्य) १९६१–६२ पर सामान्य चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	
आधे घंटे की चर्चा	२५९४—९६
श्री सुरेन्द्र महन्ती ने बिलासितापूर्ण कारों के आयात के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ के ६ मार्च, १९६१ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई	
परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।	
मंगलवार, १६ मार्च, १९६१/२५ फाल्गुन, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि .	
आय व्ययक (सामान्य) १९६१–६२ पर अग्रेतर सामान्य चर्चा।	

GMGIPND—LS III—2355(Ai) LSD—28-4-61—125